खण्ड-354, अंक-6
बुधवार, 21 माघ, शक संवत् 1903
(10 फरवरी, 1982 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 354 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	911–914
प्रश्नोत्तर	915–966
गोरखपुर जनपद के कतिपय ग्रामों में छोटी चेचक के प्रकोप के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	966
शारदा सहायक खण्ड 23, आजमगढ़ को ठेकमा मेहनगर रजवाहा नहर, ग्राम सरदार गंज व पटना के बीच कट जाने से कतिपय ग्रामों की फसल को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	966–967
शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत बाराबंकी तथा दरियाबाद समानान्तर शाखा के जल रिसाव से कतिपय ग्रामों को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	167–968
ग्राम साढ़ूपुर, जिला मैनपुरी में हुई दुर्घटना में हरिजनों को दिये गये आश्वासन की पूर्ति न होने पर भूतपूर्व सांसद श्री रामजी लाल द्वारा आमरण अनशन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	968–969
जनपद आजमगढ़ की मोहम्मदाबाद तहसील के लक्ष्मीपुर माइनर में पानी जमा होने से मकानों तथा फसल को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	969
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1981 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	969
उत्तर प्रदेश में गांव पंचायतों, क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों के चुनाव के सम्बन्ध में वक्तव्य	970–974
मुख्य मंत्री के जाली हस्ताक्षरों से आदेश किये जाने की शंका के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	974
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	975
उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1982 (पारित)	975–996
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1982 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982 (पारित)	996–1029

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अध्यादेश, 1981 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1982 (पारित)	1029–1044
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	
चुनार, मिर्जापुर में गंगा नदी पर बने पीपे के पुल पर पथकर के विरोध में नागरिकों द्वारा धरना तथा प्रदर्शन किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तगत वक्तव्य ..	1034–1046
नत्थियां	1047–1055

विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 10 फरवरी, 1982

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 338

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
अशोक कुमार वाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुत्तन भैय्या) (खीरी)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (कानपुर)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बलराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्ण वीर सिंह, श्री (बदांयू)
कृष्ण वीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवरधन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)

चरन जीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पियौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदो लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
दीश सिंह, श्री (शहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जोराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तेजबहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
बलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
बल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी-गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पियौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) (बलिया)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
पर गी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवाल, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलदेव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)

भोला लाल, श्री (उन्नाव)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पण्डेय, श्री (बलिया)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अयोन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर, (गोंडा)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह कुवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (फर्रुखाबाद)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्र, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधे श्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा0 (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन एडवोकेट, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नरायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)

रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिज़वानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रुल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहन, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डाक्टर (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायण सिंह, श्री (वाराणसी)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीफतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी-गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)

श्याम लाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्यामसूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बख्श रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां, श्री (शाहजहांपुर)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमाश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हर नारायण सिंह, श्री (रायबरेली)
हरवंश प्रसाद पान्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरिशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 10 फरवरी, 1982 ई0

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद गोंडा में सिंचाई जनपदीय स्टियरिंग कमेटी द्वारा चयनित स्थानों पर राजकीय नलकूप

*1--श्री अकबाल हुसैन (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा में सिंचाई जनपदीय स्टियरिंग कमेटी ने दिनांक 4-5-81 को टयूबवेल लगाने के लिए स्थानों का चयन किया था ? क्या यह सही है कि चयनित स्थानों पर ट्यूबवेल न लगाकर विकास खंड गैसड़ी में चयपुरवा में लगाया जा रहा है जो दो बार फेल भी हुआ ? यदि हां, तो क्यों ? उसमें कितने रुपयों का खर्च 31-10-81 तक हुआ ? क्या सरकार जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायतीराज एवं ग्राम्य विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

जिला सलाहकार समिति जनपद गोंडा की बैठक दिनांक 20-5-81 को हुई थी जिसमें राजकीय नलकूपों के स्थानों का चयन किया गया था ।

जी हां । चयनित स्थान ओरी सिंह डीह जगदीशपुरा के नालों से घिरे होने के कारण वहां रिग मशीन नहीं पहुंच सकी । अतः विकास खंड गैसड़ी के तुलसीपुर चीनी मिल क्षेत्र में चयपुरवा ग्राम में प्रयोगात्मक छिद्रण कर दिया गया । छिद्रण के समय कुछ तकनीकी कठिनाइयों के कारण दो बार बोर बैठ गया लेकिन माह नवम्बर में तीसरी बार इसका सफल छिद्रण पूरा किया गया जिसका अनुमोदन जिला सिंचाई सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 12-12-81 कर दिया गया ।

दिनांक 31-10-81 तक इस नलकूप पर 27,450.65 रुपये का व्यय किया गया था तथा उस समय तृतीय छिद्रण का कार्य चल रहा था जो दिनांक 6-11-81 को सफलतापूर्वक पूरा किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सूबेदार सिंह--

जिले की स्टियरिंग कमेटी के फैसले को कार्यान्वित करने का अधिकार वहां के अधिकारियों को होता है । जनपद गोंडा की स्टियरिंग समिति ने फैसला किया कि फलां-फलां जगह टूयूबवेल लगाये जायें फिर किन कारणों से उनको परिवर्तित किया गया ?

नोट :--तारांकित प्रश्न संख्या 1 श्री सूबेदार सिंह ने पूछा ।

श्री बलराम सिंह यादव--

जो स्थान चुना गया था वह चारों तरफ से नाले से घिरा था इसलिए परिवर्तित किया गया था ।

श्री सूबेदार सिंह--

घिरा होने के कारण ट्रक नहीं पहुंच सकते थे तो बैलगाड़ियों से मशीनें नहीं पहुंच सकती थी क्या ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी नहीं पहुंच सकती थी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

शासन द्वारा नलकूप तय होते हैं और कहां पर होंगे यह स्टियरिंग कमेटी तय करती है, तो उस कमेटी ने फैसला किया और वह उपयुक्त नहीं पाया गया तो क्या दुबारा उसकी स्वीकृति ली गई ? बिना स्टियरिंग कमेटी की सिफारिश के दूसरा स्थान क्यों चुना गया और इसका सुझाव किसने दिया था ?

श्री बलराम सिंह यादव--

शासन से जो प्रस्ताव गया था, ट्यूबवेल्स की लिस्ट गयी थी उसमें चयपुरवा मेन्शण्ड था ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, उसमें हम बैठते हैं और स्थान तय करते हैं । शासन को कोई अधिकार था ही नहीं फैसला लेने का । इसलिए चयपुरवा जो लिया गया, इसको स्वीकृति स्टियरिंग समिति से क्यों नहीं ली गई और ब्लाक भी बदल दिया गया ?

श्री बलराम सिंह यादव--

पहले स्वीकृति नहीं ली गई लेकिन बाद में प्रश्नकर्त्ता माननीय सदस्य, अकबाल हुसैन जी उसमें उपस्थित थे और उसके सभापति थे, 2 उन्होंने कोई एतराज नहीं किया था ।

श्री राजकुमार राय--

जो स्टियरिंग कमेटी है उस पर कोई आदेश लागू करने का अधिकार शासन को भी है या उसे ही पूरा अधिकार दिया गया है ? मैं इसलिए कह रहा हूं कि शासन ने कई जगहों के लिए लिखा कि वहां ट्यूबवेल्स लगा दिये जायें लेकिन नहीं लगाये गये ।

श्री बलराम सिंह यादव--

शासन सुझाव भेज सकता है ।

जनपद देवरिया के तहसील पडरौना स्थित पुल की रक्षा हेतु एक और मोरा बढ़ाये जाने की मांग

*2--श्री श्यामनरायन तिवारी तथा श्री कुबेर भंडारी--

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि 4 ग्राम प्रधानों के पत्र, दिनांक 1-9-81 के साथ विधायक (कुबेर भंडारी) का पत्र दिनांक 14-9-81 शासन को प्राप्त

है, जिसके अन्तर्गत जनपद देवरिया के तहसील पडरौना स्थित पडरौना ड्रेन (भलुआ नाला) पर ग्राम श्रीप्रति खांड एवं सोनदिया के मध्य बने पुल के ध्वस्त एवं क्षतिग्रस्त होने की संभावना को ध्यान में रख कर पुल में एक ओर मोरी बढ़ाये जाने की आवश्यक मांग की गई है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी पुल की रक्षा हेतु पुल में एक और मोरी बढ़ाने की घोषणा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

उक्त पुल की रक्षा हेतु एक और स्पेन बनाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री कुबेर भंडारी--

जो पानी का बहाव है उसको देखते हुए उसमें और मोरी जोड़ देने, इससे शासन को क्या नुकसान होगा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

इनका निर्माण तकनीकी तौर पर किया गया है और वहां पुल के 3 स्पैन इतने बड़े हैं कि वहां पानी रुक नहीं सकता क्योंकि जो ड्रेन भलुआ नाला है वह 6.70 मीटर है और परिकल्पिक प्रवाह नौ प्वाइंट कुछ है लेकिन जो पुल को जाने वाली रोड्स हैं वह बहुत नीची हैं इसलिए उन पर पानी चला जाता है । इसलिए आवश्यकता है रोड्स को थोड़ा रेज किया जाये ।

श्री कुबेर भंडारी--

ऐसा ज्ञात हुआ है कि पुल टूटने जा रहा है तो क्या जब पुल क्षतिग्रस्त हो जायेगा तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, अवश्य कार्यवाही की जायेगी, लेकिन मेरे पास जो टेक्निकल रिपोर्ट आई है उसमें पुल को कोई खतरा नहीं हो सकता ।

[बुधवार, 10 फरवरी, 1982 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जिला मिर्जापुर के क्षतिग्रस्त अदवा बांध का फाटक संख्या 5 का पुनः निर्माण एवं स्थापना

*1--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मिर्जापुर में अदवा बांध का गेट नं0 5 अक्तूबर, 1981 के प्रथम सप्ताह में टूट गया है, जिससे लाखों रुपये की क्षति हो गई और पानी निकल जाने से मिर्जापुर व इलाहाबाद जनपद के करीब बीस हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई नहीं हो पायेगी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मिर्जापुर जनपद में अदवा बांध स्पिलवे का फाटक संख्या-5, दिनांक 8-10-1981 को क्षतिग्रस्त हो गया था । इस फाटक के पुनः निर्माण एवं स्थापना में लगभग 1.97 लाख रु0 शुद्ध व्यय होने की सम्भावना है ।

अदवा जलाशय द्वारा वर्ष 1981-82 रबी में प्रस्तावित 7,678 हेक्टेयर क्षेत्र के विरुद्ध 4,700 हेक्टेयर सिचाई होना सम्भावित है ।

फाटक के क्षतिग्रस्त होने की जांच कराई जा रही है । आगामी वर्षा से पूर्व फाटक की पुनः स्थापना करने का लक्ष्य है ।

श्री ऊदल--

क्या इस बात की जांच कराई गई कि फाटक नं0 5 पानी अधिक आ जाने के कारण टूटा या फाटक कमजोर था इस कारण टूटा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

इसकी जांच हो रही है, अभी जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । जांच रिपोर्ट के बाद ही यह पता चल सकेगा ।

श्री ऊदल--

क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि इस फाटक के टूट जाने से इलाहाबाद तथा मिर्जापुर तहसील के कई गांव की फसलें पानी में डूब गयीं और नष्ट हो गयीं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन लोगों को जिनकी फसलें नष्ट हो गयी हैं मुआवजा देगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

इसको देख लेंगे, लेकिन मुआवजा देने की जहां तक बात है, वह सम्भव नहीं है ।

श्री मित्रसेन--

इसकी जांच प्रश्न प्राप्त होने के बाद कराई गई या पहले ही कर ई गई थी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जांच पहले से चल रही थी ।

मूक बधिर विद्यालय, ऐशबाग, लखनऊ तथा अन्य राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को दी गई छात्रवृत्ति में भिन्नता

*2--श्री भीखा लाल--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय बधिर, विद्यालय, आगरा, बरेली तथा फर्रुखाबाद में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को किस दर से छात्रवृत्ति दी जाती है तथा मूक, बधिर विद्यालय ऐशबाग, लखनऊ में छात्रों को छात्रवृत्ति देने की दर क्या है ? क्या इस विद्यालय तथा राजकीय विद्यालय की दरों में कोई भिन्नता है ? यदि हां, तो उसका कारण क्या है ?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)—

राजकीय मूक बधिर विद्यालय, आगरा, बरेली तथा फर्रुखाबाद के ऐसे छात्रावासीय छात्रों को जिनके अभिभावकों की मासिक आय 500 रुपये से अधिक नहीं ह, को 100 रुपया प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती हैं तथा अर्ध मूक बधिर छात्रों को छात्रवृत्ति की योजना के अन्तर्गत मूक बधिर विद्यालय, ऐशबाग, लखनऊ के ऐसे छात्रों को जिनके अभिभावकों की मासिक आय 500 रुपये से अधिक नहीं हैं, को छात्रवृत्ति देने की दर 10 रु0 से 20 रु0 तक प्रतिमास है। मूक बधिर विद्यालय, ऐशबाग, लखनऊ एक स्वैच्छिक संस्था है जो केन्द्र तथा राज्य सरकार से अंशतः अनुदानित है। राजकीय मूक बधिर विद्यालय, आगरा, बरेली तथा फर्रुखाबाद में छात्रावासीय छात्रों के रहने तथा भोजन की व्यवस्था भी छात्रवृत्ति के धन से ही की जाती है। अतः छात्रवृत्ति की दरों में भिन्नता है।

श्री भीखा लाल—

जब सभी विद्यालय समान तरह की पढ़ाई वाले हैं तो हरिजन छात्रों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है उसमें यह भिन्नता क्यों है? भेदभाव क्यों रखा गया है और क्या यह संस्थाओं की इच्छा पर है कि वे जो चाहें दें?

श्री गुलाब सेहरा—

स्वैच्छिक संस्थायें वजीफे के लिए डायरेक्टोरेट को एप्लाई करती हैं और उनको जितना मिलता है उस हिसाब से वे देती हैं। पिछले वर्ष 10 हजार रुपया था, अब इस वर्ष उसे इन विकलांग और मूक, बधिर विद्यार्थियों के लिए 1 लाख कर दिया गया है। अब नयी दरों से ही छात्रवृत्ति दी जा रही है।

श्री भीखा लाल—

नई दरें क्या हैं? कोई इसके अलावा वह दरें हैं? कृपया वह नई दरें बता दें?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, जो नई दरें हैं, वह 7 रुपये से लेकर 50 रुपये तक की अलग-अलग क्लासेज की हैं।

श्री भीखा लाल—

सब में एक सी दरें हैं?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, जरा सा फर्क है कि राजकीय हमारे विद्यालय जो है, उसमें कैश छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है, उसमें पढ़ाई-लिखाई, रहने आदि का 100 रुपया उनके खर्चे का मान लिया गया है। लेकिन बाहर के पढ़ने वाले बच्चों में भिन्नता अवश्य रहेगी, यह भिन्नता नहीं बदल सकते।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या मंत्री जी इस बात को सही मान करके कि जो स्वैच्छिक मूक, बधिर संस्था को चलाते हैं, उनमें संख्या बहुत कम है, क्या उन्हें अपने अधीन लेने का आश्वासन माननीय मंत्री जी देंगे?

श्री गुलाब सेहर --

माननीय, हमारे जो मूक-बधिर विद्यालय चल रहे हैं, उनमें स्थान रिक्त पड़े रहते हैं, हम तो यह चाहते हैं कि वह स्वैच्छिक विद्यालयों के विद्यार्थी, उन स्वैच्छिक विद्यालयों के बजाय हमारे राजकीय विद्यालय में आ जाँय, तो उन्हें अधिक सुविधा हम दे सकते हैं ।

श्री भीखा लाल--

माननीय, यह प्रदेशीय सरकार और केन्द्रीय सरकार के दोनों के शतप्रतिशत अनुदान पर यह संस्था चलती है और तब भी उसको स्वैच्छिक संस्था कह कर छूट दी जाती है और अगर यह सुविधायें जो माननीय मंत्री जी ने बताया, राजकीय स्कूलों पर लागू तो इन पर क्यों नहीं लागू की जाती हैं और विद्यार्थियों का जो नुकसान किया जा रहा है, वह क्यों किया जा रहा है ?

श्री गुलाब सेहरा--

माननीय, उनका मैनेजमेन्ट, सविधान होता है, केवल वह अनुदान के लिए अप्लाई करते हैं, तब उनको हम अनुदान देते हैं ।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय, अगर वह लाजिंग और बोर्डिंग का इन्तजाम करने के लिए तैयार हैं, तो उतनी ही सुविधा उनको भी दे दी जाय, जो उन लोगों को लाजिंग और बोर्डिंग की सुविधा देते हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

माननीय, यह सम्भव नहीं है ।

श्री भीखा लाल--

माननीय, ऐशबाग का मूक-बधिर विद्यालय जो है, यह स्वेच्छिक विद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है और मूक, बधिर विद्यालय चाहे राजकीय हो, चाहे प्राइवेट हो, उनमें कालेज के एक नियम लागू होते हैं, समान रूप से और हरिजन कल्याण विभाग भी छात्रवृत्ति में भेदभाव नहीं करता । तो इसमें क्यों भेदभाव रखा जा रहा है ? समानता क्यों नहीं लाई जा रही है ?

श्री गुलाब सेहरा--

माननीय, जो मूक, बधिर विद्यालय के लिए पहले धनराशि थी, वह 10,000 रुपये थी, अब उसमें 1 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है और उसका रेट बढ़ा दिया है, 7 रुपये से लेकर 50 रुपये तक उसमें छात्रवृत्ति कर दी गयी है, अलग-अलग कक्षाओं के अनुसार ।

लोक सेवा आयोग द्वारा आर० टी० ओ० व परिवहन आयुक्त के कर्मचारियों का संवर्गीकरण

*3--श्री रियासत हुसैन--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975-76 में लोक सेवा आयोग (इलाहाबाद) ने शासन को आर० टी० ओ० एवं कार्यालय, परिवहन

आयुक्त के कर्मचारियों के संवर्गीकरण किए जाने का सुझाव दिया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, जरा प्रश्न पर नजर डालें, यह 75-76 से सम्बन्धित है और पालिसी मैटर है । लेकिन इसमें उत्तर आया है कि सूचना एकत्र की जा रही है । तो इसमें मान्यवर, किस चीज की सूचना एकत्र की जा रही है ? मैं तो इसी भ्रम में पड़ गया । यह जो भ्रम है, क्या माननीय मंत्री जी इस भ्रम को दूर करने का कष्ट करेंगे कि आखिर किस चीज की सूचना एकत्र की जा रही है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में एक कमेटी बना दी गयी है । अभी परसों एक बैठक हुई थी यहां सचिवालय में और शीघ्र ही दूसरी बैठक होने को है, उसमें दूसरे मामलों पर विचार होगा और जो भी निर्णय होगा, सदन को शीघ्र ही उससे अवगत करा दूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

यही उत्तर हो गया होता, तो अनुपूरक प्रश्न ही क्यों करना पड़ता ।

मूसाखांड बांध वाराणसी में सिंचाई प्रखण्ड के अवर अभियन्ता के निलम्बन पर कार्यवाही

*4--श्री केदारनाथ सिंह तथा श्री रामहर्ष राय--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मूसाखण्ड बांध प्रखंड, वाराणसी सिंचाई प्रखण्ड के अवर अभियन्ता (श्री अयोध्या प्रसाद त्रिपाठी), जो दिनांक 4-6-69 को निलम्बित हुए थे का निलम्बन अभी तक समाप्त नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? इस मामले में विभाग व शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

श्री त्रिपाठी को दिनांक 4-8-1969 को निलम्बित किया गया था । उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

श्री राम हर्ष राय--

क्या मंत्री यह बतलायेंगे कि श्री त्रिपाठी के निलम्बन के क्या कारण थे ? दूसरी बात इस प्रकार की कार्यवाही जो सन् 69 से 82 तक चल रही है इसके विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, इनके खिलाफ 2 चार्ज साबित हो गये थे । पहला यह था कि 17 हजार 135 रुपये 26 पैसे का सामान चुराकर बेचने के लिये गोदाम से बाहर ले जाते हुए रंगे हाथों पकड़े गये, सरकारी सम्पत्ति का अनधिकृत रूप से ले जाने के दोषी और दूसरा था सरकारी सम्पत्ति को अनधिकृत रूप से गोदाम से निकाल कर अपने क्वार्टर में रखने में व चोरी का सामान ले जाने के दोषी और तीसरा था स्टोर में 37 हजार 971 रुपये 39 पैसे के सामान की कमी पायी गई । सरकारी सम्पत्ति के गबन व सरकार आदेशों की अवहेलना के दोषी । कर्तव्य न पालन करने एवं सरकारी आदेशों के अवहेलना के यह दोषी थे ।

श्री राम हर्ष राय—

मंत्री जी ने जो चार्ज बताया है इसकी एफ0 आई0 आर0 लाज हुई ? यदि हुई है, तो एफ0 आई0 आर0 की मूल प्रति सामने रखते हुये जिस तारीख को निलम्बित किया गया है, इतना विलम्ब क्यों हो रहा है इसका स्पष्टीकरण कर दें ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, इसमें पुलिस केस बना था और वह लगभग 7-8 साल चला। केस अब समाप्त हो गया है और अग्रिम कार्यवाही जो होनी है वह चल रही है।

श्री राम हर्ष राय—

मंत्री जी ने स्वीकार किया कि 7-8 वर्ष तक इन्क्वायरी कराया।

श्री बलराम सिंह यादव—

क्रिमिनल केस चला।

श्री राम हर्ष राय—

लेकिन उसके बाद विभागीय कार्यवाही शुरू करा दी गई। क्या यह प्रश्न नही उठ सकता है कि जानबूझकर सरकारी अधिकारी हैरसमेन्ट कर रहे हैं। मान्यवर, 12 वर्ष हो गये। 12 वर्ष में तो भारतीय नियम के अनुसार जितनी कार्यवाही है सब समाप्त हो जानी चाहिये। क्या इसको मद्दे नजर रखते हुए जल्दी से जल्दी इस पर विचार कर निलम्बन आदेश समाप्त करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

27-2-82 को श्री जगमोहन, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को नियुक्त कर दिया गया है। बहुत जल्दी इस केस को फाइनल करा ने का प्रयास करेंगे।

श्री केदारनाथ सिंह—

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर पर ध्यान दें। इनके कहने का तात्पर्य है 8 वर्ष क्रिमिनल केस चला। उस दोष के बारे में कोर्ट ने दोषी माना या दोष मुक्त किया पहला प्रश्न यह है और दूसरा प्रश्न यह कि 8 वर्ष केस चला और 5 वर्ष पूर्व केस में निर्णय हो गया और 5 वर्ष के अन्दर विभाग ने इतनी शिथिलता बरती। क्या इस सिद्धान्त को सही मानते हुये कि न्याय में विलम्ब करना अन्याय है इस कमी को स्वीकार करते हुये मंत्री जी कोई सीमा बतायेंगे कि इतनी अवधि तक इस केस का निर्णय करा देंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मैंने कह दिया कि जितनी जल्दी सम्भव होगा, करायेंगे ।

श्री केदारनाथ सिंह—

कोर्ट ने दोष मुक्त किया कि नहीं किया ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, कोर्ट ने दोष मुक्त किया है, लेकिन कोर्ट में सिर्फ दो प्वाइन्ट इंवाल्व थे, उसमें दोष मुक्त किया है किन्तु दो मामले और थे जिसमें नं0 2 में स्टोर में लगभग 37 हजार रुपये की कमी पायी गयी और तीसरा प्वाइन्ट था कि कर्तव्य का पालन न करना एवं सरकारी आदेशों की अवहेलना करना था, इसलिये डिस्प्लनरी ऐक्शन तो होना ही है, निर्णय जो भी हो ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

'जस्टिस डिलेड इस जस्टिस डिनाइड' जो न्यायपालिका का सिद्धान्त है उसके अनुसार यह 13 वर्ष से निलम्बित है जबकि शासन की नीति है कि निश्चित अवधि के बाद निलम्बन नहीं होना चाहिये । इसलिये क्या मंत्री जी उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे जिन्होंने 13 साल तक उसको लटकाये रखा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, अधिकारियों का इसमें फाल्ट नहीं है । जिस समय क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिये मामला कोर्ट में गया तो उस समय स्वयं श्री त्रिपाठी ने लिखकर दिया था कि हमारे खिलाफ जो आरोप पत्र दिया गया उसके संबर्भ में उन्होंने लिखा कि चूंकि मामला कोर्ट में पेंडिग है इसलिये हम उत्तर नहीं देंगे । अब उत्तर आ गया है आरोपों का तो उस पर जो डिस्प्लनरी ऐक्शन होना चाहिये वह होगा नियमों के अनुसार ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

दो मामलों में से एक में अदालत में गये और दूसरा जो गबन का मामला था उसको अदालत में न ले जाने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, पुलिस ने इंवेस्टीगेशन किया था जिसके अनुसार दो मामले अदालत में गये और दो मामले अदालत में नहीं गये ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

इस निलम्बन की अवधि में 2/3 वेतन भत्ता दिया जा रहा है कि नहीं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जानकारी नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से दिया जा रहा होगा ।

श्री केदार नाथ सिंह---

मान्यवर, दो मामलों में कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया और बाकी में विभाग द्वारा कार्यवाही हो रही है । सस्पेन्शन प्राइमाफेसी केस के आधार पर होता है । तो प्राइमाफेसी केस जो बना उन मुद्दों पर कोर्ट ने निर्णय लिया । यदि उसके अतिरिक्त केस इन्होंने बनाया है तो उस सस्पेन्शन पर क्या आरोप बने हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

अनुशासन से जो मामले सम्बन्धित हैं उन पर शासन कार्यवाही कर सकता है ।

*5--श्रीमती गौरी देवी---

(6ठें बुधवार के लिए स्थगित)

श्री उमेश चन्द्र अग्रवाल, अधिशासी अभियन्ता, लिफ्ट सिंचाई खंड, उरई के विरुद्ध जांच व कृत कार्यवाही

*6--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (अनुपस्थित)---

क्या सिंचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, लिफ्ट सिंचाई खंड, उरई श्री उमेश चन्द्र अग्रवाल के विरुद्ध विजिलेन्स व विभागीय टी0 ए0 सी0 की जांच अगस्त, 1981 में करवाई गई थी ? इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सचिव मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

श्री उमेश चन्द्र अग्रवाल के विरुद्ध प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, सिंचाई विभाग द्वारा जांच के आदेश 5 अगस्त, 1981 को जारी किये गय ह । कोष्ठ की जांच आख्या के आधार पर श्री अग्रवाल के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है ।

*7--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल---

[6ठें बुधवार के लिए स्थगित]

गाजीपुर व बलिया जनपद के गोसपुर बरेया बांध के निर्माण को रोकने हेतु प्रभावी कदम

*8--श्री राम नरायन एडवोकेट---

गाजीपुर एवं बलिया जनपद के गोसपुर बरेया 80 किलोमीटर लम्बा बांध के गलत निर्माण को रोकने के संबंध में प्रश्नकर्ता के नियम 301 के अन्तर्गत सदन में दिनांक 24-2-81 को उठाये गये विषय के संबंध में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा अब तक संबंधित बांध के निर्माण का रोकने एवं प्रभावित कृषकों के कच्ची फसल के बचाव के कौन से ठोस प्रभावी कदम बठाये गये हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

प्रश्नगत बांध के निर्माण का कार्य अप्रैल, 1981 से पूर्णतया: बन्द है अतः कच्ची फसल को बचाने की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम नरायन, एडवोकेट—

माननीय, जो उत्तर दिया है कि अप्रैल, 81 से बांध का काम बंद कर दिया गया है । तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जनहित को ध्यान में रखते हुये सदैव के लिये बांध का निर्माण कार्य बंद कर दिया गया है या अस्थाई रूप से ?

श्री बलराम सिंह यादव—

माननीय, इस संबंध में माननीय विधायकों और संसद सदस्यों ने अपना विरोध प्रकट किया था कि इस बांध को न बनाया जाय । इसलिये यहां से विशेष सचिव भेजे गये थे और उनके साथ आयुक्त एवं विभाग के अधिकारी थे जिन्होंने एक बैठक किया था जिसमें निर्णय लिया गया था कि आयुक्त एक विस्तृत रिपोर्ट इसको शासन को भेजें । आयुक्त ने जो रिपोर्ट भेजा है उसमें यह है कि संसद सदस्य, विधायक और जनता इसको नहीं चाहते हैं कि यह बांध बने । अब पुनः आयुक्त महोदय को लिखा गया है कि वह स्पष्ट करें कि यह बांध बनाया जाय या न बनाया जाय । उनके उत्तर को प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्री राम नरायन, एडवोकेट—

माननीय, जो आयुक्त महोदय ने रिपोर्ट दिया है तो वह प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके ही भेजा है । गाजीपुर के सभी जनप्रतिनिधि इस बात से सहमत हैं कि 100 गांवों के लाखों व्यक्तियों को जान माल की रक्षा के लिये इस बांध का निर्माण रोक दिया जाय । तो आयुक्त महोदय से पुनः रिपोर्ट मांगने का क्या औचित्य है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

माननीय सदस्य धैर्य रखें, आपकी भावना का शासन आदर करता है । चूंकि कमिश्नर को लिखा जा चुका है और उनकी रिपोर्ट की आप प्रतीक्षा कीजिये । आपकी भावनायें जो होंगी मैं समझता हूं कि उन्हीं के अनुरूप शासन काम करने का विचार करेगा ।

विकलांग वर्ष में विकलांग व्यक्तियों को उपलब्ध की गई सुविधाएं

*9—श्री जयदीप सिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि 1981 वर्ष को विकलांग वर्ष घोषित करने के बाद शासन द्वारा विकलांगों के लिए क्या-क्या सुविधाएं दी गई हैं ? इन सुविधाओं पर अमल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

वर्ष 1981 को अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किये जाने के बाद विकलांग व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की सूची संलग्न है ।

उक्त सुविधाओं पर अमल करने के लिए शासन के संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1047 पर ।)

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 9 श्री मित्रसेन की रुचि पर लिया गया ।

श्री मित्रसेन यादव—

मान्यवर, विकलांगों को क्या-क्या सुविधायें प्रदान की गई हैं ? अगर माननीय मंत्री जी पढ़ कर बता देते तो अच्छा होता।

श्री अध्यक्ष—

उत्तर के साथ सूची संलग्न है । आप स्वयं पढ़ लीजिएगा ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, यह जो विकलांगों की सुविधा के लिए सूची दी गई हैं उसके लिए कोई धन भी आवंटित किया गया होगा तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वह धन कितना है ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, अलग-अलग मद में अलग-अलग धन आवंटित किया गया है जिस मद का कहें उसका बता दें ।

*10—श्री परमाई लाल—

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम के लखनऊ क्षेत्र के सहायक कोषाध्यक्ष का वेतन निर्धारण पर कार्यवाही

*11—श्री मित्रसेन—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के लखनऊ क्षेत्र के कितने सहायक कोषाध्यक्षों ने राजाज्ञा संख्या जी-9-813-बस, दिनांक 28-2-66 के पैरा 6 के अन्तर्गत अपने वेतन निर्धारण हेतु प्रत्यावेदन किये हैं ? अब तक इस संबंध में किसी प्रकार का निर्णय न लिये जाने का क्या कारण हैं ? सम्बन्धित कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*12—श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी—

(नियम 56 के अन्तर्गत 6-2-81 को चर्चित होने के कारण निरस्त) ।

उत्तर प्रदेश रा0 स0 परिवहन निगम में घाटा व बढ़ते हुये कर्ज से सम्बन्धित-पत्र

*13—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें किसी विधायक ने उत्तर प्रदेश रा0 स0 परिवहन निगम को होने वाले घाटे व बढ़ने वाले कर्ज के बारे में कोई पत्र नवम्बर, 1980 के अन्तिम सप्ताह में लिखा था ? यदि हां, तो उक्त पत्र की मुख्य बात क्या हैं और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, परिवहन मन्त्री जी यही जवाब दे रहे हैं कि सूचना एकत्रित की जा रही है । तो क्या परिवहन मन्त्री जी नहीं हैं इसलिये यह जवाब आ रहा है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, ऐसी बात नहीं है । अगर सूचना आ जाती तो ऐसी बात नहीं थी कि जवाब न दिया जाता । जो अगला बुधवार होगा उसमें सूचना आ जायेगी ।

*14—श्री मोहन सिंह—

[6ठें बुधवार के लिए स्थगित ।]

*15—श्री चेतराम गंगवार—

[20-1-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 90 द्वारा उत्तरित ।]

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, मेरे प्रश्न संख्या 15 का उत्तर आया है कि 20 जनवरी, 1982 को तारांकित प्रश्न संख्या 90 द्वारा उत्तरित । मेरा कहना है कि 20 प्रश्न ही तारांकित लिये जाते हैं ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मैं जानना चाहता हूं कि सूचना एकत्रित करने में कितना समय लगेगा ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय गंगवार जी, यह 15 जो है उसमें लिखा है कि 20 जनवरी, 1982 को तारांकित प्रश्न संख्या 90 द्वारा उत्तरित । तो इसमें छापे की भूल है ।

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, प्रश्न संख्या 9 पर मेरा एक प्रश्न था । उत्तर नहीं हुआ है ।

श्री अध्यक्ष—

अगर उत्तर नहीं हुआ है तो मेरे कक्ष में बात कीजिये ।

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, उस दिन का एजेंडा मंगवा लीजिये, मेरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है । उत्तर नहीं हुआ है ।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्नों का समय दूसरों का भी है । आप बाधा मत डालें और बात कर लें, कक्ष में ।

श्री चेतराम गंगवार—

मैं प्रश्न पढ़ना चाहता हूं । क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं ।

श्री चेतराम गंगवार—

मैं चाहता हूं कि आप मेरी रक्षा करें ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं । 15 के बारे में उत्तर दिया गया है कि यह 20 जनवरी, 1982 को तारांकित प्रश्न संख्या 90 द्वारा उत्तरित हो चुका है । यह छापे की भूल है तारांकित प्रश्न संख्या 9 होना चाहिए था । अगर ऐसा नहीं है तो इसके सम्बन्ध में मुझसे कक्ष में बात कीजिये । दूसरों के जो प्रश्न हैं उनको भी चलने दीजिये ।

श्री चेतराम गंगवार—

मैं बाद में पूंछ लूंगा । मेरे अधिकार की रक्षा करें । सारी फसल नष्ट हो गयी है ।

जिला कारागार, वाराणसी में बन्दी चार्ल्स सोबराज को उच्च श्रेणी दिये जाने के आदेश

*16—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या कारागार मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला कारागार, वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय कुख्यात अपराधी गुरुमुख चार्ल्स सोबराज (आई० पी० सी० 302, 9408 के अन्तर्गत) को सुपीरियर क्लास क्यों दिया गया है ? क्या उसके पास टाइप राइटर मशीन, ट्रांजिस्टर इत्यादि भी हैं ?

जेल मन्त्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

बंदी चार्ल्स सोबराज को तृतीय न्यायिक मैजिस्ट्रेट, वाराणसी के आदेशानुसार जिला जेल, वाराणसी में उच्च श्रेणी दी गई है ।

उसके पास टाइपराइटर मशीन, ट्रांजिस्टर इत्यादि नहीं है ।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है जेल मैनुअल के अनुसार डिस्ट्रिक्ट जज, जिलाधिकारी, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, होम सेक्रेटरी सुपीरियर क्लास दे सकते हैं । चार्ल्स सोबराज कुख्यात अपराधी है । थाइलैंड, मलेशिया और अन्य देशों में उनके ऊपर मुकदमें हैं । ऐसी स्थिति में एक न्यायिक मैजिस्ट्रेट द्वारा कैसे सुपीरियर क्लास दिया गया है ।

श्री राम सिंह खन्ना--

यह तिहाड़ जेल में बंद थे और इनको वहां 'बी' श्रेणी दी गयी थी। जब वह वहां से भेजे गये यहां ट्रायल के लिये वाराणसी आये तो उनको यहां सुनिश्चित हुआ कि उनको 'बी' श्रेणी दी जायेगी और उनको वह 'बी' श्रेणी दी गयी।

श्री यदुनाथ सिंह---

मैं उस जेल में रहा हूं। जहां तक 302 आई0 पी0 सी0 का सवाल है ट्रायल कभी न्यायिक मैजिस्ट्रेट के यहां नहीं होगा, ट्रायल एडीशनल जज के यहां होना चाहिय। तो किस तरह से तृतीय न्यायिक मैजिस्ट्रेट ने उनको दे दिया।

श्री अध्यक्ष----

आप प्रश्न कीजिये।

श्री यदुनाथ सिंह---

मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि उसने अपने टिकट पर फर्जी तरीके से सुपीरियर क्लास मेंशन कर रखा है। तो क्या इसको जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

न्यायिक मैजिस्ट्रेट के आदेश का पालन किया गया है इसमें मन्त्री जी क्या करेंगे ?

श्री मोहन सिंह---

मान्यवर, प्रश्न केवल इतना है कि उत्तर प्रदेश का जो जेल मैनुअल है उसमें न्यायिक मैजिस्ट्रेट को सुपीरियर क्लास देने का कोई अधिकार नहीं है। माननीय सदस्य का आरोप है कि तिहाड़ जेल से चलते समय उसने स्वयं अपने टिकट पर बना लिया क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय जालसाज है। तो क्या मन्त्री जी इस बात की जांच करा लेंगे कि क्या इस अभियुक्त को तिहाड़ सेंट्रल जेल में 'बी' क्लास मिली थी और अगर नहीं मिली थी तो उसको सुपीरियर क्लास देने का क्या औचित्य है ?

श्री राम सिंह खन्ना---

जहां तक इसका सवाल है कि जाली बनाकर न्यायिक मैजिस्ट्रेट को धोखा देने में कामयाब हुआ है तो इसकी जांच करा ली जायेगी।

श्री मुख्तार अनीस---

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि वह अपराधी बहुत बड़ा जालसाज है और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का स्मगलर भी है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो उससे मिलाई होती है और अन्य कुख्यात अपराधी उससे मिलने आते है। इस पर प्रतिबंध लगाकर उसको एक अकेली कोठरी में रखने की व्यवस्था करायेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना---

उसकी व्यवस्था करा देंगे।

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, एक प्रश्न हमें और कर लेने की इजाजत दें क्योंकि मेरे प्रश्न का अभी उत्तर नहीं आया। उसके पास टाइप राईटर मशीन, टेप-रिकार्ड, ट्रांजिस्टर आदि पाये जाते हैं, जो जेल मैनुअल के विरुद्ध हैं, इसका जवाब मान्यवर, दिलवा दीजिए।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये, इसका जवाब आ गया है कि वहां पर कोई चीज नहीं पायी गयी।

(व्यवधान)

भूतपूर्व विधायक, श्री सतीश चन्द्र शर्मा की हत्या के अभियुक्त को जिला कारागार, फतेहगढ़ में अंधा करने का आरोप तथा जांच रिपोर्ट

*17--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि एटा जनपद के भू0 पू0 विधायक, श्री सतीश चन्द्र शर्मा की हत्या के अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस के गवाह राम प्रकाश को हाल में ही एटा, जिला कारागार में (जहां वह बंद थे) जहर देकर अंधा कर दिया गया ? जिससे अन्य गवाहों में भय तथा आंतक व्याप्त हो गया है ? यदि हां, तो अन्धा किए जाने की घटना कैसे हुई ? तथा इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जिला कारागर, एटा में राम प्रकाश के नाम का कोई बंदी न बंद था और न बंद है, किन्तु जिला कारागार, फतेहगढ़ में विचाराधीन बंदी राम प्रकाश बंद है। उसको जहर देकर अंधा करने का आरोप निराधार है। बंदी "क्रानिक ट्रकोमा" का मरीज है और बंदी को दिखाई देता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न के द्वारा जो शिकायतें की गयी थीं कि उसने किसी अपराधी के अगेन्सट गवाही दी थी, इसलिए उसे जानबूझ कर जहर दिया गया, इसकी जांच किस से कराई गयी और रिपोर्ट इसकी क्या है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

इसकी जांच डी0 आई0 जी0, कारागार से कराई गयी और उनकी रिपोर्ट के अनुसार ऐसी किसी चीज का कोई प्रमाण नहीं मिला कि उसको कोई नशीली चीज या बीड़ी आदि पिलाई गयी हो।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जो उसने शिकायत की थी कि उसे किसी बाहर के आदमी ने आकर धूम्रपान के जरिये नशीली चीज दी, तो क्या इस बात की जानकारी कराई गयी कि यह धूम्रपान कहां से और किसके जरिये से जेल के अन्दर पहुंची और उसको इस्तेमाल करा दिया गया ?

श्री राम सिंह खन्ना—

यह जांच के बाद भी प्रमाणित नहीं हो सका कि वहां बीड़ी आदि आयी और उसको पिलाई गयी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

जैसा कि आपने अपने उत्तर में पढ़ा कि उसको दिखाई देता है और उसे जहर देकर अंधा करने का आरोप निराधार है, तो क्या आपने इसकी जांच किसी डाक्टर से कराई थी और यदि कराई थी तो उसकी जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

इसकी जांच मेडिकल कालेज, कानपुर में कराई गयी थी जहां पर यह पाया गया कि यह बंदी "क्रानिक ट्रकोमा" का मरीज है और उसे दिखाई भी देता है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय सदस्य का आरोप है कि उसे अंधा कर दिया गया है, माननीय मंत्री जी का कहना है कि उसे दिखायी देता है, तो किस डाक्टर ने सर्टीफिकेट दिया है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जिस डाक्टर ने जांच की उसकी रिपोर्ट है, अगर आप स्वयं भी बन्दी को देखना चाहें तो मुलाकात हो सकती है और यह मालूम हो जायगा कि बन्दी को दिखाई देता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जिस समय वह कैदी जेल में आया, उस समय उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ होगा, क्या उस समय की रिपोर्ट में यह दिया हुआ है कि वह आंख का रोगी है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

नहीं, उस वक्त नहीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

तो फिर 15–16 दिन बाद हादसा होता है कि अंधा कर दिया जाता है । अगर वह बीमारी की बजह से हुआ तो 15 दिन में इतनी गम्भीरता नहीं हो सकती कि दिखायी न दे । मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट क्या है, क्या उसमें आई साइट वगैरह दिखायी गयी है और उसमें मोतियाबिन्द का होना दिखाया गया है ? यदि नहीं, तो तबीयत खराब होने पर उसकी जांच जेल के मेडिकल आफीसर से करानी चाहिये न कि उनको दूसरी जगह भेज दिया गया ।

श्री राम सिंह खन्ना—

उनकी तबीयत खराब हुई, उसके बाद उनको वहां भेजा गया था, वहां देखने पर यह पता चला कि क्रानिक डिजीज है । आपकी जानकारी में अगर इसके अतिरिक्त कोई बात है तो बतायें मैं जांच करा दूंगा ।

शासन के विभागाध्यक्ष की तरह विधायकों को समान सुविधायें दिये जाने पर विचार

*18--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि शासन के विभागाध्यक्ष को उनसे 100 रुपये प्रति माह लेकर कार, ड्राइवर और पेट्रोल मुफ्त दिये जाने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या यही व्यवस्था विधायकों के लिए भी लागू करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

प्रश्न सीधा सादा है कि क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि शासन के विभागाध्यक्ष को उनके 100 रु0 प्रति माह लेकर कार ड्राइवर और पेट्रोल मुफ्त दिये जाने की व्यवस्था है ? पहले भी यह प्रश्न आया था और यही जवाब दिया गया था कि सूचना एकत्रित की जा रही है । 13-10-81 को इसको पुनर्जीवित कराया गया तब भी यही जवाब दिया गया कि सूचना एकत्रित की जा रही है । मैं इसका जवाब चाहूंगा कि अब तक सूचना एकत्रित न किये जाने का कारण क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

परिवहन विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । संसदीय विभाग को लिखा गया है कि उनके यहां तो कहीं ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है । उनके यहां से जब सूचना आ जायगी तो सदन को सूचित कर दिया जायगा ।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, मुझे समय दे दें । मेरा प्रश्न संख्या 15 गलत तरीके से निरस्त कर दिया गया । यह प्रश्न भिन्न है, मैं पढ़कर सुना दूं ।

श्री अध्यक्ष--

पहले और प्रश्न हो जाने दीजिये ।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, मैं अपना प्रश्न पढ़ देता हूं ।

(विपक्ष की ओर से व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार--

[× × ×]

(घोर व्यवधान)

(विपक्ष के काफी माननीय सदस्य खड़े हो गये और उन्होंने आपत्ति प्रगट की ।)

नोट :--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री चेतराम गंगवार--

[× × ×]

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष --

माननीय सदस्य, कृपया शान्त हो जायं ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

माध्यवर, कृपया यह अन्ताक्षरी बन्द करा दीजिये जो दोनों तरफ से हो रही है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं । कृपया अब आप लोग आपस में बात न करें ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

आपकी आज्ञा शिरोधार्य है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय बाजपेयी जी, कृपया आप शान्त रहें । कभी-कभी शान्त रहना भी लाभकर होता है , अभी प्रश्न चल रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं थी जिसमें इस प्रकार की उत्तेजना पैदा होती । कभी- कभी जो सदन में उत्तेजना पैदा होती है और हमारी यह उत्तेजना बाहर प्रदर्शित होती है और उस उत्तेजना के पीछे कोई वाजिब कारण होता है । तो मैं समझता हूं कि आम लोग उसको बरदाश्त कर लें । जब अकारण इस तरह की उत्तेजना होती है तो इससे सदन के गौरव पर असर पड़ता है । मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने उसे अपने कानों से सुना है और उसे मैं कार्यवाही से निकलवा दूंगा । माननीय सदस्य से यह कहना है कि आप अपने भावों को यदि अच्छे शब्दों में प्रदर्शित करने में अक्षम हैं तो...

श्री चेतराम गंगवार--

ऐसी बात नहीं है । मान्यवर, इसी पीठ के ऐसे शब्दों के लिये कई बार निर्णय हुए हैं ।

(व्यवधान)

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

मान्यवर, बरेली और आगरा दोनों इकट्ठा हैं, इसको भी सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

मैं सभी सदस्यों से कहता हूं कि कृपया वे शान्त रहें ।

नोट :--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, इसी पीठ से कई बार निर्णय हुए हैं। माननीय आत्मा राम गोविन्द खेर ने निर्णय दिया। मान्यवर, बहुगुणा जी ने क्या कहा, चरण सिंह ने क्या कहा, इसको आप देखें।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायं।

श्री मोहन सिंह--

आप कभी नई व्यवस्था नहीं दे सकते क्या ?

श्री अध्यक्ष--

कोई भी इस पीठ से कभी भी अगर ऐसा निर्णय हुआ है जिसमें सदन की गरिमा व सदन के गौरव के सम्बन्ध में कोई बात जब मुझे लगती है कि वह सदन के गौरव को बढ़ाने में नहीं बल्कि उसको घटाने में है तो मैं सक्षम हूं कि उसको बदल दूं। मैं समझता हूं कि हम और आप कितने भी आक्रोश में हों, कितनी भी बात आक्रोश में कहना चाहते हैं परन्तु यह ध्यान रखें कि हमारी शब्दावली ऐसी होनी चाहिये, जिससे कि सदन की गरिमा बनी रहे।

(विपक्ष की ओर से मेजों का थपथपाया जाना।)

अल्पसूचित तारांकित

प्रश्न

प्रदेश व लखनऊ जनपद की सा० नि० विभाग की समीक्षा समितियों की समाप्ति तथा जिला मार्ग विकास समिति का गठन

**1--श्री सन्तबक्स रावत--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश एवं लखनऊ जनपद की सा० नि० विभाग की समीक्षा समितियों को विशेष सचिव, सा० नि० वि० द्वारा अपने पत्र संख्या 3736(1)-81/1/23--सा० नि० वि०-9, दिनांक 20 अक्तूबर, 1981 के आदेश से समाप्त कर दी गयी है ? यदि हां, तो इनके समाप्त करने का कारण क्या है ? भविष्य में प्रत्येक मास समीक्षा करने की व्यवस्था किस प्रकार होगी ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

जी हां। जिला प्रगति समीक्षा समितियों को इस कारण समाप्त कर दिया गया था कि जिला स्तर पर "जिला मार्ग विकास समिति" का गठन शासनादेश संख्या 761-ई/23-सा० नि० अनु०-11-142-ई-80, दिनांक 11 फरवरी, 1981 द्वारा कर दिया गया है, जो कि मार्गों एवं सेतुओं की जिले की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगी। इस समिति की बैठकें वर्ष में कम से कम चार बार होगी।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 18 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री सन्त बक्स रावत—

मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि 11 फरवरी, 1981 से सम्बन्धित शासनादेश द्वारा इस नई समिति का गठन किया गया है। मान्यवर, 11 फरवरी, 1981 को यह आदेश माननीय मन्त्री जी का होता है और इस आदेश के परिपालन के लिए विभाग से एक पत्र जाता है श्री ओंकार नाथ प्रसाद, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का दिनांक 20 अक्तूबर, 1981 को, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इसके स्थान पर एक दूसरी समिति का गठन कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में इस समिति की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस नई समिति की रूप रेखा क्या है और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जो पहले समिति बनाई गई थी समीक्षा समिति उसमें समस्त विधायकगण, संसद के सम्मानित सदस्यगण और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी हुआ करते थे। अब जो दूसरी समिति का गठन किया गया है उसका नाम जिला मूल्यांकन समिति रखा गया है। पहली समिति का काम केवल समीक्षा करना होता था रिव्यू करना होता था। अब जो दूसरी समिति बनाई गई है उसमें तमाम सब महत्वपूर्ण विभाग जैसे गन्ना विकास, कृषि विकास, वन विभाग, उद्योग विभाग इन सब तमाम विभागों को उसमें सम्मिलित किया गया और इसका काम केवल समीक्षा तक सीमित न रख कर उसका काम योजना बनाने, सड़कों के एलाइनमेन्ट को सही करने और डिस्ट्रिक्ट की एक योजना तैयार करना, उसमें तालमेल करना और जिसके अन्दर हर विभाग का जो इन्टरेस्ट हो वह सही तरीके से देखा जा सके। तो इसका जो कार्य क्षेत्र है काफी विस्तृत है और काफी दूसरे बिन्दुओं को भी कवर करता है। समीक्षा समिति के रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब एक बड़ी कमेटी सब का रेप्रेजेंटेशन कराने के लिए बना दी गई है, इसलिये इसको समाप्त कर दिया गया।

श्री सन्त बक्स रावत—

इसका उत्तर नहीं दिया गया कि अध्यक्षता कौन करेगा ? आपकी पीठ से भी कई बार इस प्रकार का आदेश प्रसारित हुआ है कि अगर इस समिति में कोई अधिकारी अध्यक्षता करेगा तो हमारे माननीय विधायक उसमें शामिल नहीं होंगे। अभी 4 फरवरी को जब कार्यवाही चल रही थी तो मैंने इस सम्बन्ध में एक व्यवस्था का एक प्रश्न उठाया था और वह व्यवस्था अभी तक सुरक्षित है। स्थिति यह है कि हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि हमारे विधायकों को उसमें नहीं जाना चाहिये। यानी जिन मीटिंग्स में आफिशियल प्रोसाइड करेगा उसमें हमारे विधायकों को नहीं जाना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जब इन समितियों की अध्यक्षता जिला अधिकारी करेगा तो विधायक उसमें शामिल होंगे अथवा नहीं होंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

शासन का जो आदेश है उसमें जिलाधिकारी का नाम नहीं है। उसमें लिखा है अध्यक्ष जिला परिषद्। जब 1979 में पहले समिति बनी थी जो उस समय निश्चय हुआ था कि समिति के अध्यक्ष के विषय में अलग से आदेश पारित किया जायगा। शासन ने वह अधिकार अपने पास सुरक्षित रखा था, इससे यह बात साफ होती है कि अध्यक्ष, जिला परिषद् इसका अध्यक्ष हुआ करेगा। लेकिन वैसे उस वक्त जिसको सरकार नामांकित करेगी, यहां नामांकन की प्रथा पर बल दिया गया है। सरकार जिसका नामांकन करेगी वही इसका अध्यक्ष होगा।

श्री सन्त बख्श रावत--

इस समिति को गठित हुए आज पूरा एक वर्ष हो गया और अभी तक एक भी बैठक समिति की नहीं हो सकी है । मैं समझता हूं कि यह शासन की लापरवाही के कारण है क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक उसके अध्यक्ष का मनोनयन नहीं किया गया है और ऐसी स्थिति में जो हमारी सड़कें हैं या सर्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत होने वाले पुल व भवन हैं, उनकी समीक्षा होनी चाहिये थी जो नहीं हो पायी है । तो मैं जानना चाहता हूं कि कितने समय में सरकार वहां अध्यक्ष को नामिनेट करने की व्यवस्था करेगी ? साथ ही मन्त्री जी इसको भी स्पष्ट करें कि जिला परिषद् का कोई अध्यक्ष जहां तीन वर्ष से कोई है ही नहीं, ऐसी स्थिति में वहां समिति की अध्यक्षता कौन करता होगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय सदस्य ने जो बात कही कि अध्यक्ष का नामिनेशन शासन से किया जाय, अगर वे सिद्धान्ततः इससे सहमत हैं तो मुझे बतला दें ।

श्री हरगोविन्द वर्मा--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि आपकी सीट से जो व्यवस्था दी गयी है उसके आधार पर यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी समिति जिला स्तर पर बनेगी उसका अध्यक्ष अगर कोई आफिसर होगा उसमें माननीय सदस्यों को शिरकत नहीं करना चाहिये । ऐसी स्थिति में जब कि उस समिति में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि मौजूद होंगे, उसमें क्या माननीय मन्त्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे वहां मौजूद सदस्य असेम्बली या सदस्य पार्लियामेन्ट उसकी अध्यक्षता करेगा ? ऐसी कोई रूलिंग या ऐसा कोई जी० ओ० जिले के अफिसरों के पास माननीय मन्त्री जी अदेशित करने की कृपा करेंगे जिससे सदस्यों का अपमान न हो ? क्या वे ऐसा करने के लिए तैयार हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, सम्मानित सदस्य ने जो भावना व्यक्त की है मैं उससे सहमत हूं । लेकिन यह प्रश्न सिर्फ इस बात का है कि उसमें अध्यक्ष, जिला परिषद् लिखा हुआ है । अध्यक्ष, जिला परिषद् के शब्द को हटा कर नामांकित अध्यक्ष वहां पर कर दिया जाय या नहीं प्रश्न यह है क्योंकि एक तरफ नामांकन की बात पर बहुत ज्यादा विरोध किया जाता है और दूसरी तरफ जब एक ऐसी प्रणाली अपनायी जाय कोई नियम रख दिया जाय जिससे यह बिल्कुल निश्चित हो जाय कि अध्यक्ष इलेक्टेड होगा उस पर आपत्ति होती है तो जहां तक केवल भावना व्यक्त की है उससे मैं सहमत हूं लेकिन वहां पर अध्यक्ष जिला परिषद् हो या दूसरा व्यक्ति रखा जाय, न रखा जाय, यह बात विचारणीय है ।

श्री हर गोविन्द वर्मा--

मान्यवर, जनता पार्टी ने व्यवस्था की थी कि उस समिति के माननीय विधायक या संसद सदस्य अध्यक्षता करेंगे, आज कौन सी दिक्कत ऐसी पैदा हो गई कि माननीय सदस्यों को इस अधिकार से वंचित किया गया है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्रीमती महारानी दोहरे—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा समिति का अध्यक्ष नामांकित किया गया था ? यदि किया गया था तो क्या कोई और भी प्राविधान था ? दूसरी बात यह जो अध्यक्ष नामांकित किये गये थे क्या उनका नाम बतलाने की कृपा करेंग और इनका किस दल से सम्बन्ध था ?

श्री अम्मार रिजवी—

यह मैंने पहले ही निवेदन किया था अपने उत्तर में कि पहले नामांकन की प्रथा थी । 1979 में जब समीक्षा समिति बनी तो नामांकन किया गया था...

एक सदस्य—

ऐसा नहीं था ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, अगर नहीं किया गया था तो यह आदेश है जिला प्रगति समीक्षा समिति के जिलेवार अध्यक्षों को नामांकित कर दिया गया है जिसकी प्रति (व्यवधान) लखनऊ मण्डल और राय बरेली जिले के अध्यक्ष का नामांकन अभी नहीं किया गया है । बाद में उन्हें भी कर दिया जायगा । प्रस्तुत सूची में है । लिस्ट जारी कर दी जाय । "मान्यवर, यह शासनादेश है । यह सवाल पैदा नहीं होता कि ऐसा नहीं किया गया था । जहां तक दूसरा प्रश्न जो माननीय विधायिका जी ने कहा वह एक लम्बी सूची है । मैं आगरा मंडल के सिर्फ नाम पढ़े दे रहा हूं । अगर आप कहें तो पूरा सूची...

श्री अध्यक्ष—

सूची दे दें ।

श्रीमती महारानी दोहरे—

यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सदन के सामने सूची पढ़ दें ।

श्री अध्यक्ष—

पढ़ दीजिए ।

श्री अम्मार रिजवी—

आगरा—चौधरी बदन सिंह, मथुरा—श्री ओंकार सिंह, एटा—श्री जसवीर सिंह, अलीगढ़—श्री नन्हें सिंह चौहान, मैनपुरी—श्री गंगा सहाय यादव । इसी तरह से इलाहाबाद—श्री जंग बहादुर पटेल, इटावा—श्री महेन्द्र सिंह यादव, फर्रुखाबाद—श्री अनवार अहमद, और कानपुर—श्री भगवान दीन कुशवाहा ।

श्री भीखा लाल—

माननीय मंत्री जी ने एक बात पर जोर दिया कि नामांकन से आप सहमत हुये, मैं कहना चाहता हूं कि नामांकन चाहे पहले की सरकार ने किया या आपकी सरकार करे मैं उसका सख्त विरोध करता हूं । एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यह समीक्षा समिति खत्म कर दी गयी थी और जिला स्तर पर विकास समिति बना दी गई है । शासन के आदेश हैं कि जो मंडलीय मंत्री हैं

उन समितियों से उनको भी एसोसिएट किया जाय और उनकी कभी बैठक हो तो मंडलीय मंत्री उन समितियों को प्रिजाइड करेंगे... शासन को क्या आपत्ति है कि यदि मंडलीय मंत्री अनुपस्थित हों तो संसद सदस्य अथवा विधान सभा के सदस्य हिन्दी वर्णमाला के अनुसार बारी-बारी से उसके अध्यक्ष नियुक्त किये जायं ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन्, माननीय भीखालाल जी एक वरिष्ठ सदस्य हैं हम सब यह मानते हैं और जो सुझाव उन्होंने दिया है वह स्वीकार है ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, उन्होंने श्री भीखालाल जी का सुझाव स्वीकार किया तो क्या आप इस बात को भी देखेंगे और आदेश जारी करेंगे कि इन समितियों में जो जिले के सम्बन्धित अधिकारी हैं वे अवश्य उसमें शिरकत करें । क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि वे वहां जाने पर अपने को ह्यूमिलियेटिंग फील करते हैं ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, ऐसे आदेश हैं । अगर कोई अधिकारी वहां जाने में असमर्थ है, बीमार है, कंजुअल लीव पर है तब तो हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन अगर जानबूझकर वह नहीं जाता है तो जो भी कार्यवाही होगी, वह की जायेगी ।

जिला मुख्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति के आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारियों की नियुक्ति

**2--श्री माधव प्रसाद, श्री जियाराम शुक्ल विकल साकेती तथा श्री शेरबहादुर--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मुख्यालयों में अनुसूचित एवं अनुसूचित जन-जाति के कम से कम एक-एक आई० पी० एस० तथा आई० ए०एस० अधिकारी की नियुक्ति किए जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ?

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

जी नहीं ।

श्री माधव प्रसाद--

क्या माननीय गृह राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन में कितने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारी इस वक्त सेवारत हैं ? क्या शासन हरिजनों की सुरक्षा सम्बन्धी अपनी घोषित नीति के आधार पर प्रत्येक जिले के मुख्यालय में एक-एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारी की नियुक्ति करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, शासन हरिजनों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए कृत संकल्प है और जहां तक जातीयता के आधार पर एक-एक आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारी की नियुक्ति का प्रश्न है, यह उचित नहीं है । इस-लिए इस पर कोई विचार नहीं हो रहा है ।

श्री माधव प्रसाद--

माननीय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । मैंने पूछा था कि इस समय शासन में कितने आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सेवारत हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न आपने किया था कि क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मुख्यालयों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कम से कम एक-एक आई० पी० एस० तथा आई० ए० एस० अधिकारी की नियुक्ति किए जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है । इस पर उन्होंने उत्तर दे दिया "जी नहीं" अब कितने हैं, इसका उत्तर मंत्री जी दे सकें तो ठीक है वैसे यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

माननीय, 58 अनुसूचित जाति के और 6 अनुसूचित जनजाति के आई० ए० एस० तथा 45 अनुसूचित जाति के और 3 अनुसूचित जनजाति के आई० पी० एस० अधिकारी सेवारत हैं ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

माननीय, मैं जानना चाहता हूं क्योंकि सम्पूर्ण जिलों में तो ऐसे अधिकारियों को एप्वाइन्ट करना सम्भव नहीं है किन्तु ऐसे जिलों में जहां अनुसूचित जाति के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है या जो एरिया संवेदनशील हैं वहां एक-एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आई० ए० एस० और एस० पी० को नियुक्ति करने की कृपा करेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

इस पर विचार कर लिया जायेगा ।

श्री मोती लाल देहलवी--

अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हर जिले में आई० ए० एस० और आई० पी० एस० लोगों को नियुक्त करना उचित नहीं है । मैं जानना चाहूंगा कि वे इसे किस आधार पर अनुचित मानते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि जातीयता के आधार पर करना उचित नहीं है ।

श्री मोतीलाल देहलवी--

माननीय, यह सरकार बार-बार कहती है कि यह हरिजनों के कल्याण के लिए कृत संकल्प है । आज हरिजनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और इसलिए आजकल इसका औचित्य और भी बढ़ जाता है । इसलिए मंत्री जी किस आधार पर यह कह रहे हैं कि उनको नियुक्ति करना उचित नहीं है ? अनुचित क्यों है ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि जातीय आधार पर करना उचित नहीं है ।

श्री मित्र सेन—

जातीय आधार पर उत्पीड़न किया जा रहा है, हरिजन होने के नाते उनको सताया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

उस पर उन्होंने कहा कि विचार करेंगे । श्री राम स्वरूप वर्मा जी के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि जो संवेदनशील स्थान हैं वहां के लिए विचार करेंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित कि जहां पर हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं वहां पर हरिजन आई० पी० एस० और हरिजन आई०ए०एस० अधिकारी नियुक्त करने पर विचार करेंगे । तो क्या शासन की यह मान्यता है कि केवल हरिजन अधिकारी ही उनकी रक्षा कर सकते हैं दूसरी जाति के लोग नहीं कर सकते हैं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

यह बात नहीं है । हर वर्ग के योग्य अधिकारी जिनकी शासन के प्रति प्रतिबद्धता है, यह मान्यता है ।

श्री दामोदर शर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जहां अनुसूचित जनजाति के एक आई० पी० एस० और एक आई० ए० एस० से ज्यादा अधिकारी है क्या उनको हटाने की कोई व्यवस्था कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

मान्यवर, मेरे सवाल का जवाब आ जाना चाहिए मैं जबरदस्त पीड़ित हूं ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

जाति के आधार पर किसी को रखना या हटाना इस पर विचार नहीं हो रहा है ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उनके मस्तिष्क में यह विचार है कि चूंकि हरिजन उत्पीड़न विगत वर्षों की तुलना में कम हो रहा है इसीलिए जो विगत वर्षों में 15 जिलाधिकारी और 12 पुलिस अधीक्षक रखे गये थे उनकी संख्या अब जिलाधिकारी 7 और पुलिस अधीक्षक 6 कर दिये हैं । क्या यह इस बात को मस्तिष्क में रख कर किया गया है कि हरिजनों की अब कोई समस्या नहीं रह गयी है इसीलिए संख्या उनकी घटा दी गयी है ? यदि नहीं तो क्या पुनः पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी के रूप में 15, 18 के हिसाब से उनकी संख्या बढ़ा देंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

हरिजन उत्पीड़न केवल अधिकारियों के नियुक्त होने के कारण या नियुक्त न होने के कारण हो रहे हैं ऐसी शासन की मान्यता नहीं है । योग्य अधिकारी चाहे जिस जाति या वर्ग के हों उनकी उपयुक्तता के आधार पर निश्चितरूप से शासन विचार करता है और विचार कर रहा है ।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्योंकि स्पष्टतया सरकार की यह नीति है कि 18 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति और 2 प्रतिशत स्थान जनजाति से भरे जायेंगे तो क्या जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति करते समय इस आरक्षण के नियम को लागू करेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों के लिए यह रिजरवेशन है किसी स्थान पर नियुक्त करने के लिए नहीं ।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हरिजनों को आरक्षण जाति के आधार पर दिया जाता है या किसी और आधार पर दिया जाता है । अगर जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता ह तो उस जाति के आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारियों को जाति के आधार पर नियुक्त करने में क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष--

नियुक्त करने का क्या सवाल है ?

श्री भूप सिंह केन--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब जाति के आधार पर नियुक्तियां होती हैं और उनको चुना जाता है तो जाति के आधार पर डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर में क्यों नहीं नियुक्त किया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर वे दे चुके हैं ।

(व्यवधान)

श्री राम स्वरूप वर्मा--

साढ़पुर और देवली हत्या कांड जिस मैनपुरी जिले में हुये हैं वहां पर जिलाधिकारी सवर्ण जाति के हैं, क्या वहां पर अनुसूचित जाति के जिलाधिकारी भेजेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इसकी मैं इजाजत नहीं देता हूं, इसके लिये वे कह चुके हैं ।

श्री हर गोविन्द वर्मा--

जब हरिजन जिलाधिकारी जिलों में नियुक्त थे तो हरिजन उत्पीड़न कम था, इसको देखते हुये क्या मंत्री जी उत्पीड़न वाले जिलों में हरिजन जिलाधिकारियों को नियुक्त करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर वे दे चुके हैं ।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द--

जिन जिलों में हरिजन अधिकारी नियुक्त हैं और वहां हरिजन उत्पीड़न होता है, तो क्या वहां के अधिकारियों के खिलाफ भी मंत्री जी कार्यवाही करेंगे ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द--

ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये ।

श्री राम आसरे वर्मा--

इस समय मुख्यालयों पर जो आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारी नियुक्त हैं और उनमें जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के अधिकारी हैं, क्या वे सभी आवश्यक शर्तें पूरी करते हैं या नहीं ? आरक्षण के हिसाब से वे हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी ने बताया है कि भर्ती में आरक्षण है, पोस्टिंग में नहीं है ?

श्री राम आसरे वर्मा--

श्रीमन्, उत्तर दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष--

उसका उत्तर वे दे चुके हैं । अब प्रश्नों का समय समाप्त हो गया । मैं नियम 301 की सूचनायें लेता हूं ।

अतारांकित प्रश्न

1--श्री विजय सिंह (मिर्जापुर)--

[6ठे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जूनियर इंजीनियरों को असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर प्रोन्नति

2--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979 व 1980 के बीच कितने जूनियर इंजीनियरों की पदोन्नति करके असिस्टेंट इंजीनियर बनाया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वर्ष 1979 तथा 1980 में शासन द्वारा कुल 92 अवर अभियंता (सिविल) को सहायक अभियंता पद पर प्रोन्नति के आदेश इस प्रतिबंध के साथ निर्गत किये गये कि यदि उनमें से किसी के विरुद्ध पिछले पांच वर्षों में कोई दन्ड या अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी हो तो उसे सहायक अभियंता पद का कार्यभार न सौंपा जाय ।

नोट--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

क्त के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त 92 प्रोन्नत अवर अभियंताओं में से केवल 86 को ह यक अभियंता पद पर स्थापना प्रमुख अभियंता द्वारा की गयी । शेष 1 को त्यु हो गयी तथा 5 के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित होने के कारण स वर्ष विशेष में सहायक अभियंता पद पर स्थापना नहीं की जा सकी ।

कोटद्वार के प्रस्तावित फ्लेश डोर फैक्ट्री, के निर्माण कार्य में अनुमानित लागत

--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि फ्लेश डोर फैक्टरी, द्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ है, कुल कितनी लागत वन तथा मशीनों पर व्यय हुई है और उत्पादन किस तिथि से आरम्भ हुआ है ?

र्वतीय विकास एवं फल उपयोग राज्य मंत्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)--

कोटद्वार में प्रस्तावित फ्लेश डोर फैक्ट्री का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं आ है । भवन निर्माण पर अभी लगभग 6 लाख रुपये का व्यय हुआ है तथा मशीनों : अभी कोई व्यय नहीं किया गया है । उत्पादन आरम्भ होने का प्रश्न नहीं ठता ।

--श्री हरिवंश सहाय--

[छठे बुधवार के लिए स्थगित]

--श्री प्रभु नारायण सिंह--

[छठे बुधवार के लिए स्थगित]

श्री माता प्रसाद ग्राम घमोलिया की बस दुर्घटना से मृत्यु तथा आश्रितों को सहायता

--श्री मित्रसेन--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि माता प्रसाद पुत्र करिया, ग्राम ोलिया की मृत्यु दिनांक 6-12-81 को रोडवेज, फैजाबाद बस नं0 7887 यू0 0 एक्स0 से हुई दुर्घटना में हो गई है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध) 261 धारा 204-ए, थाना इनायत नगर, फैजाबाद में दर्ज कराई गयी है ? द हां, तो मृतक के परिवार व आश्रितों को सरकार द्वारा क्या आर्थिक सहायता गयी और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? अगर नहीं, तो ों ?

वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में मारे गये शहीदों के स्मारक बनवाने पर निर्णय

--श्री जंग बहादुर तथा श्री राम समुझावन--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में मारे गये हीदों के स्मारक बनवाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह कार्य कब से रम्भ किया जायेगा ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां । स्मारकों के प्रस्तावों पर अन्तिम रूप दिये जाने के बाद निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा ।

8—कु0 अलमेलु अम्माल—

[6ठवें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

9—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[5वें बुधवार के लिए स्थगित]

10—श्री विजय सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय में द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रिक्त पद

11—श्री श्यामलाल बाजपेयी—

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1977 से लेकर 10 जनवरी, 1982 तक निदेशालय में द्वितीय एवं तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के कितने ऐसे पद रिक्त हैं जिन पर आज तक नियुक्ति नहीं हो सकी है ?

श्री गुलाब सेहरा—

हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय में 1977 से 10 जनवरी, 1982 तक द्वितीय श्रेणी के 4 पद, तृतीय श्रेणी के 17 पद एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 4 ऐसे पद रिक्त हैं जिन पर आज तक नियुक्ति नहीं की जा सकी है ।

निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण द्वारा दौरे पर व्यय

12—श्री श्यामलाल बाजपेयी—

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण द्वारा 1981-82 में कितनी धनराशि दौरे के रूप में खर्च किया गया है ?

श्री गुलाब सेहरा—

निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 1981-82 में 5681·05 पैसे की धनराशि दौरे के रूप में यात्रा भत्ता मद में व्यय की गयी है ।

निदेशालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को ओवर टाइम में दी गयी धनराशि

13—श्री श्याम लाल बाजपेयी—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि निदेशालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ओवर-टाइम के रूप में तथा हैन्ड स्लिप के रूप में कितनी धनराशि व्यय की गयी है ?

श्री गुलाब सेहरा--

निदेशालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को ओवर टाइम या हैन्ड स्लिप के रूप में किसी प्रकार की कोई धनराशि व्यय नहीं की गयी है ।

सेवा निवृत्त सहायक अभियन्ता, उत्तरकाशी को भविष्य निर्वाह निधि, ग्रेच्युटी एवं पेन्शन का भुगतान

14--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शिवराज सिंह बल्वाल, ावा निवृत्त सहायक अभियन्ता जो सिंचाई खन्ड प्रथम उत्तरकाशी से दिनांक 31-7-80 को सेवा निवृत्त हुये थे, को उनकी भविष्य निर्वाह निधि ग्रेच्युटी एवं न्शन का भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो इस विलम्ब का क्या कारण है ौर उक्त सभी भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

ी वीर बहादुर सिंह--

श्री शिवराज सिंह सहायक अभियंता को प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग के ाप संख्या 8653--ई-1 (ख) दिनांक 23-11-81 के द्वारा 495·12 रुपये तिमाह की दर से अन्तिम पेन्शन स्वीकृत की जा चुकी है । भविष्य निर्वाह निधि भुगतान से पूर्व महालेखाकार की स्वीकृति एवं ग्रेच्युटी के भुगतान के पूर्व सतर्कता ाभाग से जांच स्थिति प्राप्त होनी है, जो अभी अपेक्षित है ।

राज्य मंत्री, शोषित समाजदल उत्तर प्रदेश के पत्र में दिये गये सुझाव

15--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें जनवरी, 1982 के पहले ाप्ताह में राज्य मन्त्री, शोषित समाज दल, उत्तर प्रदेश का कोई पत्र मिला है क परिवहन विभाग में घाटा क्यों है और किस प्रकार इसे लाभ पर चलाया ा सकता है ? यदि हां, तो उनके दिये गये सुझावों की मुख्य बातें क्या हैं और रकार उक्त सम्बन्ध में क्या करने जा रही है ?

ी वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं, राज्य मंत्री शोषित समाज दल उत्तर प्रदेश का कोई पत्र जनवरी, 1982 के पहले सप्ताह में प्राप्त नहीं हुआ है । अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

द्वितीय मण्डल, सिंचाई कार्य, कानपुर के अधीन जिलेदारों को सेवा निवृति के बाद दक्षता रोक पार करने के आदेश

16--श्री दलगंजन सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता द्वितीय ण्डल कानपुर के अधीन ऐसे कितने जिलेदार रहे हैं, जिन्हें बाद सेवा निवृत्त, क्षता रोक पर आदेश दिया गया है और आदेश संख्या 5358 पी0 एफ0 दिनांक 20-12-74 द्वारा स्वीकृत देयों का भुगतान अब भी नहीं किया गया ै ? क्या सरकार उन देयों का भुगतान कराने की कृपा करेगी और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

द्वितीय मण्डल, सिंचाई कार्य, कानपुर के अधीन केवल एक जिलेदार ऐसे थे जिन्हें बाद सेवा निवृत्ति दक्षतारोक पार करने के आदेश दिनांक 21-12-74 को दिये गये। उनके देयों में से केवल दिनांक 25-12-66 से 28-2-67 यथा 28-8-67 से 1-9-68 तक की अवधि का भुगतान किया जाना शेष है। जिसके लिये कार्यवाही की जा रही है।

17---श्री प्रभुनारायण सिंह---

[6ठे बुधवार के लिए स्थगित]

18---श्री प्रभुनारायण सिंह---

[8वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जमरानी बांध परियोजना के द्वितीय चरण का सर्वेक्षण तथा निर्माण सामग्री का परीक्षण

19---श्री जसवन्त सिंह विष्ट---

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जमरानी बांध, जनपद नैनीताल के दूसरे चरण को स्वीकृति हो गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जमरानी बांध परियोजना के द्वितीय चरण, जिसके अन्तर्गत बांध तथा सम्बद्ध कार्यों का निर्माण किया जाना है, पर व्यय वित्त समिति की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। द्वितीय चरण कार्यों के लिये सर्वेक्षण तथा निर्माण सामग्री परीक्षण का कार्य किया जा रहा है तथा पुनरीक्षित परियोजना प्राक्कलन स्वीकृति हेतु तैयार किया जा रहा है।

20---श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री---

[6ठे बुधवार के लिए स्थगित]

21---श्री माधव प्रसाद, श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री शेर बहादुर---

[5वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या---2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अकबरपुर, जिला फैजाबाद में आश्रम पद्धति विद्यालय खोलने का प्रस्ताव

22---श्री सुरेन्द्र प्रताप नारायण तथा श्री प्रियदर्शी जेतली---

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर, जिला फैजाबाद में आश्रम पद्धति विद्यालय खोलने पर विचार कर रहा है। यदि हां, तो कब तक ?

श्री गुलाब सेहरा---

अकबरपुर, जिला फैजाबाद में आश्रम पद्धति विद्यालय खोलने के प्रस्ताव के औचित्य के सम्बन्ध में आवश्यक आंकड़े व सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं। इनके उपलब्ध होने पर ही शासन द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

23--श्री कुबेर भण्डारी--

[7वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 86 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

बस-स्टेशन, कैसरबाग, लखनऊ के जलपान गृह व अन्य ठेकों के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

24--श्री अकबर हुसैन--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 3 दिसम्बर, 1981 को माननीय विधायक श्री झिलमिट राम का कोई शिकायती-पत्र बस स्टेशन कैसरबाग, लखनऊ के जलपान गृह व अन्य ठेकों के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत हरिद्वार बस-स्टेशन कैन्टीन के ठेके की नीलामी

25--श्री अकबर हुसैन--

क्या परिवहन मन्त्री को विदित है कि जनपद सहारनपुर के हरिद्वार बस स्टेशन कैन्टीन के ठेके की नीलामी दिनांक 7 दिसम्बर, 1981 क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा कराई गई तथा अधिकतर मूल्य बोलने वाले ठेकेदार से दिनांक 7 दिसम्बर, 1981 को ही जमानत के रूप में 13,995·00 रु० जमा करा लिए थे ? यदि हां, तो अब तक कैन्टीन चलाने हेतु स्वीकृति प्रदान न करने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्रीमती शशि चिलैथा, जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, वाराणसी के विरुद्ध इलाहाबाद में फर्जी शिक्षा संस्थाओं को अनुदान देने का आरोप की जांच तथा निरस्त किया गया निलम्बन आदेश

26--श्री दीनानाथ पाण्डेय--

क्या समाज कल्याण मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती शशि चिलैथा, जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी वाराणसी, के ऊपर इलाहाबाद में इसी पद पर रहते हुए लगभग 62,000 रु० (बासठ हजार रुपए) के गबन का मामला विभागीय जांच में पाया गया था ? यदि हां, तो श्रीमती शशि चिलैथा के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी नहीं । प्राप्त शिकायतों की विभागीय प्रारम्भिक जांच के परिणामस्वरूप जिलाधिकारी, इलाहाबाद ने अपराध अनुसंधान विभाग की अपराध शाखा को

जनपद, इलाहाबाद की आठ फर्जी पाई गई शिक्षा संस्थाओं को (सूची संलग्न) को वर्ष 1974-75 व 1975-76 में कुल रु0 78,824·74 की धनराशि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पूर्वदशम कक्षाओं के छात्रों को निः शुल्क शिक्षा की क्षतिप्रतिपूर्ति हेतु अनुदान आहरण कर भुगतान करने के मामले की विस्तृत जांच हेतु 5 जुलाई, 1976 को सौंपा। इन संस्थाओं में एक हेमवती नंदन बहुगुणा जूनियर हाई स्कूल पांडर, जसरा (इलाहाबाद) नामक जाली संस्था से रु0 13,274·64 की धनराशि वापस वसूल हो गई है। सभी संस्थाओं के मामलों में अपराध जांच मामले स्थानीय थाना कर्नलगंज, इलाहाबाद में एफ0 आई0 आर0 दर्ज करके कार्यवाही की गई, जिसके फलस्वरूप श्री लालमणि श्रीवास्तव, लिपिक तथा श्री गंगा प्रसाद मिश्र, प्रधानाचार्य, सरदार भगत सिंह इन्टर कालेज, सैदाबाद (इलाहाबाद) का चालान दिनांक 29 सितम्बर, 1976 को किया गया और अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग न्यायालय में कायम हो गया। अभी तक प्राप्त हुए अनुसंधान विभाग के परिणाम से किसी भी विभागीय अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई सत्यापित नहीं हुआ, अतः किसी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता। तत्कालीन जिला एवं हरिजन समाज कल्याण अधिकारी, इलाहाबाद, श्रीमती शशि चिलैथा के इन फर्जी संस्थाओं को अनुदान स्वीकार करने में उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने के उद्देश्य से विभागीय जांच में उनका स्पष्टीकरण मांगा गया, जिसका अंतरिम उत्तर उन्होंने माह जनवरी, 1978 में दिया जोकि अपूर्ण और असन्तोषजनक पाया गया। अतएव श्रीमती शशि चिलैथा के विरुद्ध शासकीय धनराशि रु0 65,550·10 पै0 की क्षति के मामले में उनकी जिम्मेदारी तय करने और उनसे वसूली, यदि उनको दोषी पाया जाता है, किये जाने के लिए शासन ने इनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही करने का निर्णय माह अप्रैल, 1981 में ले लिया है। श्रीमती चिलैथा का स्पष्टीकरण, जोकि उनसे मांगा गया है, प्रतीक्षित है। कार्यवाही अभी जारी है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1049 पर।)

27—श्री दीनानाथ पाण्डेय—

श्रीमती शशि चिलैथा, जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के विरुद्ध वाराणसी के उप निदेशक व संयुक्त सचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण ने जांच पर लगाये गये कई आरोपों को सही पाया और कार्यवाही के लिए लिखा है ? यदि हां, तो श्रीमती चिलैथा के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और क्या की जा रही है ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी नहीं। श्रीमती चिलैथा के विरुद्ध इनकी इलाहाबाद जनपद के कार्य अवधि से सम्बन्धित आरोप-फर्जी शिक्षा संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत करने के बाबत पर की जा रही विभागीय अनुशासनिक जांच अभी जारी है। पूर्ण हो जाने पर ही अन्तिम कार्यवाही सम्भव होगी।

28—श्री दीनानाथ पाण्डेय—

श्रीमती शशि चिलैथा, जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, वाराणसी को तत्कालीन हरिजन मन्त्री श्री छेदी लाल चौधरी महोदय द्वारा मुअत्तल किया गया परन्तु आदेश उक्त अधिकारी तक सर्व होने के पूर्व ही वायरलेस द्वारा आदेश निरस्त कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

जो हां । शासन के आदेश दिनांक 17 अप्रैल, 1981 द्वारा श्रीमती चिलैथा को अनुशासनिक जांच के दौरान निलम्बनाधीन किया गया परन्तु शासन द्वारा पुनर्विचार करने पर श्रीमती चिलैथा के निलम्बन आदेश की तामीली उनके स्पष्टीकरण प्राप्त होने तथा जाली संस्थाओं को भुगतान के पूरे मामले में अपराध शाखा की विशिष्टतया आख्या उपलब्ध होने तक व सुविचरित निर्णय किए जाने तक रोकी गई है ।

29—श्री मोती लाल देहलवी—

[3 फरवरी, 1982 को अतारांकित प्रश्न संख्या 90 द्वारा उत्तरित] ।

जिला देवरिया, ग्राम सोनदिया के दक्षिण नहर टूटने से सम्बन्धित पत्र पर कृत कार्यवाही

30—श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री श्याम नरायन तिवारी—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जिला देवरिया के पडरौना तहसील स्थित सोनदिया राजवाहा पर सोनदिया ग्राम के लगभग 3 फर्लांग दक्षिण नहर टूटने से पचासों एकड़ कृषि भूमि एवं फसल नष्ट होने से बचाने हेतु 26 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 11 मई, 1981 के साथ किसी विधायक का पत्र दिनांक 12 मई, 1981 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री अनवारुल हक, परिचालक के विरुद्ध अधिक किराया वसूल करने की शिकायत की जांच

31—श्री पंचानन राय—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम दास सिंह, ग्राम व पोस्ट अजमतगढ़, आजमगढ़ का शिकायती-पत्र दिनांक 28-2-81 सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसमें प्रमुख शिकायतें क्या हैं और क्या इसकी जांच करायी गई है ? उसके क्या परिणाम निकले हैं तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

इस शिकायती-पत्र में श्री अनवारुल हक, परिचालक के विरुद्ध 50 पैसे अधिक किराया वसूल करने की शिकायत है । जांच कराने पर शिकायत सत्य पायी गयी तथा परिचालक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।

सीनियर स्टेशन इंचार्ज, देवरिया डिपो के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित रहने का कारण

32—श्री हरिवंश सहाय—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीनियर स्टेशन इंचार्ज, देवरिया डिपो के विरुद्ध तमाम अनुशासनिक कार्यवाही पेंडिंग रहते हुए भी सात वेतन बढ़ोत्तरिया (इन्क्रीमेंट) अवैध रूप से स्वीकृत कर दी गई है और इसकी शिकायत होने पर छानबीन के उपरान्त भी कार्यवाही आज भी लम्बित है ? यदि हां, तो क्यों और किन परिस्थितियों में ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री चैतन्य देव श्रीवास्तव, सीनियर स्टेशन इंचार्ज, देवरिया को मई, 1964 से अप्रैल, 1971 तक सात वेतन वृद्धियां सेवा निवृत्त स्वर्गवासी क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री ए0 ई0 विल्सन द्वारा स्वीकृत की गई थीं । इन वेतन वृद्धियों की स्वीकृति के समय से श्री चैतन्य देव श्रीवास्तव के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित नहीं थी । श्री चैतन्य देव के विरुद्ध श्री राम निवास सिंह, अध्यक्ष, रोडवेज मजदूर सभा की शिकायत दिनांक 5 अगस्त, 1981 को प्राप्त हुई। इसकी जांच क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा पूरी कर ली गई है । मामला उप प्रधान प्रबन्धक (पूर्वी जोन) के विचाराधीन है जो इनके नियुक्ति प्राधिकारी हैं ।

जनपद आजमगढ़ में कार्यरत मृतक कर्मचारियों के आश्रित तथा पुनः सेवा में लिए गये कर्मचारी

33—श्री पंचानन राय—

क्या परिवहन मन्त्री विधान सभा के प्रथम सत्र 81 के 5वें बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 73 के उत्तर के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न श्रेणियों में नियुक्त 314 कर्मचारियों में अलग-अलग कितने मृत कर्मचारियों के आश्रित हैं तथा कितने सेवा से पृथक किए गये कर्मचारी हैं ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि कितने कर्मचारी ऐसे नियुक्त किये गये जो इन दोनों श्रेणियों में नहीं आते हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

आजमगढ़ क्षेत्र में जुलाई, 1978 से 15 सितम्बर, 1980 तक नियुक्त 314 विभिन्न श्रणियों के कर्मचारियों में से 6 मृतक कर्मचारियों के आश्रित हैं तथा 26 सेवा से पृथक किये गये पुनः सेवा में लिए गये कर्मचारी हैं । शेष 282 कर्मचारी इन दोनों श्रेणियों में नहीं आते हैं ।

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर के अन्तर्गत चार नहरों के निर्माण का प्रस्ताव

34—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि शारद नहर के मड़ियाहूं-केराकत शाखा से जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र, जलालपुर के अन्तर्गत चार नई उप शाखाएं निर्माण हेतु प्रस्तावित हैं ? क्या यह सत्य है कि ये सभी उप शाखाएं उस क्षेत्र में प्रस्तावित हैं जहां अत्यधिक घनी आबादी है और अधिकांश लघु और सीमान्त कृषक

रहते हैं ? क्या यह भी सत्य है कि उस क्षेत्र के अधिकांश कृषकों ने विभिन्न बैंक से ऋण लेकर लघु नलकूप लगा लिए हैं ? क्या सरकार इस क्षेत्र के कृषकों की भूमि बचाने हेतु इन प्रस्तावित उप शाखाओं का निर्माण निरस्त करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

विकास क्षेत्र जलालपुर में चार 1--बराइन, 2--लोहगाजर, 3--लहंगपुर एवं 4--ओइना नहरें प्रस्तावित हैं ।

जी नहीं ।

इस क्षेत्र के ग्रामों में अधिकांश लघु और सीमान्त कृषक नहीं रहते हैं बराइन माइनर केवल बराई ग्राम से जाती है, जिसमें केवल 18 सीमान्त एवं 3 लघु कृषक हैं । लोहगाजर माइनर पुरेव, मेघपुर एवं सलेमपुर ग्रामों से जाती है के क्षेत्र में 451 सीमान्त एवं 51 लघु कृषक हैं । लहंगपुर माइनर केवल लहंगपु ग्राम से जाती है, के क्षेत्र में 254 सीमान्त एवं 32 लघु कृषक तथा ओईन राजबहा 14 ग्रामों में से जाती है, के क्षेत्र में 1960 सीमान्त एवं 310 ल कृषक हैं । इन कुल 18 ग्रामों में कुल 39 कृषकों को 43,856·00 रुपये क ऋण निजी लघु नलकूप लगाने के लिए वितरित किया गया है ।

इन नहरों का निर्माण जनहित में है ।

राज्य सड़क परिवहन निगम के पूर्वी जोन में बैट्री के अभाव में अधिक डीजल खर्च होने में उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

35--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 81 के 4थे बुधवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं० 42 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 अप्रैल, 1980 से 30 नवम्बर, 1980 तक 2,07,85,850 रुपये के घाटे के लिए कौन से अधिकारी उत्तरदायी थे ? बैट्री के अभाव का क्या कारण था तथा इस कारण 1,14,08,807 रु० का अधिक डीजल खर्च होने के लिए कौन से अधिकारी उत्तरदायी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

ग्रामोदय उ० मा० विद्यालय, बढयपार, गोरखपुर की मान्यता तथा अनियमित भुगतान के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

36--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 81 के 1ले बुधवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं० 14 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जब संस्था को मान्यता अप्रैल, 80 में मिली और कक्षा संचालन की अनुमति जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उसके बाद प्राप्त हुई तो वर्ष 1979-80

7,143·00 रुपये भुगतान का क्या औचित्य है क्या सरकार इस अनियमित गतान के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर चार करेगी ?

ी गुलाब सेहरा—

जी हां ।

ग्रामोदय उ0 मा0 विद्यालय, बढयापार, गोरखपुर को यू0 पी0 शिक्षा बोर्ड रा मान्यता अप्रैल, 80 में मिली और वर्ष 1981 की परीक्षा के लिए इंटर ाहित्यिक वर्ग में ग्यारहवीं कक्षा संचालित करने की अनुमति जिला विद्यालय रीक्षक द्वारा जून, 1980 में दी थी । मान्यता प्राप्त होने से पूर्व वर्ष 979-80 में छात्रवृत्ति व शिक्षा शुल्क और मार्च व अप्रैल, 80 को छात्रवृत्ति कुल रुपया 7143.00 का भुगतान किए जाने के लिए सम्बन्धित अधिकारी स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

प्रदेश के विभिन्न जेलों के हवालाती, बन्दियों के पैरों में पड़ी बेडियां

7—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के जेलों में 0-11-81 को कितने हवालाती बन्दियों के पैरों में लोहे की बेड़ियां हैं ? नके क्या नाम और पते हैं और आई0 पी0 सी0 की किन धाराओं के न्तर्गत बन्द हैं ?

ी राम सिंह खन्ना—

दिनांक 10 नवम्बर, 1981 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न 22 जेलों में 272 वालाती बन्दियों को लोहे की बेड़ियां पड़ी थी ।

इनके नाम, पते तथा अपराध की धाराओं, जिनके अन्तर्गत वे जेलों में न्द हैं, का विस्तृत ब्यौरा मेरे कार्यालय कक्ष में देखा जा सकता है ।

राज्य सड़क परिवहन निगम की बस को अनियमित तरीके से चेक किए जाने सम्बन्धित पत्र

8—श्री पंचानन राय—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सड़क परिवहन निगम ी बस नं0 यू0 टी0 ए0 9242 के फतेहगंज, जौनपुर के पास अनियमित रीके से चेक किये जाने सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-11-80 न्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में 31-10-81 तक क्या कार्य-ाही की गयी है ?

ी वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

दिनांक 20-11-80 का सदस्य महोदय का पत्र परिवहन मन्त्री जी के र्यालय में प्राप्त हुआ था जिसे 23-12-80 को परिवहन निगम को कार्यवाही ु भेजा गया । परिवहन निगम द्वारा अभिलेखों में बारम्बार खोज करने पर भी ात पत्र उनके कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ । अतः उक्त पत्र पर कार्यवाही या जाना संभव नहीं हो सका ।

घोड़ाखाल, नैनीताल, बस के परिचालक श्री विनोद कुमार शाह का निलम्बन

39—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री हरि सिंह विष्ट, भू0 पू विधायक का कोई शिकायती-पत्र घोड़ाखाल, नैनीताल बस के परिचालक के विरु मन्त्री जी को प्राप्त हुआ है ? कि परिचालक ने उनके साथ गाड़ी में बैठे समस्त यात्रियों के समक्ष उनका अपशब्दों से अपमान कर गाड़ी से उतार दिया औ फिर वे दूसरी सवारी द्वारा भुवाली से नैनीताल गए ? यदि हां, तो सरकार उक्त परिचालक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

सम्बन्धित परिचालक, श्री विनोद कुमार शाह को प्रारम्भिक जांच में दो पाये जाने के कारण निलम्बित कर दिया गया है ।

गोरखपुर रीजन में परिचालकों का चयन

40—श्री हरिवंश सहाय—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर रीजन में वर्ष 1980 कितने परिचालकों को चयनित किया गया तथा उनमें से कितने अभ्यर्थी ट्रेनि किए तथा कितने परिचालकों ने जमानत की धनराशि जमा की ? कितने व्यक्ति को सेवा में लिया गया ? क्या सूची के क्रम संख्या के अनुसार नियुक्ति गई ? इसमें से कितने अभ्यर्थी अभी शेष हैं जिनको नियुक्ति नहीं की गयी उसका कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सभी द्रुतगामी बसों को पिण्ड्रा में रुकने तथा एक निश्चित किराया लिए जाने के आदेश

41—श्री ऊदल—

क्या परिवहन मन्त्री प्रथम सत्र 81 के 5वें बुधवार के लिए निर्धारित अत प्र0 सं0 43 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि मुख्यालय जो आदेश अन्य क्षेत्रों की द्रुतगामी बसों को स्थान पिण्डरा (वाराणस जौनपुर मार्ग) में रुकने का आदेश दिया गया था? वह किन-किन क्षेत्रों दिया गया है और उसके मुताबिक सभी द्रुतगामी बसें रुकने लगी हैं ? य नहीं, तो क्या सरकार उक्त आदेश की एक प्रति पुनः सभी क्षेत्रों को भेजने कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

पिण्डरा में बसों के रुकने के आदेश गोरखपुर-कानपुर-लखनऊ तथा फैजाब क्षेत्रों को दिए गए थे । कथित क्षेत्रों की सभी बसें पिण्डरा में रुकती हैं । पिण्ड में बस न रोके जाने की कोई शिकायत निगम मुख्यालय में प्राप्त नहीं हुई है फिर भी 21-1-82 को पुनः सम्बन्धित क्षेत्रों को आदेश जारी किए गए हैं ।

2--श्री ऊदल--

क्या परिवहन मन्त्री सभी क्षेत्रों के अधिकारियों को फेयरस्टाप भी पिण्डरा ो 13-3-81 से घोषित कर दिया गया है ? यदि हां, तो पिण्डरा का किराया श्चित करके समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धकों को भेजना था ? वह भेजा गया कि नहीं ? ा उसी दिन के प्रश्न संख्या 44 के उत्तर में यह भी कहा गया था कि क्षेत्रीय न्धकों को आदेश दिए गए हैं कि वे अपनी गाड़ी को वहां रुकने का आदेश ? यदि हां, तो दिया गया आदेश क्या है ?

। वीर बहादुर सिंह--

परिवहन निगम द्वारा यह आदेश जारी किए गए हैं कि पिण्डरा से तथा ण्डरा तक का निश्चित किराया ह लिया जाय। विधान सभा के प्रथम सत्र 1981) के पांचवे बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 44 का र दिनांक 25-3-81 को दिया गया था। परिवहन निगम ने दिनांक 3-81 के द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक, गोरखपुर, लखनऊ व कानपुर को समस्त गामी सेवायें जो पिंडर से गुजरती हैं, उन्हें पिण्डरा में रोके जाने के आदेश या था।

राज्य सड़क परिवहन निगम, गोंडा के स्थानीय अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच समझौता

३--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि राज्य सड़क परिवहन निगम, ण्डा के कर्मचारी 15 जुलाई, 1981 को हड़ताल किए थे, जिसके सम्बन्ध में ानीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच कोई समझौता हुआ था ? यदि हां, क्य समझौते का परियालन नहीं हुआ था ? यदि हां, तो क्यों ?

वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

किसान इंटर कालेज परशुरामपुर जिला बस्ती में हरिजन व पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण तथा चेक द्वारा भुगतान

--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किसान इन्टर कालेज, परशुरामपुर, ला बस्ती में वर्ष 1977-78, 1978-79 व 1980 तथा 1981 में कितने छात्र जन एवं पिछड़ी जाति के शिक्षा प्राप्त कर रहे थे ? उनमें से प्रत्येक वर्ष में ना रुपया हरिजन एवं पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में दिया ा ? जिन छात्रों को छात्रवृत्ति दी गयी, क्या बैंक या पोस्ट आफिस में उन ों का एकाउन्ट खोला गया ? यदि हां, तो किन तारीखों में खाता वहां खोला ा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गुलाब सेहरा--

किसान इन्टर कालेज, परशुरामपुर, जिला बस्ती में वर्ष 1977-78 में सूचित जाति के 119 छात्र तथा पिछड़ी जाति के 113 छात्र, वर्ष 1978-79 अनुसूचित जाति के 113 छात्र एवं पिछड़ी जाति के 102 छात्र, वर्ष 1979-में अनुसूचित जाति के 136 छात्र एवं पिछड़ी जाति के 95 तथा वर्ष

1980–81 में अनुसूचित जाति के 125 छात्र एवं पिछड़ी जाति के 92 छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे थे । उनमें से वर्ष 1977–78 में अनुसूचित जाति के 76 छात्रों को 33156·00रु0, पिछड़ी जाति के 7 छात्रों को 1008·00 रु0, वर्ष 1978–79 में अनुसूचित जाति के 63 छात्रों को 27744·00 रु0, पिछड़ी जाति के 32 छात्रों को 10884·00 रु0. वर्ष 1979–80 में अनुसूचित जाति के 97 छात्रों को 45576·00 रु0 तथा पिछड़ी जाति के 24 छात्रों को 7596 00 रु0, वर्ष 1980–81 अनुसूचित जाति के 71 छात्रों को 30338·00 रु0 तथा पिछड़ी जाति के 10 छात्रों को 1440·00 रु0 छात्रवृत्ति के रूप में दिया गया । किसी भी छात्र का बैंक या पोस्ट आफिस में अलग से कोई खाता नहीं खोला गया क्योंकि छात्रवृत्ति का भुगतान इंटरमीडिएट कालेज में चेक द्वारा किया जाता रहा है ।

आजमगढ़ जनपद में जोकहरा तटबन्ध की लम्बाई बढ़ाने से सम्बन्धित पत्र पर कृत कार्यवाही

45—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के सगड़ी तहसील में बदरौहुवा नाले के किनारे निर्माणाधीन जोकहरा तटबन्ध की लम्बाई बढ़ाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 6 जुलाई, 1981 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

प्रश्नगत क्षेत्र में स्थानीय नियोजन द्वारा स्वीकृत 6·6 कि0 मी0 लम्बे जोकहरा तटबन्ध पर 3·00 कि0 मी0 में कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 2·00 किमी0 में कार्य प्रगति पर है, शेष कार्य 1982–83 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ।

ग्राम गडौरा–मझौरा, जनपद आजमगढ़ से निकलने वाले नाले को पाट देने के कारण हुई क्षति से सम्बन्धित पत्र

46—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गडोरा–मझौरा, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ से निकलने वाले नाले को पाट देने के कारण हुई क्षति से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28 मार्च, 1981 जिला अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतों की जांच किससे कराई गयी और उसके क्या परिणाम निकले तथा कार्यवाही क्या की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । दिनांक 28 मार्च, 1981 के पत्र में की गई शिकायतों की जांच परगनाधिकारी, सगड़ी द्वारा करायी गयी जिससे ज्ञात हुआ कि ग्राम गडौरा–मझौरा के उत्तर में स्थित ताल का पानी एक प्राकृतिक नाले के जरिये छोटी सरयू नदी में जाता है । हरैया ग्राम के बायीं पार पुरवे में लोगों ने उक्त नाले को कुछ दूरी में पाट दिया था क्योंकि यह आबादी के बीच से गुजरता है, जिससे ऊपर जलभराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है । इस समस्या के समाधान के लिए 3·500 कि0 मी0 लम्बी हरैया ड्रेन का निर्माण प्रस्तावित है ।

गोरखपुर जनपद में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्वयंसेवी संस्थायें एवं फर्जी संस्थाओं के विरुद्ध शिकायतें

47—श्रीमती गौरी देवी—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद में समाज कल्याण विभाग द्वारा कितनी स्वयंसेवी संस्थायें चलाई जा रही हैं और वर्ष 1980-81 में और कितनी चलाए जाने का प्रस्ताव गोरखपुर के हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी ने शासन को भेजा था ? क्या यह सच है कि गोरखपुर जनपद में समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही अनेक संस्थायें फर्जी हैं, और इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा वर्ष 1981 में शिकायती-पत्र भेजा था ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गुलाब सेहरा—

स्वयंसेवी संस्थाओं से सम्भवतः माननीया सदस्या का आशय स्वयंसेवी स्वैच्छिक संस्थाओं से है जिन्हें शासन द्वारा स्वयं संचालित नहीं किया जाता बल्कि उन्हें समय-समय पर अनुदान स्वीकृत किया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में यह सूचनीय है कि जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर से वर्ष 1980-81 में कुल 7 अर्थात् 6 बाल कल्याण तथा एक बालवाड़ी तथा शिशुशाला योजना के अन्तर्गत विलम्ब से आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे, किन्तु विलम्ब से प्राप्त होने के कारण उन्हें अनुदान स्वीकृत नहीं किया जा सका। इसी वर्ष में दो नवीन संस्थाओं से केन्द्रीय अनुदान योजना के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से एक भारत सरकार को भेज दिया गया है तथा दूसरा शासन के विचाराधीन है।

माननीया सदस्या से संस्थाओं के फर्जी होने की शिकायत शासन अथवा निदेशक को प्राप्त नहीं हुई किन्तु कुछ जिज्ञासाओं सहित जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर को सम्बोधित उनका एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसका उत्तर उन्हें हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर द्वारा दिया जा चुका है।

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में घाघरा नदी के कटाव से सम्बन्धित पत्र पर कृत कार्यवाही

48—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में स्थित ग्राम सभा गांगेपुर के प्रधान परमहंस यादव का घाघरा नदी के कटाव से सम्बन्धित पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 5-6-81 के साथ शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

प्रश्नगत स्थल के कटान से सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक परियोजना बनाने का कार्य प्रगति पर है।

सहायक कृषि प्रसार निरीक्षकों की पुनः नियुक्ति का निर्णय

49--श्री जयदीप सिंह--

क्या सरकार यह बताने की कपा करेगी कि कितने सहायक कृषि प्रसार निरीक्षकों को अ.देश संख्या अ0 शा0 पत्र संख्या 599/ई-5, दिनांक 16 जुलाई, 1975 द्वारा छटनी शुदा घोषित करके इनकी सेवायें समाप्त कर दी गयी थीं ? क्या यह भी सत्य है कि शासनादेश संख्या 5220/54-1-सी0 ए0 डी0-0-9/13-79, दिनांक 12-12-79 द्वारा उपरोक्त छटनी शुदा कर्मचारियों की नियुक्ति का निर्णय दिया गया था ? यदि हां, तो अब तक ऐसे छटनी शुदा कर्मचारियों की नियुक्ति हो चुकी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

मुजफ्फरनगर के खादर क्षेत्र में सोलानी नदी की बाढ़ से हानि

50--श्री मेंहदी असगर--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मुजफ्फरनगर, जिला मुजफ्फरनगर के खादर क्षेत्र में 1386 फसली तथा 1389 फसली में सीलानी नदी में बाढ़ आने से कितने ग्रामों में फसल खराब हुई और कितना नुकसान हुआ ? क्या यह सही है कि 26-11-81 के धनौरा इंगलेट से पानी सोलानी नदी में छोडा गया फलस्वरूप अनेकों ग्रामों की फसलों को नुकसान पहुंचा ? यदि हां, तो इससे कितने ग्रामों की फसल को नुकसान पहुंचा ? क्या भविष्य के लिए इस विषय पर समुचित आदेश देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मुजफ्फरनगर के खादर क्षेत्र में 1386 फसली में सोलानी नदी की बाढ़ से 22 ग्राम प्रभावित हुए एवं 90,27,000 रु0 की अनुमानित हानि हुई तथा 1389 फसली में 14 गांव प्रभावित हुये एवं 19,22,560 रु0 की अनुमानित हानि हुई।

ऊपरी गंगा नहर के धनौरी स्केप से दिनांक 26-11-81 को रतमऊ नदी में 2753 क्यु0 पानी छोड़ा गया जो सोलानी नदी में प्रवाहित हुआ । इस पानी से क्षति के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई । धनौरी स्केप ऊपरी गंगा नहर के स्राव पर नियंत्रण हेतु बनाई गई है। अतः इसमें पानी छोड़ने हेतु कोई आदेश दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला शाहजहांपुर के रजवाहा गंधार पर कल्वर्ट बनाने की स्वीकृति

51--श्री सत्यपाल सिंह यादव--

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि जिला शाहजहांपुर में रजबहा गंधार पर कल्बर्ट बनाने की स्वीकृति कब से है, और यह अब तक न बनाने में किस कर्मचारी व अधिकारी की लापरवाही है, सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

कल्बर्ट बनाने की कोई स्वीकृति नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया बस डिपो में बस चालकों की भर्ती का विवरण

52—श्री कुबेर भण्डारी तथा जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या परिवहन मन्त्री को ज्ञात है कि देवरिया बस डिपो में दिनांक 24-11-81 मे जो बस चालकों की भर्ती हुई उसके प्रार्थना-पत्र कब पड़े और कितने अभ्यर्थियों ने प्रार्थना-पत्र दिये और कितनों का टेस्ट लिया गया तथा प्राप्त नम्बर के किस आधार पर परिणाम घोषित किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश रा0 स0 प0 निगम क्षेत्र, गोरखपुर में कर्मचारियों के बकाया वेतन और वार्षिक बढ़ोत्तरी

53—श्री कुबेर भण्डारी तथा जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 रा0 स0 प0 निगम क्षेत्र, गोरखपुर में कितने कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें जुलाई, 1964 से जुलाई, 1972 तक के अवधि का वेतन नहीं मिला, परन्तु वार्षिक बढ़ोत्तरी का पैसा पा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर से सोनौली मार्ग पर परिवहन बसों की आय में कमी तथा जांच

54—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोरखपुर से सोनौली मार्ग पर परिवहन बसों द्वारा 1 जनवरी, 1980 से 1 जनवरी, 1981 तक औसतन प्रतिदिन 30 हजार रुपए की आय थी ? और इस समय प्रतिदिन की औसतन आमदनी मात्र 3 हजार रुपये हो गयी है ? यदि हां, तो कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

एक जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1980 तक प्रश्नगत मार्ग की आय प्रतिदिन 5,363 रु0 थी और जनवरी से दिसम्बर, 1981 तक आय प्रतिदिन 4,199 रु0 रही । कारणों की जांच की रही है ।

राजकीय परिवहन निगम, जनपद आजमगढ़ में टायरों की खरीदारी

55—श्री दूधनाथ राजभर—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में लगभग 100 से ऊपर राजकीय परिवहन की बसें टायर के अभाव में वर्कशाप में खड़ी हैं ? गत वर्ष से 10-12-1981 तक आजमगढ़ डिपों के लिए बसों में प्रयोग होने वाले कितने टायर की खरीद हुई है ? तथा उनका टेंडर कब हुआ था तथा किस फर्म से खरीदे गये ? यदि नहीं खरीदे गये तो इसका कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

आजमगढ़ जनपद में परिवहन निगम का केवल एक ही डिपो है। वहां के वर्कशाप में टायर के अभाव में कोई भी बस खड़ी नहीं है।

दिनांक 10-12-81 से एक वर्ष पूर्व की अवधि में आजमगढ़ क्षेत्र में 1490 नये टायरों की सप्लाई की गई।

टायरों के क्रय के लिए कोई टेन्डर आमंत्रित नहीं किये जाते बल्कि विभिन्न टायर कम्पनियों के एकाधिकार की पृष्ठभूमि में उनसे प्रत्येक त्रैमास में दरें प्राप्त की जाती हैं व टायरों की उपलब्धता एवं क्वालिटी को ध्यान में रखते हुये, तुलनात्मक, न्यूनतम दरों पर इनका क्रय किया जाता है।

जिला देवरिया अन्तर्गत अमवा खास बन्धा का निर्माण

56—श्री द्रुप राय—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया ब्लाक दूधई, थाना विशुनपुरा के अन्तर्गत अमवा खास बन्धा जिसकी लम्बाई 9-9 कि0 मी0 है व 9 जून, 1981 तक पूर्ण तैयार हो जाना था परन्तु अभी तक अधूरा है बरसात प्रारम्भ हो चुकी है उसके अपूर्ण रहने का कारण क्या है? एवं उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? अब तक उस पर कितना धन व्यय हो चुका है तथा कितना धन व्यय होना शेष है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जिला देवरिया, ब्लाक दुधई, थाना विशुनपुरा के अन्तर्गत अमवा खास बांध जिसकी लम्बाई 9.9 कि0मी0 को जून, 1981 के अन्त तक पूर्ण करना प्रस्तावित था, को 4.52 कि0मी0 लम्बाई में पूर्ण सेक्शन एवं 3.08 कि0मी0 लम्बाई में आंशिक सेक्शन में मध्यम बाढ़ के लिए सुरक्षित स्तर तक बनाया जा चुका है। समय से बांध पूरा न होने के कारण प्रशासनिक एवं न्यायिक कठिनाइयां रही हैं। उपरोक्त बांध पर 12/81 के अन्त तक कुल 133.43 लाख रुपया व्यय हो चुका है तथा लगभग 124.89 लाख रुपया व्यय होना शेष है।

आर0 टी0 ओ0 आफिस में प्रा0 बसों का रजिस्ट्रेशन, परमिटों की संख्या तथा दिया गया रोड टैक्स

57—श्री ऊदल—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर0 टी0 ओ0 आफिस, वाराणसी के यहां कितनी प्रा0 बसों का रजिस्ट्रेशन है और कितनी बसों का रोड टैक्स जमा होता है? और कितनी बसों को चलने का परमिट दिया गया है? क्या यह सत्य है कि आर0 टी0 ओ0, वाराणसी बिना परमिट की गाड़ियों का भी रोड टैक्स जमा करते हैं? क्या सरकार सन् 1979-80 व 1980-81 तथा नवम्बर, 1981 तक की उपरोक्त सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वांछित सूचना निम्न प्रकार है--

वर्ष	रजिस्टर्ड बसों की संख्या		परमिटों की संख्या
	प्राइवेट बसें	जिन्होंने टैक्स दिया	
1979-80	683	683	683
1980-81	527	527	527
1981-82 (नवम्बर, 1981 तक)	611	611	611

यह सत्य नहीं है कि आर० टी० ओ० वाराणसी, के कार्यालय में बिना परमिट की गाड़ियों का भी मार्ग कर जमा कराया जाता है ।

जनपद मुरादाबाद के राष्ट्रीय कृत मार्गों पर मिनी बस चलाने का प्रस्ताव

58--श्री जीराज सिंह मौर्य--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के राष्ट्रीय कृत मार्गों विलारी-मुरादाबाद तथा बुढ़नपुर-मुरादाबाद पर मिनी बस चलाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं ।

इस सम्बन्ध में विचार करने का क्षेत्राधिकार परिवहन निगम का है ।

जनपद मुरादाबाद में हसनपुर से मुरादाबाद चलने वाली रोडवेज बसों की बन्दी

59--श्री जीराज सिंह मौर्य--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हसनपुर से मुरादाबाद चलने वाली रोडवेज की बसों का चलना बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

लखनऊ–गोरखपुर रोड पर रोडवेज बस के ट्रक से टकराने पर मृतकों व घायलों के प्रति कार्यवाही

60––श्री नन्द किशोर सिंह––

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 19–12–81 को कानपुर से गोरखपुर जाने वाली सड़क परिवहन निगम की बस लखनऊ–गोरखपुर रोड पर स्थित मुमताज नगर कस्बे में ट्रक से टकरा गई है ? और एक व्यक्ति मर गया तथा 17 घायल हो गये हैं ? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

पर्वतीय जिलों में चिकित्सालय खोलने की व्यवस्था

61––श्री कुंवर सिंह नेगी तथा नरेन्द्र सिंह भण्डारी––

क्या पर्वतीय विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1980–81 और 1981–82 में आय–व्ययक में पर्वतीय जिलों के लिए कितने अलग–अलग पद्धति के चिकित्सालय स्वीकर किये गये हैं ? उनको खोलने के लिए क्या आधार रखा गया था तथा किस–किस विधान सभा क्षेत्र में किन–किन स्थानों पर यह चिकित्सालय खोले गये हैं और सबसे अधिक किस तहसील में खोले गये हैं ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी––

वर्ष 1980–81 के आय–व्ययक में 50 ग्रामीण एलोपैथिक, 19 आयुर्वेदिक, 5 होम्योपैथिक, 5 महिला एवं 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा वर्ष 1981–82 में 50 ग्रामीण एलोपैथिक, 8 आयुर्वेदिक, 5 होम्योपैथिक, एवं 5 महिला चिकित्सालयों के लिए प्राविधान किया गया था । ये सभी चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य केन्द्र पर्वतीय जनपदों के विभिन्न विकास खंडों में जनसंख्या, दूरी, विशेष भौगोलिक परिस्थिति तथा क्षेत्र के पिछड़ेपन आदि को ध्यान में रखते हुए खोले गये हैं । इन चिकित्सालयों की जिलावार सूची संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1050 पर ।)

सिंचाई निर्माण मण्डल, गोरखपुर के अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ताओं के विरुद्ध शिकायत–पत्र पर जांच

62––श्रीमती गौरी देवी––

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सिंचाई निर्माण मण्डल, गोरखपुर के अधीक्षण अभियन्ता श्री शेर सिंह सहित, अधिशासी अभियन्ताओं व सहायक अभियन्ताओं के विरुद्ध शासन को सम्बोधित कई शिकायती–पत्र मण्डल के विधायकों, सांसदों के अतिरिक्त शीतल पाण्डेय, महामंत्री, युवा जनता, उ0 प्र0 रणजीत बहादुर सिंह, महामंत्री, युवा लोकतांत्रिक दल, उ0 प्र0 ने माह सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 1981 में भेजी हैं ? यदि हां, तो शिकायत क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

शिकायती-पत्रों में भ्रष्टाचार, फर्जी भुगतान करके धन हड़पना आदि मुख्य शिकायतें हैं, जिनकी जांच कराई जा रही है ।

केराकत सहायक नहर को पक्का कराने का प्रस्ताव

63—श्री राम समुझावन—

केराकत राजबाहा, जो मड़ियाहूं से केराकत सहायक नहर पर स्थित है मील 21 से 23 मील के अन्दर नहर बार-बार टूट जाती है, वहां के किसानों ने बार-बार प्रार्थना-पत्र सिंचाई मंत्री, मुख्य मंत्री व अधिशासी अभियन्ता नलकूप प्रखण्ड, जौनपुर को पक्की नहर कराने तथा क्षतिपूर्ति के लिए दिया ? यदि हां, तो आज तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । प्रश्नगत नहर में अधिक पानी हो जाने पर प्रायः टूट जाया करती थी । मील 21-4-0 से 22-0-0 तक नहर का शुद्धीकरण करा दिया गया है । शेष का शुद्धीकरण कार्य शीघ्र पूरा कराने का लक्ष्य है ।

कृषकों को क्षतिपूर्ति हेतु जिलाधिकारी जौनपुर द्वारा राजस्व विभाग तथा नहर विभाग के अधिकारियों की एक कमेटी गठित कर दी गई है, जो अपनी आख्या शीघ्र प्रेषित करेगी ।

नहर को पक्का कराने का प्रस्ताव नहीं है ।

बाबतपुर रजबाहा के निर्माण हेतु अध्याप्त की गई भूमि तथा मुआवजे का भुगतान

64—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव बरही कलां व बरही नेवादा, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी में शारदा सहायक 38 खण्ड राजवाहा चकबन्दी हो जाने के बाद निकाली गई है ? यदि हां, तो उक्त दोनों गांवों में किन-किन किसानों की कितनी जमीन नहर में ले ली गई ? उनका चक कितने का था और अब कितना बच गया ? तथा क्या उसका मुआवजा भी दे दिया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं । ग्राम बरही कलां व बरही नेवादा, ब्लाक बड़ागांव में बाबतपुर रजबाहा के निर्माण के लिए भूमि अध्याप्ति प्रकरण फरवरी, 1980 को प्रस्तुत किये गये थे । तब तक इन ग्रामों में चकबन्दी की धारा 23 के अन्तर्गत कार्यवाही हो रही थी तथा चकबन्दी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

धारा 4(17) एवं धारा 6 (17) में भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही हो चुकी है । मुआवजा शीघ्र वितरण किया जायगा ।

परिवहन विभाग, वाराणसी द्वारा निगम को रोड टैक्स की वापस की गई धनराशि

65—श्री ऊदल—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन निगम के वाराणसी रोडवेज का सन् 1968 से सन् 1981 तक का 3 लाख से ऊपर रोड टैक्स का रुपया परिवहन विभाग, वाराणसी (आर0 टी0 ओ0) के यहां पड़ा है, जो अब तक वापस नहीं हुआ है? क्या यह सही है कि जो सरेण्डर हुई हैं उनका भी सरेण्डर की अवधि का रोड टैक्स जमा है? उसे गाड़ियां वापस न करने का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वाराणसी में सन् 1968 से मई, 1972 तक राकीय रोडवेज तथा जून, 1972 से जून, 1981 तक परिवहन निगम का क्लेम 2,03,080.56 रु0 का था। जिसमें से 2,01,055.56 रु0 की धनराशि उन्हें वापस की जा चुकी है और केवल 2,025.00 रु0 के रिफण्ड की कार्यवाही शेष है। इसके अतिरिक्त वाराणसी संभागीय कार्यालय में इनकी किसी धनराशि के रिफण्ड का कोई आवेदन-पत्र अनिस्तारित नहीं है। सरेण्डर वाले मामलों में भी केवल कालबाधित मामलों में टैक्स वापस करना संभव नहीं हुआ।

जनपद आजमगढ़ के पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृति पर व्यय

66—श्री दूधनाथ राजभर—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में वर्ष 1980-81 में कितने पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी है तथा उसमें कितनी धनराशि खर्च हुई है? विमुक्त जाति के कुल कितने छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है?

श्री गुलाब सेहरा—

जनपद आजमगढ़ में वर्ष 1980-81 में पिछड़ी जाति के कुल 8622 छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है। जिस पर 24,92,146.00 रु0 की धनराशि खर्च हुई। विमुक्त जाति के कुल 373 छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई जिस पर 52,125 रु0 व्यय हुआ।

सिंचाई उद्योगशाला, झांसी में कर्मचारियों की पदोन्नति का आधार तथा वेतन का भुगतान

67—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई उद्योगशाला, झांसी में पिछले पांच वर्षों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की पदोन्नति किस आधार पर की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सिंचाई उद्योगशाला, झांसी में कर्मचारियों से 30 दिन का कार्य कराया जाता है और भुगतान 25 या 26 दिन का ही दिया जाता है? यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सिंचाई कार्यशाला, झांसी में पिछले पांच वर्षों में कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति मुख्यतः उनकी कार्य कुशलता के अतिरिक्त उनके सेवाकाल एवं अनुशासनात्मक प्रवृत्ति के आधार पर की गई है। एक माह में सामान्यतः 25 या 26 कार्य दिवस होते हैं। इन कार्य दिवसों में कार्य करने पर पूरे माह का वेतन दिया जाता है।

जनपद मिर्जापुर के दुद्धी और राबर्ट्सगंज तहसील में स्पेशल कम्पोनेन्टस योजना में विकास खण्डों के लिए स्वीकृत धनराशि तथा व्यय

८8--श्री विजय सिंह--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद के दुद्धी और राबर्ट्सगंज तहसील में कितने ब्लाक स्पेशल कम्पोनेन्ट्स योजना अन्तर्गत हैं? इस योजनान्तर्गत कब और कितनी धनराशि स्वीकृत है। अब तक स्वीकृत धनराशि का कितना भाग किन-किन मदों में खर्च हुआ और कितना बाकी है? यह योजना कब तक के लिए लागू है?

श्री गुलाब सेहरा--

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास हेतु सघनित कार्यक्रमों के लिए मिर्जापुर जिले की दुद्धी और राबर्ट्सगंज तहसीलों के 6 विकास खण्डों अर्थात् दुद्धी, म्योरपुर, बभनी, चोपन, घोरावल तथा नगवां का चयन किया गया है। इनमें से प्रत्येक विकास खण्ड के लिए 1980-81 में 7 लाख रु0 तथा वर्ष 1981-82 में भी 7 लाख रु0 की धनराशि स्वीकृत हुई है। उपरोक्त 84 लाख रु0 में से अब तक:

(1) सर्वेक्षण एवं स्टेशनरी पर 0·95 लाख रु0 का व्यय हो चुका है।

(2) भूमि संरक्षण की अनुसूचित जाति की आर्थिक योजनाओं पर व्यय करने के निमित्त भूमि संरक्षण अधिकारियों को 24·32 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।

(3) हरिजनों की भूमि पर लघ सिंचाई की आर्थिक योजना (ब्लास्टवेल) पर सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई को 12·50 लाख रु0 की धनराशि आवंटित की गई हैं।

(4) हरिजनों के लिए उत्पादन एवं विक्रय केन्द्र (भवनों) के निर्माण के लिए खण्ड विकास अधिकारियों को 12·00 लाख की धनराशि आवंटित की गई है।

(5) हरिजन कृषक मजदूरों को भूमि क्रय कर कृषि कार्य हेतु देने के निमित्त विकास खण्डों को 12·00 लाख की धनराशि आवंटित है। उक्त सभी योजनाओं का क्रियान्वयन प्रगति पर है।

(6) शेष 22·23 लाख रुपये की योजनायें बनाई जा रही हैं और शीघ्र ही कार्यान्वित होंगी।

यह योजना फिलहाल छठी पंचवर्षीय योजना काल के लिए लागू है।

वाराणसी जनपद में अनुसूचित जाति/पिछड़ा जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान

69—श्री ऊदल—

क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि वाराणसी जनपद में सन् 1979-80 में कक्षा 11 के छात्रों को जो अनुसूचित व पिछड़ी जाति के हैं प्रवेश लेने से अप्रैल, 1980 तक की छात्रवृत्ति स्वीकृति की गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि फरवरी, 1980 तक की ही छात्रवृत्ति दिया गया है और मार्च, अप्रैल का न देने का कारण क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हां, यह सही है कि वाराणसी जनपद में सन् 1979-80 में कक्षा 11 के छात्रों को जो अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के हैं प्रवेश लेने से अप्रैल, 1980 तक की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी है और सभी उक्त जातियों के छात्रों को फरवरी, 1980 तक की ही छात्रवृति नियमानुसार उक्त वित्तीय वर्ष के अन्दर भुगतान किया गया है तथा माह मार्च व अप्रैल, 1980 से स्वीकृत छात्रवृत्ति का धन आगामी वित्तीय वर्ष 1980-81 के आवंटन से दिया गया लेकिन जिन विद्यालयों से छात्रवृत्ति विपत्र समय से प्राप्त नहीं हो सका था उनका भुगतान वर्ष 1980-81 में नहीं हो सका ।

हरहुआ काशी इन्टर कालेज, नेशनल इन्टर कालेज, पिण्डरा सुभद्रा कुमार इन्टर कालेज, बसनी, वाराणसी के अनुसूचित जाति/पिछड़ा जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति का बकाया भुगतान

70—श्री ऊदल—

क्या मंत्री कृपया बतायेंगे कि कक्षा 12 के अनुसूचित व पिछड़ी जाति के छात्रों को मार्च, 1980 की छात्रवृत्ति न देने का कारण क्या है ? क्या हरहुआ काशी कृषक इन्टर कालेज, नेशनल इन्टर कालेज, पिण्डरा सुभद्रा कुमार इन्टर कालेज, बसनी, वाराणसी के छात्रों का भी बकाया है ? यदि हां, तो क्या पूरे जनपद वाराणसी तथा इन तीनों कालेजों की जांच कराकर छात्रवृत्ति देने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री गुलाब सेहरा—

कक्षा 12 के अनुसूचित व पिछड़ी जातीय छात्रों को मार्च, 1980 की छात्रवृत्ति क्रमशः सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाओं से विपत्र समय से प्राप्त न होने के कारण भुगतान न किया जा सका । अनुसूचित जातीय छात्रों के मामले में काशी कृषक इन्टर कालेज, हरहुआ के अतिरिक्त नेशनल इन्टर कालेज, पिण्डरा व सुभद्रा कुमार इन्टर कालेज, बसनी के छात्रों का कोई भी धन बकाया नहीं है । पिछड़ी जाति के छात्रों के मामले में काशी कृषक इन्टर कालेज, हरहुआ, नेशनल इन्टर कालेज, पिण्डरा एवं सुभद्रा कुमार इन्टर कालेज, बसनी, वाराणसी के सभी छात्रों का माह मार्च, 1980 का धन बकाया है ।

अनुसूचित जाति व पिछड़ी जातीय छात्रों की छात्रवृत्ति माह मार्च व अप्रैल, 1980 का भुगतान वर्ष 1980-81 में नहीं हुआ उसका भुगतान अब वर्ष 1981-82 में किया जा रहा है ।

श्री सत्य प्रकाश, ग्राम तिलिया ग्वाल टोली, फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद के शिकायती-पत्र की जांच

71—श्री भोखा लाल--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सत्य प्रकाश पुत्र श्री जगन्नाथ, निवासी ग्राम तिलिया ग्वाल टोली, फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद का प्रार्थना-पत्र दिनांक 19-9-81 प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 19-9-81 के साथ उनको प्राप्त हुआ है जिसमें यह शिकायत की गयी है कि प्रार्थी के नाम वर्ष 1976 में नगरपालिका, फतेहपुर को आवंटित भूमि नगरपालिका द्वारा हरिजन छात्रावास बनाने के लिए अनियमित तरीके से बेच दी गयी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गुलाब सेहरा---

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर जनपद के कतिपय ग्रामों में छोटी चेचक के प्रकोप के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(12 बजकर 20 मिनट)

*श्रीमती गौरी देवी--

माननीय अध्यक्ष जी, गोरखपुर जनपद में छोटी चेचक का प्रकोप बहुत तेजी से फैल रहा है । जंगल कौड़िया, चरगांवा, सहजनवां, खौराबाद, जगत बेला, पादरी बाजार जो नगर के आस-पास के गांव हैं तथा नगर के मियां बाजार, मुफ्तीपुर, बक्शीपुर आदि मुहल्लों में हजारों बच्चे चेचक से ग्रसित हैं । इस छोटी चेचक से 20 बच्चे मर चुके हैं जिसमें एक ही गांव भगौरा में तीन बच्चे मरे हैं । स्वास्थ्य विभाग का छोटी चेचक पर काबू पा लेने का दावा गलत है ।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इसकी रोकथाम की दिशा में बिलकुल ही निष्क्रिय हैं । समस्या गम्भीर है । जनता भयभीत है ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर छोटी चेचक के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग करती हूं ।

शारदा सहायक खंड, 23, आजमगढ़ की ठेकमा मेंहनगर रजबाहा नहर, ग्राम सरदार गंज व पटना के बीच कट जाने से कतिपय ग्रामों की फसल को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीपू उर्फ श्री दीप नारायण—

माननीय अध्यक्ष जी, दिनांक 2/3 की रात को करीब 11 बजे शारदा सहायक खंड, 23, आजमगढ़ की ठेकमा रजबाहा मेंहनगर, ग्राम सरदारगंज तथा पटना के बीच कट जाने से ग्राम सरदारगंज, हटवा आहमा, हटवा खालसा, पटना और गढ़ुली आदि गांवों की लगभग एक सौ हेक्टेयर भूमि की फसलें जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि नहर के पानी से डूब गयीं तथा लगातार नहर का पानी दिनांक 6-2-82 तक उन फसलों के बीच से होकर बहता रहा । जिससे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उपरोक्त गांवों की लगभग 75 प्रतिशत फसलें पानी की चपेट में रहने के कारण क्षतिग्रत हो गयी हैं । मटर, चना, जौ आदि तो बिलकुल बर्बाद हो गया है लेकिन गेहूं की फसल पानी के बीच कुछ हरी दिखाई दे रही है, परन्तु लोगों का कहना है कि जैसे ही पानी हटेगा और धूप लगेगी वैसे ही ये फसलें सूख जायेंगी ।

एक वैग पानी के आ जाने से बस्तियों में भी पानी का जमाव काफी हो गया है जिससे गरीब हरिजनों तथा किसानों के कुछ मकान भी गिर गये तथा कुछ की दीवालें फट गयीं और उनके गिरने में कोई संदेह नहीं है । जगदेव, बनारसी, राम समुझ का मकान पानी की सीलन की वजह से गिर गया है । श्याम देव, मुसई, बनारसी, सहदेव आदि तो घर छोड़कर अपने परिवार तथा जानवरों को लेकर अपनी-अपनी रिश्तेदारी में भाग कर जीवन बिता रहे हैं । पानी बस्तियों में घुस गया है तथा चारों तरफ लोग मेड़ बांध कर मकानों की रक्षा किये हुए हैं ।

इसी प्रकार की घटना उसी रजवाहा से ग्राम दौलतपुर तहसील लालगंज, जिला आजमगढ़ के पास नहर कट जाने से हुई है, जिसमें लगभग 50 प्रतिशत फसल नुकसान हो गयी है ।

उपरोक्त घटना से उल्लिखित ग्रामों के गरीब हरिजनों एवं किसानों तथा उनके परिवारों को एवं उनके जानवरों के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गयी है । अतः आप के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि सम्बन्धित क्षति-ग्रस्त गरीब हरिजनों एवं किसानों की जान की रक्षा हेतु उन्हें अविलम्ब खाद्य सामग्री पहुंचाई जाये तथा समस्त बकाया जैसे मालगुजारी, पानी की लगान माफ किया जावे । साथ ही सोसायटी एवं ब्लाक से लिए हुए ऋण की वसूली स्थगित की जावे । उनके भविष्य के लिए अनुदान दिया जाय । उक्त नहर जो प्रति वर्ष ठकमा से लेकर मेंहनगर के पूर्व घटना तक कटकर किसानों को तबाह करती है, पक्की कराई जावे ।

शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत बाराबंकी तथा दरियाबाद समानान्तर शाखा के जल रिसाव से कतिपय ग्रामों को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, जिला बाराबंकी शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत बाराबंकी तथा दरियाबाद समानान्तर शाखा के दोनों किनारों पर पड़ने वाला 2,735 हेक्टेयर से अधिक कृषि क्षेत्र नहरों में बढ़ी हुई क्षमता से लगातार पानी चलने के कारण भयंकर सीपेज (जल रिसाव) से प्रभावित हो गया जिसका उत्पादन पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है और बड़ी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिससे हजारों किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं ।

इस महाविनाशकारी सीपेज से किसानों के खेत बारहों महीने पानी में डूबे रहते हैं जिससे गत तीन वर्षों से उनमें फसल नाम की कोई चीज नहीं हो रही है, फलस्वरूप लोग तबाही के कगार पर पहुंच चुके हैं । समानान्तर शाखा के किनारों पर बसे गांवों का हाल यह है कि घरों के अन्दर सतत जल रिसाव होता रहता है, जिससे उनके जमीन में घुस जाने का खतरा पैदा हो गया है और लोगों को रातें जागते-जागते कटती हैं । लोग हर साल अपने मकान बनाते हैं किन्तु थोड़े समय के बाद वे गिरकर धराशायी हो जाते हैं । इस क्षेत्र में

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

[श्री प्रदीप कुमार यादव—]

सैकड़ों की संख्या में आम, अमरूद के बागे थीं, जो निरन्तर जल भराव के कारण सूख चुकी हैं और बची खुची सूखी जा रही हैं । इस प्रकार इस प्रलयकारी जल रिसाव में अब तक करोड़ों रुपये का नुकसान किया है तथा लोगों की जिन्दगी दूभर कर दिया है ।

एक ओर किसानों की यह दयनीय दशा है, दूसरी ओर सीपेज से क्षतिग्रस्त भूमि लगान व सिंचाई का वसूला बड़ी सख्ती से का जा रही है जो मरे को मारना है । न्याय का तकाजा तो यह है कि ऐसी भूमि की लगान व सिंचाई माफ हो जाना चाहिये । क्योंकि जब नहरों के पानी से किसान के खेत बारहों महीने पानी से डूबे रहते हैं और उनमें बुआई ही नहीं हो पाती तो फिर लगान व सींच वसूलने का क्या औचित्य है ?

होना तो यह चाहिये कि जब नहर का पानी किसान को नुकसान पहुंचाता है तो उसे नहर विभाग द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिये जैसा कि खांदा हो जाने पर होता है । यह सीपेज का समस्या खांदी से भी अधिक विनाशकारी है ।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से मांग करता हू कि शारदा सहायक समानान्तर शाखा दरियाबाद के सीपेज को दूर करने के लिये दोनों शाखाओं को पक्का कराया जाय, सीपेज से प्रभावित खेतों को लगान व सिंचाई माफ की जाय तथा वसूली तत्काल स्थगित की जाय तथा समानान्तर शाखा के किनारे पर बसे गांवों को तत्काल ऊंचा कराया जाय ।

ग्राम साढूपुर, जिला मैनपुरी में हुई दुर्घटना में हरिजनों को दिये गये आश्वासन की पूर्ति न होने पर भूतपूर्व सांसद श्री रामजी लाल द्वारा आमरण अनशन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अकबर हुसैन—

ग्राम साढूपुर, जिला मैनपुरी में जो गम्भीर दुर्घटना 30 दिसम्बर 81, को हुई थी, उस सम्बन्ध में मुख्य मत्री तथा शासन के अन्य मंत्री साढूपुर गये थे और वहां साढूपुर के हरिजनों को तरह-तरह के आश्वासन देकर आये थे । जिसमें बड़ी मात्रा में रुपया देना भी सम्मिलित था साथ ही साथ उनको अग्निशस्त्र के लिए लाइसेन्स देने का भी आश्वासन दिया गया था । डेढ़ महीना बीत जाने के बाद भी शासन की ओर से इन आश्वासनों की पूर्ति नहीं हुई है, जिसकी वजह से उस क्षेत्र के हरिजन वर्ग में विशेष रूप से असन्तोष उत्पन्न हो गया है ।

इस असन्तोष को लेकर श्री राम जी लाल भूतपूर्व संसद सदस्य तथा महामंत्री उत्तर प्रदेश जनता पार्टी ने दिनांक 7-2-82 से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन ग्राम साढूपुर में आरम्भ कर दिया है । जिसके कारण और भी असन्तोष, अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गई है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ग्राम साढूपुर, जिला मैनपुरी में हुयी दुर्घटना में हरिजनों को दिए गए आश्वासन जी पूर्ति व होने पर भूतपूर्व सांसद श्री रामजी लाल द्वारा आमरज अनशन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय की ओर नियम 301 के अन्तर्गत माननीय सदन द्वारा शासन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं ।

जनपद आजमगढ़ की मुहम्मदाबाद तहसील के लक्ष्मीपुर माइनर में पानी जमा होने से मकानों तथा फसल को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दूधनाथ राजभर--

जनपद आजमगढ़ के विकास खंड जहानाबाद, तहसील मुहम्मदाबाद में लक्ष्मीपुर माइनर में पानी जमा होने से फसल तथा मकानों को व्यापक बरबादी हो रही हैं । मैं स्वयं उक्त माइनर से प्रभावित लगभग एक दर्जन ग्रामों का दौरा करके सम्बन्धित अधिकारियों से बरबादी के रोकथाम के सम्बन्ध में वार्ता किया परन्तु आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई जिसके कारण फसलों तथा मकानों की व्यापक बरबाद हो रही है ।

एक ओर जहां इस वर्ष को देश को महान नेता प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उत्पादन वर्ष घोषित करके प्रत्येक क्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि का आह्वान किया है वही चन्द अधिकारियों की लापरवाही से हजारों एकड़ की खड़ी फसल बरबाद हो रही है तथा बहुत से गांव जल भराव के कारण घिर गये हैं, कई लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गये हैं । यदि तत्काल रोक थाम की व्यापक कार्यवाही नही की गई तो लक्ष्मीपुर माइनर के किनारे बसे ग्रामवासियों के समक्ष अनेकानेक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना को सदन के संज्ञान में लाते हुये शासन से मांग करता हूं कि तत्काल लक्ष्मीपुर माइनर से हो रहे जल भराव तथा जल फैलाव को रोका जाय, जिनकी फसलें तथा मकान बरबाद हो चुके हैं उन्हें मुआवजा दिया जाय । दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाय ।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1981, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 जनवरी, 1982 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक, प्रमाणित किया गया था और दिनांक 28 जनवरी, 1982 को विधान परिषद सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 9 फरवरी, 1982 को वापस प्राप्त हो गया है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश में गांव पंचायतों, क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों के चुनाव के संबंध में वक्तव्य

ग्राम्य विकास एवं पंचायत राज मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

पंचायती राज के तीनों स्तरों अर्थात् ग्राम पंचायतों, क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों के चुनाव बहुत पहले हुये थे । इनके नये चुनाव कराने का प्रश्न शासन में काफी दिन पहले से विचाराधीन रहा है । विभिन्न प्रशासनिक एवं तकनीकी कारणों के फलस्वरूप यह निर्णय लिया गया था कि प्रजातांत्रिक प्रणाली को शीघ्रातिशीघ्र स्थापित किया जाये और इस दृष्टि से यह आवश्यक हो गया था कि विविधि रूप से कार्य कर रही गांव पंचायतों के प्रधानों के बिना चुनाव कराये क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों का अतिशीघ्र गठन कर दिया जाये । इस दृष्टि से यह भी आवश्यक था कि अनुमेलन की वह प्रक्रिया जिसमें काफी समय लगता था, को समाप्त कर क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों में मनोनयन कर दिया जाये और ब्लाक प्रमुखों तथा जिला परिषद् के अध्यक्षों का चुनाव कर दिया जाये । जब यह प्रक्रिया चालू थी तभी उच्च स्तरीय विचार विमर्श के उपरान्त यह निश्चित किया गया कि जन प्रतिनिधियों की भावना का आदर करते हुये यह अधिक उचित होगा यदि ग्राम प्रधानों के चुनाव कराने में प्रशासनिक एवं तकनीकी बाधाओं का निराकरण किया जाये और फिर क्षेत्र समितियों के और बाद में जिला परिषदों के चुनाव कराये जायें तदनुसार सरकार ने निर्णय लिया है कि ग्राम पंचायतों, क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों के चुनाव शीघ्र सम्पन्न कराये जायें ।

ग्राम पंचायतों के चुनाव मार्च से प्रारम्भ होकर जून, 1982 तक 6 चक्रों में कराये जायेंगे । गांव पंचायतों के विभिन्न चक्रों में निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव सम्पन्न कराये जायेंगे :

1--नाम-निर्देशन	1 मार्च, 1982
निर्वाचन	21 मार्च, 1982
2--नाम-निर्देशन	19 मार्च, 1982
निर्वाचन	10 अप्रैल, 1982
3--नाम-निर्देशन	7 अप्रैल, 1982
निर्वाचन	28 अप्रैल, 1982
4--नाम-निर्देशन	25 अप्रैल, 1982
निर्वाचन	15 मई, 1982
5--नाम-निर्देशन	12 मई, 1982
निर्वाचन	3 जून, 1982
6--नाम-निर्देशन	1 जून, 1982
निर्वाचन	21 जून, 1982

मौसम को ध्यान में रखते हुये क्षेत्र समितियों का चुनाव सितम्बर, 1982 के अन्त तक और जिला परिषदों के चुनाव अक्तूबर/नवम्बर, 1982 तक सम्पन्न करा लिये जायेंगे ।

श्री रियासत हुसैन--

मंत्री जी चक्रों के बारे में स्पष्ट कर दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इस वक्तव्य की दूसरी कंडिका की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि वह चक्रों को स्पष्ट कर दें ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, एक जिले को 6 भागों में विभाजित किया जायेगा और प्रथम भाग में पहले चक्र में चुनाव कराये जायेंगे, द्वितीय भाग में दूसरे चक्र में, तीसरे भाग में तीसरे चक्र में चुनाव कराये जायेंगे । मान्यवर, पहले की प्रक्रिया ऐसी ही रही है ताकि कोई व्यवस्था आदि की गड़बड़ी न हो और ठीक से चुनाव सम्पन्न कराये जा सकें ।

श्री प्रियदर्शी जेटली--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्षेत्र समितियों के जो प्रतिनिधियों का मनोनयन होना था । उसको स्थगित किन कारणों से किया गया, इसके अलावा समितियों के अब किस आधार पर मनोनयन और नामांकन किया जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, चूंकि सरकार ने निर्णय लिया कि हमें प्रधानों के चुनाव कराना है इसलिये जो उस समय सहकारी समितियों के चुनाव की प्रक्रिया हो गयी थी उसको समाप्त करना पड़ा । जहां तक मनोनयन का प्रश्न पूंछ रहे हैं तो सरकार ने निश्चिय किया है और सरकार का विचार है कि मनोनयन किया जायेगा लेकिन यह मामला उच्च न्यायालय के विचाराधीन है इसलिये निवेदन है कि इस सिलसिले में वह अधिक न पूछें ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि सदन के सामने जो इनका विधेयक आया है उसके बारे में अभी शासन की क्या स्थिति है । दूसरी बात इसी प्रक्रिया में सहकारी संस्थाओं में प्रशासक नियुक्त किये गये थे तो उनकी क्या स्थिति होगी ? क्या उनको समाप्त करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

अध्यादेश तो सदन में आया है लेकिन जहां तक मनोनयन का प्रश्न है तो निवेदन कर चुका हूं कि मामला उच्च न्यायालय के अधीन है इसलिए चर्चा करना उचित नहीं होगा ।

श्री मोहन सिंह--

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो आपने विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया है अब उसकी क्या स्थिति है । उसको वापस लेंगे या उसको पारित कराने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

वापस लेने का कोई विचार नहीं किया गया है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मैं जानना चाहता हूं कि क्या शासन प्रमुखों और उप प्रमुखों के मनोनयन के सम्बन्ध में विचार कर रहा है ?

श्री बलराम सिंह यादव --

प्रमुखों के मनोनयन का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्री भोखा लाल--

माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उससे साफ नहीं हुआ है । ब्लाक समितियों का गठन करना था इस वजह से 15 नागरिकों का मनोनयन करना था और 5 आदमियों को सहकारी समितियों से नामिनेट करना था । ब्लाक में नामजदगी नहीं होगी तो जो सहकारी समितियां या अन्य दूसरी सहकारी समितियां थीं, जिसमें आपने सरपंच वगैरह नामिनेट कर दिये थे उनको भी समाप्त कर दिया जायगा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, जनता शासन ने मतदान के लिये 21 साल से 18 साल की आयु कर दी थी, तो आपने मतदान की आयु क्या रखी है ? जो मतदाता सूचियों में संशोधन हुआ करते थे उस सम्बन्ध में वक्तव्य में नहीं दिया है ।

श्री बलराम सिंह यादव --

मतदाता सूचियों में संशोधन हो रहा है और लिस्ट तैयार हैं । उन पर जो एतराज हैं, वह मांगे गये हैं ।

श्री ख्वाजा हलीम--

मान्यवर, जब यह गढ़वाल की एक कांस्टीटुयेंसी में चुनाव नहीं करा पाये और शकधर साहब को लिखा कि हम इंतजाम नहीं करा सकते तो इतने बड़े चुनाव का इंतजाम करा पायेंगे कि नहीं ?

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, इसी संदर्भ में मंत्री जी ने एक विधेयक पेश किया है ।

श्री ओम प्रकाश जिंदल---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । किसी भी वक्तव्य पर ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जा सकते ।

श्री हुकम सिंह---

मान्यवर, इस विधेयक के माध्यम से जो 15 सदस्यों के क्षेत्र समितियों में मनोनयन की प्रक्रिया रखी थी, तो अब आप ग्राम प्रधानों का चुनाव करा रहे हैं, तो जो पुरानी व्यवस्था थी कोटेशन की उसको बहाल करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव---

अभी जो शासन ने निर्णय लिया है वह उसी पर दृढ़ है । अगर शासन इसके बाद कोई परिवर्तन करता है तो यह बाद की बात है ।

श्री मित्रसेन---

मान्यवर, जिला परिषद् के अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा करायेंगे या प्रधानों द्वारा करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

यह अलग प्रश्न है ।

श्री रियासत हुसैन---

यह देखते हुये कि जो आपने सारे जिला परिषदों का गठन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा करने के लिये यह वक्तव्य दिया है तो इसको ही 100 परसेंट इसकी कामयाबी के लिये क्या आप इस पर विचार करेंगे कि जो कोआपरेटिव संस्थायें हैं, उनमें जो सरपंच प्रशासक आपने मुकर्रर किये हैं उनको भी समाप्त करके चुनाव के द्वारा लाने का प्रयास करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव---

ऐसा सरकार का कोई विचार नहीं है ।

श्री जसवंत सिंह विष्ट---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कुछ प्रदेश में नये विकास खंडों के प्रस्ताव शासन के पास पहुंचे हैं, तो क्या उनको विकास खंड घोषित करके चुनाव करायेंगे ?

दूसरी बात कुछ नयी ग्राम सभाएं शासन में प्रस्तावित हैं, तो क्या उन ग्राम सभाओं को भी घोषित करेंगे, नयी ग्राम सभाओं के रूप में और क्या उनके चुनाव कराये जायेंगे ? इस प्रकार के 5 विकास खंड अल्मोड़ा से प्रस्तावित होकर शासन में आये हैं तो क्या सरकार इन विकास खंडों को मानेगी और मानकर इनके चुनाव आदि शीघ्र कराने की व्यवस्था करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव---

मान्यवर, जो नयी ग्राम सभाएं बनेंगी, उनके निश्चित रूप से चुनाव कराये जायेंगे ।

श्री जसवंत सिंह विष्ट---

अल्मोड़ा के उन 5 विकास खंडों के बारे में भी बता दीजिए, क्यों वहां पर इसको लेकर आये दिन आंदोलन हो रहे हैं । तो क्या इसके भी चुनाव कराये जाने के लिए शासन में कुछ विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष--

बैठ जाइये, आपके प्रश्न का उत्तर आ गया, माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि चुनाव कराये जायेंगे, इसलिए आप बैठें ।

मुख्य मंत्री के जाली हस्ताक्षरों से आदेश किये जाने की शंका के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मेरे एक औचित्य के प्रश्न को भी सुन लिया जाए बहुत गम्भीर प्रश्न है । मान्यवर, मुझे मौका दिया जाए ।

श्री अध्यक्ष--

बैठिये, आप । पहले बैठ जाइये । आपका औचित्य का प्रश्न यही है न कि यहां से जो आदेश प्रसारित होते हैं, वह माननीय मुख्य मंत्री या किसी अधिकारी के हस्ताक्षर से होते हैं, आपने यह कहा है कि कोई आदेश किसी जगह ऐसे चले गये हैं जो माननीय मुख्य मंत्री के हस्ताक्षर नही प्रतीत होते हैं, वहां के अधिकारियों को संदेह है, तो इस पर जांच कराई जा रही है । तो इसमें आपका औचित्य का प्रश्न कहां से बनता है, ठीक है संदेह है, उसको दूर करने के लिए देखा जा रहा है ।

(शोर)

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, हम जानना चाहते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जो इस आदरणीय सदन के नेता भी है और उनके कोई भी आदेश सचिव, अध्यक्ष जिला परिषद् आदि स्थानों पर जा सकते हैं, तो क्या उसमें कोई नम्बर 2 का भी मुख्य मंत्री है, जिसके आदेश जिलों में जाते हैं ?

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी के जाली आदेशों की बाढ़ आयी हुयी है ।

(व्यवधान)

(एक साथ कई सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठ जाइये, कृपया शांत रहें । यह न तो सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित है और न ही किसी नियमों के तहत है । आदेश किसी के न किसी के हस्ताक्षर से जाते हैं, चाहे वह माननीय मुख्य मंत्री के हस्ताक्षर से जायें या किसी अधिकारी के हस्ताक्षर से लेकिन यह बात सही है कि हस्ताक्षर नकली भी हो सकते हैं और अगर किसी को इसका संदेह हो गया हो, तो वह उसकी जांच करा रहे हैं, उससे पता चल जायेगा, तो इसको किन नियमों के तहत लिया जाए ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत 6 सूचनाएं प्राप्त हुयी थीं, जो सर्वश्री राम आसरे वर्मा, गोपी नाथ वर्मा, खैरुल बशर, मित्रसेन यादव, मसरूर जाफरी तथा जसवंत सिंह विष्ट द्वारा दी गयी थी और जो जनपद फैजाबाद में स्थित टांडा में डा0 भीमराव अम्बेदकर के नाम से शिलान्यास किये गये तापीय विद्युत परियोजना का नाम बौले जाने का प्रयास किये जाने के सम्बन्ध में है। इसको हमने अस्वीकार कर दिया। तीन-चार बार यह सूचना पहले भी दी जा चुकी है, उस बार भी मैंने इसे अस्वीकार किया था और इस बार पुनः अस्वीकार कर रहा हूं।

दूसरी सूचना राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की है, जो 11 फरवरी, 1982(कल) से प्रारम्भ हो रही पी0 सी0 एस0 परीक्षा की सूचना लोगों को न मिल पाने से हजारो अभ्यर्थियों के परीक्षा से वंचित रह जाने की आशंका से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में है, यह सूचना भी अस्वीकृत हुयी।

श्री हरगोविन्द वर्मा, श्री राधेश्याम पटेल और श्री राम सागर की पिछले एक माह से जनगणना विभाग के कर्मचारियों द्वारा सेवा से हटाये जाने के विरोध में अनशन किये जाने के सम्बन्ध में सूचना थी तथा श्री मोहन सिंह की प्रदेश के शराब व्यापारियों के एक सिंडीकेट द्वारा शराब के ठेके अपने हाथ में लिये जाने के सम्बन्ध में सूचना थी। इन सबको मैंने अस्वीकार किया।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय, एक मिनट ग्राह्यता के बारे में सुन लें।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने पर व्यवधान।)

श्री मसरूर जाफरी--

माननीय, मुझे भी सुन लें।

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1982†

(12 बजकर 46 मिनट)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय।

---

†दिनांक 17 अप्रैल, 1982 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

[श्री लोकपति--]

मान्यवर, आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति हमारे देश की और हमारे प्रदेश की प्राचीन चिकित्सा पद्धति रही है। हमारी यह पद्धति पिछड़ गयी और आज हमारी आवश्यकता है कि हम पुनः इसमें सुधार करें कि इस प्रदेश के लोगों को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करने के लिए विशेष तौर से अपने ग्रामीण अंचलों में हम इस चिकित्सा पद्धति का उपयोग करें। इसी प्रस्ताव में उत्तर प्रदेश के अन्दर अन्दर 8 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज चल रहे थे और दो राजकीय महाविद्यालय, लाल बहादुर शास्त्री स्मारक आयुर्वेदिक कालेज, हंडिया, इलाहाबाद और आयुर्वेदिक महाविद्यालय, वाराणसी के प्रान्तीयकरण का इसमें सुझाव है। लखनऊ के तिबिया कालेज और इलाहाबाद के यूनानी मेडिकल कालेज के भी प्रान्तीयकरण का इसमें सुझाव है। इसी के साथ प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति इनका भी सुधार करने का इसमें प्रस्ताव है। मेरी समझ से यह सम्मानित सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्रीमन्, अभी कुम्भ का मेला हुआ था, एक उदाहरण स्वरूप में यह बात उठाता हूं, उस मेले में प्रथम बार आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का भी उपयोग किया गया और लगभग 77 हजार लोग आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में अपनी चिकित्सा हेतु आये। विगत वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक चिकित्सा का प्रसार किया गया, जहां से यह शिक्षा वास्तव में सम्बन्ध रखती है। इसलिये यह उचित है कि शासन आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति का राजकीय करण कर ले और यह जो विद्यालय हैं, इनका भी प्रान्तीयकरण हो। यह विषय में सदन के सम्मुख उपस्थित करता हूं। और मुझे विश्वास है कि यह सदन इसे स्वीकार करेगा और अगर हमारी कोई त्रुटि हो तो उसके लिये हमारा मार्गदर्शन करेगा।

* श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मैं अपना प्रस्ताव रखता हूं कि उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1982 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो 3 माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

श्रीमन्, इसमें दो राय नहीं है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने जो बिल प्रस्तुत किया है जिसमें दो यूनानी और दो आयुर्वेदिक कालेजों के प्रांतीयकरण करने की बात रखी गयी है, यह काबिले मुबारकबाद की बात है क्योंकि इस चीज की बहुत जरूरत थी और पिछले दिनों इसकी मांग को लेकर छात्रों के आन्दोलन भी हुए और हरिद्वार वगैरह के कालेजों को टेक ओवर करने की बात बराबर चलती रही। इनकी हालत तो खराब थी ही जिसको कि अब माननीय मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है और आपकी नजर वहां पहुंची और आज यह बिल सामने आया है। परन्तु एक बात पर मैं चाहता था कि यह प्रवर समिति में जला जाता क्योंकि यह दोनों कालेज यूनानी और आयुर्वेदिक का यह नेचरोपैथी है। हमारे हिन्दुस्तान की और खास करके उत्तर प्रदेश की अबोहवा इसके लिये ज्यादा अच्छी साबित हो सकती है बमुकाबिले एलोपैथी के इलाज के। एलोपैथी इलाज के दाम इस कदर बढ़ गये हैं कि एक साधारण आदमी आसानी से एलोपैथी इलाज नहीं करा सकता है। तो उन कालेजों को माननीय मंत्री जी ने टेक-ओवर कर लिया है इससे लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। परन्तु इसमें जो आपने बजट रखा है 3,12,000 रुपये का, तो जो कालेज अब तक जर्जर होकर रह गये हैं, उनको ठीक करने के लिये क्या इतना धन काफी हो सकेगा ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इन दोनों कालेजों के अध्यापक, छात्र और मैनेजमेन्ट आदि जो सब लोग आकर यहां मिले हैं और उन्होंने जो अपनी परेशानियां बयान की हैं, उन सबका समावेश आप कैसे इतने बजट में करेंगे जैसी कि आप बात कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगले साल आपको और कुछ जरूरत उसके लिये महसूस हो और उसके दो साल बाद और कुछ जरूरत समझ में आये और हासिल हो और आप फिर से बजट लायें तो इसके लिये मैं साफ यह चाहता था कि जो आपकी नियत है और जो डिक्लेरेशन है उसके लिये हमारा कोई विरोध नहीं है परन्तु बार-बार आप बजट ला कर पैसा लें चूंकि इनका वित्तीय बजट इस कदर खराब हो गया है और कालेजों की दशा भी जर्जर हो चुकी है तो उनके सुधार के लिये आप सब मुद्दों पर विचार कर लें ताकि उनकी सब जरूरतों का उसमें समावेश हो सके, उसके लिये मुकम्मल तौर से आपके सामने बार-बार दिक्कतें न आयें। इसलिये इस अच्छे मकसद में जो आप चाहते हैं इस तरह से डिले हो जायेगी। इस डिले को एवायड करने के लिये मैं चाहता हूं कि इसे प्रवर समिति में भेज कर आप बैठ कर निर्णय कर लेंगे तो वह काम हो जायेगा और इस तरह से आप एक कम्प्रेहेन्सिव चीज पर विचार कर सकते हैं।

मैंने यह प्रस्ताव इसी लिये रखा है, अब आगे मंत्री जी का काम है कि उनको जो इच्छा हो करें। इसमें कोई शक नहीं कि वे इस बिल को लाकर इसमें मुबारकवाद के वे हकदार हो गये हैं परन्तु इतने बजट में उन्हें सफलता प्राप्त होगी, इसमें मुझे सन्देह है।

श्री भगवती सिंह विशारद—

अध्यक्ष जी, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि वह दो आयुर्वेदिक विद्यालयों और दो यूनानी विद्यालयों का प्रान्तीयकरण कर रहे हैं। इस मांग को लेकर इन चारों विद्यालयों के छात्र काफी समय से अन्दोलन कर रहे थे और उनकी मांग थी कि जिस प्रकार होमियोपैथिक विद्यालयों का राष्ट्रीयकरण या प्रान्तीयकरण किया गया है उसी तरह से हमारे विद्यालयों का भी प्रान्तीयकरण किया जाये और चूंकि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने आज उनकी मांग स्वीकार कर के जो विधेयक प्रस्तुत किया है, तो मैं उन विद्यार्थियों की ओर से उनको धन्यवाद देता हूं। और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

मान्यवर, एक संशोधन भाई रियासत हुसैन साहब ने प्रस्तुत किया। मैं उनके संशोधन का समर्थन करता अगर वह उसमें इसकी परिधि भी बढ़ाने के लिए रखते लेकिन उन्होंने संशोधन में परिधि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा और इसके साथ ही साथ जो बातें रखी हैं उसके सन्दर्भ में उन्होंने कोई खंड या धारावार संशोधन भी नहीं रखा इससे यह प्रतीत होता है कि अगर इस विधेयक को किसी प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जायेगा तो जो विद्यार्थियों की मांग है उसमें थोड़ा विलम्ब लगेगा, इस लिए मैं इनके संशोधन का विरोध करता हूं।

यह बात सही है कि हमारे प्रदेश में यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सालयों, चिकित्सा पद्धति को अत्यधिक मान्यता है हर साधारण से साधारण आदमी भी इस पद्धति से कुछ न कुछ परिचित है और दखल रखता है। मंत्री जी एक व्यवस्था करने जा रहे हैं इससे विद्यार्थियों को सुचारुरूप से शिक्षा मिलेगी तो मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप विद्यालय तो खोलते जा रहे हैं लेकिन अगर अस्पताल नहीं खोलेंगे तो इन विद्यालयों से निकले हुये छात्रों को

[श्री भगवती सिंह विशारद--]

काम और जनता को चिकित्सा सुविधा कैसे मिलेगा । इसलिए यह आवश्यक है कि जिस तरह से प्रान्तीयकरण करके विद्यालयों को ले रहे हैं उसी तरह प्रान्तीय स्तर पर चिकित्सालयों की भी ज्यादा से ज्यादा स्थापना करें जिससे जिस उद्देश्य को प्रकट किया है उसकी पूर्ति हो सके और उन विद्यालयों से वैद्याचार्य हो कर जो छात्र निकलेंगे उन को काम मिल सकेगा । इसके साथ ही साथ मैं उनके द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं ।

* डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय स्वास्थ मंत्री जी के माध्यम से, जो यहां पर एक सुन्दर विचार आया है, उन को बधाई देना चाहता हूं परन्तु मान्यवर, एक समस्या तो मंत्री जी ने हल कर दी और वह निरन्तर आ रही थी प्रदेश के सामने और ऐसी समस्या उपस्थित हो गई थी कि जब तक इन कालेजों का प्रान्तीयकरण नहीं किया जाता तब तक इसका हल नहीं होता । जहां उन्होंने इस प्रकार का हल निकाला है मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि वह सचमुच में भारतीय चिकित्सा पद्धति में जोर दे कर उसे स्थापित करना चाहते हैं तो इस में दो राय नहीं है कि हमारी प्राचीन स्वास्थ्य सम्बन्धी जो पुस्तकें हैं, निघन्टु से ले कर के आज तक की पुस्तकें हैं उन को नये ढंग से प्रस्तुत करने की जरूरत है । तो इस पर विचार करेंगे । यदि इसको उपयुक्त समझें, तो उत्तम होगा ।

मान्यवर, इसलिए भी इस विषय पर मैं कहना चाहता हूं हमारे पर्वतीय अंचल में इस समय विदेशों की एजेंसियां काम कर रही है और वे वहां पर किनगोड़ा नाम का एक पौधा होता है उसकी जड़ से आंख की दवाई बनाने की कोई औषधि निकाली जाती है । उन जड़ों को आज इकट्ठा करके जापान ले जाया जा रहा है । टिहरी-गढ़वाल के पंवाली क्षेत्र में तथा बद्री केदारनाथ तक पंजाब के लोग यह व्यापार कर रहे हैं । जड़ी-बूटियों को पता नहीं कहां भेज रहे हैं । इसमें भी निघण्टु के समय पर दवाइयां बनी हैं और अब तो नई-नई बीमारियां भी निकल रही हैं । अगर आयुर्वेदिक पद्धति में भी रिसर्च किया जाय, शोध कार्य किया जाय तो नए-नए ढंग से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है । जो औषधियां हमारे यहां हैं उस पर रिसर्च करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है । आयुर्वेदिक पद्धति को नए ढंग से, नए तरीके से कालेजों में उसका रिसर्च किया जाय और उसको आगे बढ़ाया जाय ।

मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि वे इस दिशा में कार्य करें और तीन लाख तो कुछ भी नहीं है इस पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए करोड़ों में धन की आवश्यकता होगी । हम उनके इस प्रकार के विचार का स्वागत करते हैं और उनसे यह अपेक्षा करते हैं कि वे इस पद्धति को सुदृढ़ बनाने की ही चेष्टा न करें बल्कि उसको दूसरा स्वरूप देने का पूरा प्रयास करें । मन्त्री जी ने समस्या का समाधान किया है जब कि वास्तविक समस्या तो यह है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को इस देश में पूरी तरह से जिन्दा रखा जाय और यह तभी रखा जा सकता है जब कि इन जड़ी-बूटियों को रोका जाय और जो पर्वतीय अंचलों में जैसे गढ़वाल, कुमायूं आदि अंचलों में रिसर्च लैबोरेटरीज बना दी जाय और विद्यापीठ में तो कार्य हो ही रहा है, उसको भी और सुविधा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रदान की जाय। एलोपैथिक पद्धति में ऐसा कोई इलाज नहीं है कि बीमारियों का अन्त कर दे परन्तु आयुर्वेदिक में इसके लिए पूरी व्यवस्था है, पूरा उसमें प्राविधान है लेकिन रिसर्च की दिशा में भी, शोध कार्य की दिशा में भी कार्य होना चाहिए और वहां के जितने स्न तक हैं उनको भी उसी प्रकार का मौका मिलना चाहिए ताकि वह अपने को ऐलोपैथिक डाक्टरों से कम न समझें। स्वास्थ्य मन्त्री ने इसके लिए जो निदान किया उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं लेकिन यह बधाई तभी सार्थक होगी जब वे और बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाकर आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को नया रूप देकर इसको करें। मैं इस सदन से भी निवेदन करूंगा कि वे इस पद्धति को पूर्ण करने के लिए यदि करोड़ों रुपयों की आवश्यकता हो तो वह देनी चाहिए तभी हमारे प्रदेश में इससे एक प्रकार की शक्ति मिलेगी और हम इसको सफल कर सकेंगे।

*श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे स्वास्थ्य मन्त्री जी के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्रीमन्, हमारे स्वास्थ्य मन्त्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह बहुत ही स्तुत्य है और मैं तो यह कहूंगा कि प्रान्तीयकरण के लिये इनका प्रयास होम्योपैथी के लिये हुआ, वह भी स्तुत्य है। आयुर्विज्ञान संस्थान की जो स्थापना इन्होंने की है, 34 वर्ष के बाद हम लोगों की यह कामना पूरी हुई है। इसलिये कि इस प्रकार के कठिन से कठिन काम जो आते हैं उसमें इनको सफलता मिली है, इसके लिये भी हम इनको धन्यवाद देना चाहते हैं आपके माध्यम से। श्रीमन्, आयुर्वेदिक और यूनानी दोनों कालेजों के प्रान्तीयकरण के लिये जो विधेयक माननीय मन्त्री जी ने रखा है, इसको हमारा पूर्ण समर्थन है। लेकिन मेरा एक सुझाव है श्रीमन्, आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति के जो संस्थान हैं उनको इस देश में भारी मान्यता है और परम्परायें हैं। उनको प्रोत्साहन अवश्य मिलना चाहिये। मैं तो आपके माध्यम से पूरे सदन से जिसमें माननीय मन्त्री जी भी शामिल हैं, प्रार्थना करता हूं कि अगर प्राचीन पद्धति के अनुसार इनकी पढ़ाई की जाय और उसके जरिये रोगों का निदान करें तो बहुत बड़ा लाभ होगा। जैसे आयुर्वेद में नाड़ी विज्ञान की पढ़ाई का बड़ा ही महत्व है जिस पर कोई भी काम नहीं हो रहा है जैसे एलोपैथी अपनी जगह पर है जो अपने तरीके से अपना काम करता है वैसे ही आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति की जो संस्थायें हैं उनको अपनी प्राचीन मान्यता के आधार पर काम करना चाहिये। वनस्पति औषधियां काफी तादाद में हमें मिल सकती हैं और उसके माध्यम से वे सब रोगों का नाश कर सकती हैं। अनुभव यह बतलाता है कि आयुर्वेदिक कालेज के लड़के भी एक आला लेकर आते हैं, होम्योपैथिक वाले भी वही आला लेकर आते हैं और इस तरह से एक ऐसा मिक्श्चर बना दिया है कि कोई चीज ठीक से चल नहीं पा रही है। एलोपैथिक चिकित्सा का प्रकरण अपनी जगह पर चल रहा है, ठीक है जहां तक आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सा पद्धति का सम्बन्ध है।

प्राचीन मान्यता के आधार पर इलाज करने के लिये आयुर्वेदिक अस्पताल भी होने चाहिये। इसके लिये कहा जा सकता है कि पैसा बहुत कम है लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी—]

आयुर्वेदिक दवाओं के दाम बहुत कम होते हैं फिर भी इसके लिये पैसे तो मिलने ही चाहिये । लेकिन पैसा होने के बावजूद भी जो बड़े-बड़े काम होते हैं उसकी जिम्मेदारी माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी पर ही डाल दी जाती है । पे कमीशन की रिपोर्ट पर तनख्वाह में कोई गड़बड़ी हो जाय तो ये जरूर बुलाये जाते हैं और मैं समझता हूं कि हर कठिन से कठिन काम को ये सम्भालते रहते हैं । हमारे वनों में कठिन से कठिन रोगों के निदान के लिये काफी तादाद में वनस्पति औषधियां जड़ी-बूटी की शक्ल में मिल जायेंगी और उसके लिये आपको अलग से कोई फंड वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी । मैं चाहता हूं कि आप स्वयं और इस सदन के माननीय सदस्य रोगों के नाम के लिये आयुर्वेदिक औषधियों की ही केवल सेवन करें और एलोपैथी को केवल सर्जरी के काम के लिये रखें । बाकी पैसा आयुर्वेदिक व यूनानी कालेजों की पढ़ाई में दिया जाय ।

मैं कहता हूं कि धतूरा है, उसका बीज व पत्ता कई रोगों में काम आता है । तुलसी की पतई को अगर चाय में मिला कर पियें तो उससे बुखार नहीं आयेगा । स्वास्थ्य मन्त्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं और सारा सदन उनको धन्यवाद देता है । लेकिन अब उसमें ही पुरानी व्यवस्था करें । पहले नाड़ी पहचान करायें । सभी वैद्य लोग जो हैं नाड़ी पहचान करें और उसके मुताबिक रोग को दवा दें । पैसे की जहां तक बात है, इनको सब से कम पैसा दिया गया है, तो उसका इलाज बता रहा हूं । वनस्पति के लिए लिखें । बनारस में पुराने लोग हैं । वे परची लिख देते थे । तमाम वनस्पति रखते थे । रोगों में लगाते थे । लाभ होता था । अंग्रेजी दवा में क्या है जैसे एक इन्जेक्शन अंग्रेजी में लिख कर दे दिया चाहे यूनानी पढ़ कर आयें चाहे आयुर्वेदिक । मैं चाहता हूं कि होम्योपैथी में, आयुर्वेदिक में, यूनानी में, आला लगाने को प्रतिबंधित कर दिया जाय । आला का प्रयोग न हो । अपनी पद्धति के साथ रोग का निदान करें, सेवा करें, यह मेरा कहना है ।

मैं पुनः स्वास्थ्य मन्त्री जी को इस बात के लिए विशेष धन्यवाद दे रहा हूं और आगे भी देता रहूंगा कि वह प्राचीन पद्धति के अनुसार पढ़ाई और दवाई दोनों की व्यवस्था करें । धन्यवाद ।

*श्री फखरे आलम—

मान्यवर, मैं जन स्वास्थ्य मन्त्री जी के प्रस्ताव पर उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं और मैं यह समझता हूं कि शायद यह सरकार की तरफ से पहला प्रस्ताव है जो इस काबिल है कि जिस पर बधाई दी जाय । हमारे माननीय जन स्वास्थ्य मन्त्री पुराने समाजवादी हैं, बात सुन लीजिए, पुराने समाजवादी हैं और बहुत बड़े समाजवादी के बेटे हैं और इतने बड़े समाजवादी के बेटे हैं कि जिस समाजवादी के साथ इतनी बड़ी नाइन्साफी की गई कि उनको पद से जबरदस्ती निकाल दिया गया और सांस तक उन्होंने नहीं ली । ये शरीफ हैं । हमारे मन्त्री जी समाजवादी भी हैं और खानदानी शरीफ भी हैं । शरीफ बाप के बेटे हैं । इतना बड़ा शरीफ काम किया कि आपने आयुर्वेदिक, यूनानी, इन तमाम कालेजों को सरकारी बनाया और उनका प्रान्तीयकरण करने का यह प्रस्ताव रखा है जिसका हम लोग यहां समर्थन करने के लिए खड़े हुये हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, यह जो यूनानी कालेज हैं, आयुर्वेदिक कालेज हैं, ऐसे यूनानी कालेजों के बारे में मुझे ज्यादा मालूम है । इनको कुछ लोगों ने अपनी बपौती बना लो थी, अपनी जाती जायदाद बना ली थी उसके जरिये लाखों रुपये पैदा कर रहे थे । एडमिशन्स में हजारों रुपये लिया, करते थे और जरा-जरा से मुख्तलिफ नामों से रुपया लिया करते थे । इन्होंने जायदाद बना ली थी, जमींदारी बना ली थी जैसी जमींदारी । जुलाई, 1952 को खत्म को गई । उससे पहले जैसी जमींदारी बना रखी थी । जबरदस्ती लोगों से रुपया वसूल करते थे, फ्लोशिंग करते थे । इन्होंने वह फ्लोशिंग खत्म कर दी । ये बधाई के पात्र हैं । पूरे उत्तर प्रदेश के आप बधाई के पात्र हैं । आप ने ऐसा काम किया जो कि ऐसे बाप के बेटे को न करना चाहिए था जैसे कि आप हैं ।

मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, मान्यवर, आपके माध्यम से । यूनानी अस्पतालों की बड़ी कमी है उत्तर प्रदेश में । आप से मैंने डेढ़ साल पहले भी कहा था । माननीय मन्त्री महोदय से मैंने कहा था कि मेरे क्षेत्र सखानू में एक यूनानी अस्पताल बनाया जाय । माननीय मंत्री जी ने वायदा कर लिया था मगर नामालूम माननीय मन्त्री जी उसको भूल गए या किसी ने भुलवा दिया, क्या हुआ । माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा, फिर कहूंगा, बार-बार कहूंगा, कि सखानू में यूनानी अस्पताल बनाने का जल्द से जल्द आदेश दे दें । यह मैंने तारीफ इसलिए आपकी नहीं की कि अस्पताल बना दिया जाय । यह हमारा हक है । हमारा हक है कि अस्पताल हमारे यहां बने । हमने तारीफ आपकी इसलिए की कि हम तारीफ के काबिल समझते हैं । आपके बाप को तारीफ के काबिल समझते हैं । उनकी इज्जत करते हैं । इसलिए हमने आपकी तारीफ की है । और आपने यह एक बहुत बड़ी तारीफ का कम किया है । इलाहाबाद का जो यूनानी कालेज था उसके जो बनाने वाले थे, मैनेजर उसके वे खुद बन बैठ थे । उसकी आमदनी 8 लाख रुपया साल की थी । आपने उनकी आमदनी छीन ली । हम इससे खुश हैं । जैसा आपने जुलाई, 1952 में जमींदरी प्रथा खतम की थी । हमारी भी जमींदारी खतम हो गई थी । हमको तो 1857 में अंग्रेजों ने ही खतम कर दिया था इस तरह से इस यूनानी कालेज के प्रिंसिपल और मैनेजर को जो फ्लोशिंग कर रहा था और लोगों को और लड़कों को परेशान करता था, वहां से लड़के भागे हुए हैं, लखनऊ आये हुए हैं, उनका आपने ही स्वयं इन्तजाम कर दिया है और ऐसा इन्तजाम किया है कि मैं समझता हूं कि जो भी भूलें आपने अपने पिछले जमाने में की होंगी, जो भी कमियां रही होंगी उन्हें आज आपने इस बिल को लाकर दूर कर दिया है ।

मान्यवर, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि यूनानी और आयुर्वेदिक इलाज वह इलाज है जिसका यदि सही तरीके से किया जाय, सही तरीके से उसके सिस्टम को एडाप्ट किया जाय तो वह एलोपैथी के बमुकाबले अकीकत नहीं रखता । मैं एक ऐसा वाकया आपको बताता हूं कि मैं एक बार आपरेशन टबुल पर था । मेरी किडनी का आपरेशन होना था, उसमें एक बहुत बड़ा पत्थर था । सर्जन ने कहा कि एक बार यूनानी दवा करके देखो, अगर निकल जाय तो ठीक है अन्यथा 20 दिन के बाद आपरेशन करेंगे । मान्यवर, आप ताज्जुब करेंगे कि वह पत्थर यूनानी दवा खाने से निकल गया । इसी प्रकार

[श्री फखरे आलम---]

हमारे यहां बड़ी-बड़ी दवायें हैं जैसा कि हमारे माननीय शिवानन्द नौटियाल जी ने कहा, यहां पर कई जड़ी बूटियां हैं जिनसे दवायें बनाई जा सकती हैं। जापान से लोग आते हैं और हमारे यहां से इन जड़ी-बूटियों को ले जाते हैं और उससे वे बड़ी-बड़ी दवायें बना रहे हैं और हम देख रहे हैं। मैं अन्त में यह कहूंगा।

गुल फेके हैं औरों की तरफ बल्कि समर भी,
ए खाना वर अन्दाजे चमन कुछ तो इधर भी।

मैं माननीय मन्त्री जी को फिर से बधाई देता हूं कि वे इस तरह का बिल लाये हैं। इन शब्दों के साथ ही मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि वे सखानू में एक यूनानी अस्पताल बना दें और आज ही इसका वादा भी कर दें।

*श्री लाल प्रताप सिंह---

मैं माननीय मन्त्री जी को इस बिल के लाने के लिए उन्हें बधाई देता हूं। यह बहुत ही कांप्रिहेंसिव, प्रोग्रेसिव और लेजिस्लेटिव बिल है। इस बिल को पढ़ने से मुझे दो ऐतराज मालूम होते हैं जिन पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक तो चेप्टर तीन में सेक्शन 8 में आपने कहा है कि किसी प्राइवेट व्यक्ति को भी इस तरह की संस्था खोलने का अधिकार हो सकता है यदि शासन को इजाजत हो जाय। इसका दुरुपयोग हो सकता है। यह शर्त लगाना ठीक नहीं है। दूसरे सेक्शन 10 में आपने लिखा है कि माइनोरिटीज इन्स्टीट्यूशन के हिसाब से ही इस तरह की संस्था खोली जा सकती है। मैं समझता हूं कि इसमें माइनोरिटी और मेजोरिटी का प्रश्न नहीं होना चाहिए। जब सब कुछ राज्य सरकार ने ले लिया है तो किसी प्राइवेट व्यक्ति को इजाजत देना या माइनोरिटी संस्था का होना ठीक नहीं है। इसको निकाल दिया जाना चाहिए। जब वह प्रोविन्शियलाइज हो गया तो जो भी खुले वे सरकार के माध्यम से खुलें।

तीसरी बात मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आजकल बहुत से क्वैक्स देहातों में घूम रहे हैं। उनको इन्जेक्शन लगाना भी नहीं आता और बड़ी-बड़ी फेक दवायें लोगों को दे देते हैं। इस तरह से उन्होंने बहुत पैसा भी कमा लिया है। इसलिए उनके ऊपर भी कंट्रोल और नियंत्रण होने की जरूरत है।

[1 बजकर 20 मिनट]

किसी व्यक्ति ने कहा है कि वी हैव वेरी फेथ इन एलो मेडिसिन बट नाट इन एलो डाक्टर। यानी हमें हर दवा में विश्वास है लेकिन हर डाक्टर में विश्वास नहीं है। इसलिए क्वैक्स पर कन्ट्रोल करना बहुत जरूरी है। आज देहातों में इस तरह की बहुत दुकानें खुल गई हैं। एक मामूली इंजेक्शन का बहुत चार्ज करते हैं इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

एक बात मैं और कहूंगा यहां पर आयुर्वेद और यूनानी की बातें आई सभी पद्धतियों में अच्छाइयां हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं और अपना तजुर्बा बता रहा हूं कि इन अस्पतालों में ड्रेसिंग की व्यवस्था अच्छी नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं । अस्पताल वही अच्छा माना जाता है जहां पर मरहम–पट्टी का हिसाब–किताब अच्छा हो लेकिन आज इसमें कमी आती जा रही है । दूसरी बात यह कि अस्पतालों में एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल बहुत होता जा रहा है जब कि पहले मिक्सचर का इस्तेमाल होता था । इसलिए एंटीबायोटिक्स के स्थान पर पहले की तरह मिक्सचर का इस्तेमाल होना चाहिए । और ड्रेसिंग का भी ठीक प्रबंध होना चाहिए, अगर यह चीज ठीक नहीं होती है तो दवा का लाभ नहीं मिल पाता है ।

जहां तक आयुर्वेदिक और यूनानी का सवाल है या होम्योपैथी का सवाल है यह लोग एक्जरेट ज्यादा करते हैं कभी–कभी मुर्दे को जिंदा करने की बात करते हैं लेकिन उनको देखें तो बाद में वे भी एलोपैथी पर आ जाते हैं । मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि इसमें कोई कमी है लेकिन उसमें और अधिक रिसर्च होने की जरूरत है और एलोपैथी पर भी अधिक से अधिक ध्यान देने की जरूरत है । देहातों में आयुर्वेदिक अस्पताल खुले हैं, मेरा तजुर्बा है कि वह ज्यादातर पाक बनाने की बात करते हैं और कहते हैं कि इससे कायाकल्प हो जाएगा । तो इन सब में सुधार करने की आवश्यकता है ।

आखिर में एक बात कहूंगा कि हमारे प्रतापगढ़ में ड्रेसिंग का इंतजाम नहीं है, वहां पर नर्सों की भी बहुत कमी है, उसके लिए मैंने भी लिखा और वहां से भी लिखकर दिया गया इसलिए वहां के लिए विशेष ध्यान देंगे । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन का स्वागत करता हूं ।

*श्री मोहन सिंह––

मान्यवर, यह सरकार डेढ़ साल में कोई ऐसा विधेयक लाई जिसका मैं भी मजबूर होकर समर्थन कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष ––

तो मजबूर होकर क्यों कह रहे हैं खुलकर कहिए ।

श्री मोहन सिंह––

लेकिन उसके साथ–साथ कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं । एक सुझाव तो भाई लाल प्रताप जी को जो मैं देना चाहता था उपस्थित कर दिया कि निजी संस्थाओं को जो रास्ता छोड़ दिया है वह न छोड़िए । आपने इन संस्थाओं का प्रांतीयकरण किया है तो इससे कुछ लोगों को किसी बहाने से प्राइवेट कम्पनियां खोलने की छूट मिल जायेगी इस पर ध्यान देना जरूरी है ।

दूसरी बात जिन संस्थाओं का आप अधिग्रहण कर रहे हैं खासतौर से जो इलाहाबाद यूनानी विद्यालय है उसके प्रबंधतन्त्र में प्रधानाचार्य की विशेष शिकायतें थी । हमको सुनने को मिला कि वह हाई स्कूल पास भी नहीं हैं और इतने दिनों से धंधे के रूप में वह विद्यालय चला रहे हैं । तो सुझाव है कि जो अध्यापक हैं उन सबका नये सिरे से किसी बोर्ड के द्वारा या एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा सेलेक्शन होना चाहिए जिससे प्रांतीयकरण के बाद वाजिब लोग ही अध्यापन कर सकें । एक बात यह है कि आयुर्वेदिक दवा इस देश की अपनी परिस्थितियों के अनुकूल है लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि जो पुराने मनीषी थे जैसा अभी बाल–ब्रह्मचारी जी ने सुझाव दिया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोहन सिंह--]

मैं उनके कई सुझावों से सहमत हूं, लेकिन इसके साथ ही मेरा सुझाव यह है कि चूंकि आयुर्वेद के हमारे पुराने पंडितों ने अपनी विद्या को परम्परा से और पीढ़ियों से हमको नहीं दिया है, जिससे उनका ज्ञान धीरे-धीरे लुप्त होता गया है, इसलिये नये सिरे से गांवों में ऐसे लोग विद्यमान हैं, ऐसे आयुर्वेद के बिखरे हुए पंडित हैं, जिनके पास वह अक्षुण्य ज्ञान आज भी विद्यमान है, लेकिन आज भी उसे कोड के रूप में बताते हैं, विस्तृत रास्ता नहीं बताते हैं ।

अतः आयुर्वेद के सम्बन्ध में एक शोध संस्थान अपने प्रदेश में स्थापित करना चाहिए, इस पर आपको विचार करना चाहिए । इसके अलावा यदि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर न सही तो कम से कम जितने जिला केन्द्र हैं उनमें आपको आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सकों की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। अब तक जहां कहीं आपने यह किया भी है, उनके पास पूरे साधन, संसाधन और दवाएं उपलब्ध नहीं हैं, जिससे यह पूरी तरह से क्षमतापूर्वक इलाज नहीं कर सकते हैं । आपने हर जिले में एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को अपग्रेड करने की बात कही है, अच्छा हो कि उसी के अन्तर्गत आप अपग्रेडेड सेन्टर में ही आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा और चिकित्सकों की पूरी तरह से व्यवस्था कर दें और उनके लिए आप प्रापर फन्ड की व्यवस्था कर दें ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

माननीय, मैं आपके माध्यम से जन स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का स्वागत करता हूं । माननीय, भारतीय चिकित्सा जगत में जन स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय सन् 81 से शुरू किया था और सन् 82 में आकर यह सिद्ध कर दिया कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं अपितु हिन्दुस्तान के कोने-कोने के यूनानी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक के छात्र हमेशा उन्हें इस बात के लिए अच्छी तरह से याद रखें । भारतीय चिकित्सा पद्धति को इस प्रकार धीरे-धीरे नष्ट किया जा रहा था, जैसे लगता था कि एलोपैथी चिकित्सा के सामने भारतीय चिकित्सा की कोई महत्ता नहीं है । अभी हमारे तमाम सम्मानित सदस्य बोल रहे थे, आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी इतना सुन्दर और कल्याणकारी विधेयक इस सदन में लाए हैं कि आज विवश होकर, मजबूर होकर विपक्ष के साथियों को भी कहना पड़ा है कि स्वास्थ्य मंत्री धन्यवाद के काबिल हैं और उनको धन्यवाद दिया जा रहा है ।

मैंने देखा है, पढ़ा भी है और अनुभव भी किया है, एक तरफ करोड़ों-करोड़ों रुपया एलोपैथी पर खर्च किया जा रहा है । निश्चित रूप से माननीय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह करोड़ों-करोड़ों रुपया एलोपैथी पर पानी की तरह बहाया जा रहा है । मैं इस सदन में कहना चाहूंगा कि एक सर्जरी के अलावा एलोपैथी के पास ऐसी कोई दवा नहीं है, जो किसी भी क्रानिक डिजीज को समूल नष्ट कर सके । कुछ एन्टी बायटिक दवाएं अवश्य इनके पास ऐसी हैं, जो एक्यूट डिजीज में थोड़ा लाभप्रद हो जाती हैं, लेकिन आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक में तमाम ऐसी चीजें हैं, जिनके बारे में विश्वासपूर्वक और चैलेन्ज के साथ कहा जा सकता है । कोई भी पढ़ा-लिखा है, अगर उसको यह जानकारी है तो मैं उससे यह कहना चाहता हूं दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं है, जिसका आयुर्वेद में, यूनानी में और होम्योपैथी में उपयुक्त इलाज न हो ।

माननीय मोहन सिंह जी ने एक बात यहां पर कही है और उसमें यह प्रश्न निश्चित रूप से विचारणीय है कि अगर फिर इसको बनिए की दुकान बना दी गयी

और प्राइवेट लोगों के हाथ में इनको दे दिया गया तो लोग डिग्री प्राप्त कर लेंगे। बड़ी ही कठिनाई के बाद उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान में यह एक नया कदम उठाया गया है जिसने छात्रों को एक नयी दिशा दी है लेकिन आप भ्रमित न हों। ऐसे इन्स्टीट्यूशन्स को ऐसे हाथों में न दें जो एक-दो हजार रुपये के डोनेशन की बात करें। अभी माननीय मोहन सिंह जी जब बोल रहे थे तो कह रहे थे कि बिहार में आयुर्वेद के हजारों कालेज खुले हैं जिनमें डिग्री व डिप्लोमा मिल जाता है। वे ही डाक्टर हमारे यहां अध्यापक हो जाते हैं, उन्हें आयुर्वेद का कोई ज्ञान नहीं होता है लेकिन वे बी० एम० एस० आदि की डिग्री लेकर आ जाते हैं और यहां पर अध्यापक हो जाते हैं। जो अध्यादेश निकालने या प्रान्तीयकरण की बात कहते हैं, जो अध्यापक ऐसे इन्स्टीट्यूशन्स में रखे जायं उनका चयन निश्चत रूप से कमीशन के माध्यम से होना चाहिए। जिन विद्यालयों में कहीं-कहीं पर वर्ष 1961 और वर्ष 1962 से अध्यापक कार्य करते आ रहे हैं, मेरा निवेदन है कि उनको अपने पदों से नहीं हटाना चाहिए लेकिन अगर किसी रिफ्रेशर कोर्स की व्यवस्था हो सके तो उनको इसमें अवश्य भेजा जाय जिससे उनको और अधिक जानकारी हो सके।

बाबू मोहन सिंह जी ने कहा कि जिला चिकित्सालयों में आपने होम्योपैथिक और आयुर्वेद के डिपार्टमेंट खोले हैं लेकिन देहातों और शहरों में इनके डाक्टरों की बहुत कमी है। बड़े जोर के साथ सुना गया कि आप नियुक्ति भी करने जा रहे हैं। 2 सालों से मैंने 4-4 और 6-6 अस्पतालों को खोलने की प्रार्थना की, लेकिन आज तक एक भी नहीं मिल पाया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हर क्षेत्र में कम से कम एक होम्योपैथिक, एक आयुर्वेदिक और एक यूनानी अस्पताल देने की कृपा करें।

आज स्थिति यह है कि एक तो गरीबों के पास पैसा नहीं है कि जिससे वे अंग्रेजी दवाइयां खरीद सकें, दूसरे वे बहुत महंगी हैं, उनमें दम नहीं है कि वे उनको खरीद सकें। इन सारी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए, आप निश्चित रूप से वर्ष 1982 में हम लोगों के लिए आयुर्वेदिक और यूनानी डाक्टरों को दें। हम उनका स्वागत करते हैं।

अन्त में मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, जिन माननीय सदस्यों ने इस पक्ष के और उस पक्ष के मेरे प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किए और सुझाव दिए, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने इन कालेजों को टेक ओवर किया। उन्होंने तो यह प्रस्ताव किया लेकिन मेरे प्रस्ताव के जरिए माननीय सदस्यों को कुछ सुझाव देने का मौका मिल गया।

श्रीमन्, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं भारतीय आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणाली के बारे में, जो सुझाव यहां पर माननीय सदस्यों ने दिये हैं, प्रवर समिति में भी अगर यह जाता तो आप सुझाव ही मांगते, उस पर माननीय मंत्री जी विचार कर लें और समझ लें क्योंकि आज बहुत से ऐसे डाक्टर आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा के हैं जो एलोपैथी दवाओं की गोलियां पीस कर मरीजों को देते हैं। आप इस प्रणाली को ऐसा बना दीजिये कि एलोपैथी वाले डाक्टर इन

[श्री रियासत हुसैन—]

यूनानी और आयुर्वेदिक दवाओं को देने लगें। इसको आप ऐसा बना दें। यह आपकी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं कि जो सुझाव दिये गये हैं, उन पर माननीय मंत्री जी अवश्य गौर करेंगे, इसलिये मैं अपने प्रस्ताव पर जोर नहीं देता हूं।

श्री लोकपति—

मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे अपने कुछ बहुमूल्य सुझाव दिये। उनका कुछ का समायोजन कुछ अंशों तक हम कर भी चुके हैं। वित्तीय ज्ञापन में इसके शुद्धीकरण के लिये 39 लाख रुपयों का प्राविजन किया गया था, यह जो 3 लाख रुपया रखा गया है यह एक माह के लिये रखा गया है।

हमारे सम्मानित सदस्य डा0 नौटियाल जी ने कहा कि चमोली और बुन्देलखंड में काफी जड़ी-बूटियां उपलब्ध हैं। मान्यवर, इसके लिये यह प्राविधान किया जा रहा है कि चमोली और बुन्देलखंड में एक प्रयोगशाला स्थापित की जाये। यहां पर आयुर्वेदिक और यूनानी जड़ी-बूटियों को रिसर्च का काम होगा और यह भारत सरकार की सहमति से शुरू हो रहा है। 1981-82 में एक आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना हो गयी है। 1982-83 में यूनानी के लिये भी प्रयास करेंगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि जो पुराने शिक्षक हैं आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा के, उनके रीफ्रेश कोर्स की व्यवस्था की जाये। यह भी हम कर रहे हैं।

जहां तक चिकित्सालयों के विस्तार का प्रश्न है, वह भी हम कर रहे हैं। एक सुझाव है हम सहमत नहीं हैं। आयुर्वेद में भी सरजरी नहीं हुई है। शंकर भगवान ने गणेश की और अपने ससुर दक्ष प्रजापति की सरजरी की थी। उनका सर काट कर भेड़ का सर लगा दिया था। यह क्या था? तो सरजरी इसमें भी है। यह सरजरी डेवलप नहीं हो सकी। यूनानी में भी सरजरी है। हमें मौका मिला तो इसमें भी सरजरी को डेवलप किया जायेगा, यह मंशा हमारी है।

हमारा मान्यवर, यह भी प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के 425 विधान सभा के क्षेत्रों में, हर विधान सभा क्षेत्र में एक-एक आयुर्वेद अथवा यूनानी अथवा होम्योपैथी की डिस्पेन्सरी हो और यह काम हम 6 वर्ष में पूरा करना चाहते हैं और जब हम अपना बजट आपके सामने प्रस्तुत करेंगे तो उसका ब्योरा रखेंगे। और श्रीमन्, अब मैं आपके माध्यम से माननीय रियासत हुसैन साहब से अनुरोध करूंगा कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करने का हमें मौका दें।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, हमारा तो इन लोगों ने हरिजनों की सुरक्षा के सम्बन्ध वाला प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। लेकिन मैं अपने इस प्रस्ताव को विदड्रा करता हूं।

(सत्ता पक्ष की तरफ से मेजें थपथपाई गयीं।)

श्री खैरुल बशर—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं इस बात को सफाई चाहता हूं कि इलाहाबाद का जो यूनानी कालेज है और यह जो दूसरा कालेज लखनऊ का है, यह माइनारिटी इंस्टीट्यूशन कतई नहीं है। इस चीज को आप साफ कर दें।

श्री लोकपति—

हां, श्रीमन् वह माइनारिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय रियासत हुसैन ने जो यह संशोधन प्रस्ताव अपना रखा था, वह उनको वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ।

(सदन की अनुमति से संशोधन का प्रस्ताव वापस हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 2 से 18 तक, अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1982

आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति में शिक्षा देने वाली कतिपय गैर सरकारी संस्थाओं का अर्जन और प्रबन्ध करने, ऐसी चिकित्सा पद्धति में शिक्षा का प्रान्तीयकरण करने, प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सा में शिक्षा देने को विनियमित करने और उससे सम्बद्ध या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये

विधेयक

चूंकि राज्य में आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति में शिक्षा देने वाली अनेक चिकित्सा संस्थायें केवल धन लोलुपता के अभिप्राय से चलायी जा रही हैं ;

और चूंकि इन संस्थाओं में उपलब्ध शिक्षा का स्तर, सज्जा और अध्ययन की सुविधा अपेक्षित स्तर की नहीं है,

और चूंकि इनमें से अधिकांश संस्थायें राज्य में किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध नहीं हैं और इन संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों का भाग्य अनिश्चित रहता है ;

और चूंकि ऐसी चिकित्सा पद्धति में शिक्षा का प्रान्तीयकरण करने और उसमें शिक्षा के स्तर और आचार में सुधार करने की दृष्टि से कतिपय वर्तमान संस्थाओं का अर्जन करना और शेष संस्थाओं को बन्द करना आवश्यक है ;

और चूंकि प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सा में शिक्षा देने को विनियमित करना समीचीन है ;

अतएव, अब, भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1982 कहा जायगा ।

(2) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे ।

परिभाषायें

2—इस अधिनियम में,—

(क) "नियत दिन" का तात्पर्य धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित दिनांक से है ;

(ख) "आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति" का वही तात्पर्य होगा जो उसके लिए संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 में दिया गया है ;

(ग) "अनुसूचित संस्था" का तात्पर्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति में शिक्षा देने वाली किसी चिकित्सा संस्था के साथ-साथ उससे संलग्न या उसके सम्बन्ध में प्रयुक्त चिकित्सालय और औषधालय से है और इसके अन्तर्गत ऐसी संस्था के सम्बन्ध में या उसके उपसाधन के रूप में प्रयुक्त या उससे अनुबद्ध समस्त व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशालायें, पुस्तकालय, छात्रावास और बोर्डिंग हाउस भी हैं ;

(घ) किसी अनुसूचित संस्था के सम्बन्ध में, "सोसाइटी" का तात्पर्य ऐसी सोसाइटी, न्यासी या अन्य व्यक्ति या निकाय से है जिसमें ऐसी संस्था का स्वामित्व और उसके कार्य-कलाप का प्रबन्ध और नियंत्रण निहित हो ।

अध्याय—दो

अनुसूचित संस्थाओं का अर्जन

अनुसूचित संस्थाओं का राज्य सरकार में निहित होना

3—(1) नियत दिन को और उसी दिन से प्रत्येक अनुसूचित संस्था और उसके साथ ही—

(क) ऐसी समस्त भूमि जिस पर ऐसी संस्था स्थित हो और उससे अनुलग्न अन्य समस्त भूमि और ऐसी भूमि पर समस्त भवन, निर्माण और फिक्चर,

(ख) ऐसी संस्था का समस्त फर्नीचर, उपस्कर, स्टोर, साधित्र, उपकरण, यंत्र, भेषज, औषधि, निर्माण-कार्य, कर्मशाला, परियोजना, आटोमोबाइल, पुस्तकें, धन और अन्य आस्तियां,

(ग) ऐसी समस्त अन्य जंगम और स्थावर सम्पत्ति, जिसके अन्तर्गत फार्म, पट्टा और समस्त अधिकार, शक्तियां, प्राधिकार, विशेषाधिकार, आरक्षित निधि, विनिधान, बही-

ऋण (बुकडेट) और ऐसी सम्पत्ति में या उसके सम्बन्ध में या उससे उद्भूत होने वाले समस्त अन्य अधिकार और हित भी हैं, जो नियत दिन के ठीक पूर्व ऐसी संस्था के कार्य-कलाप के प्रबन्ध के प्रभारी किसी अन्य व्यक्ति, न्यासी, सोसाइटी या अन्य निकाय के स्वामित्व, कब्जा, शक्ति या नियंत्रण में रही हो,

राज्य सरकार को अन्तरित हो जायेगी और पूर्ण रूप से उसमें निहित होगी और ऐसी संस्था के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जायेगी और उपयोग में लायी जायेगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समस्त या किसी सम्पत्ति और आस्ति के सम्बन्ध में प्रत्येक दान-विलेख, विन्यास, वसीयत, न्यास या अन्य दस्तावेज का, नियत दिन से, इस प्रकार अर्थ लगाया जायगा मानों वह राज्य सरकार के पक्ष में किया या निष्पादित किया गया हो ।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, इस धारा में निर्दिष्ट प्रत्येक सम्पत्ति और आस्ति, जो उपधारा (1) के आधार पर राज्य सरकार में निहित हो गई हैं, इस प्रकार निहित होने के आधार पर सभी ऋण, बाध्यता, बन्धक, प्रभार या धारणाधिकार और उसे प्रभावित करने वाले अन्य भारों से मुक्त, और उन्मोचित हो जायगी, और ऐसी सम्पत्ति के उपयोग को किसी रीति से निर्बन्धित करने वाली किसी न्यायालय या अधिकरण की प्रत्येक कुर्की, व्यादेश, डिक्री या आदेश को वापस लिया गया समझा जायगा ।

(4) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, नियत दिन के ठीक पूर्व सोसाइटी द्वारा या उसके विरुद्ध लम्बित या विद्यमान किसी कार्यवाही या वाद-हेतुक को नियत दिन से, राज्य सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध उसी प्रकार जारी रखा और प्रवृत्त किया जा सकेगा जैसा वह ऐसी सोसाइटी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखा या प्रवृत्त किया जा सकता था यदि यह अधिनियम प्रवृत्त न हुआ होता ।

अनुसूचित संस्थाओं का प्रशासन

4.—(1) नियत दिन को और उसी दिन से प्रत्येक अनुसूचित संस्था का प्रशासन राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से किया जायगा जैसी राज्य सरकार समय-समय पर निदेशित करे ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार निदेश दे सकती है कि—

(क) एक या अधिक अनुसूचित संस्थाओं को बन्द कर दिया जायगा ;

(ख) ऐसी दो या अधिक संस्थाओं को सम्मिलित या समामेलित कर दिया जायगा ;

(ग) ऐसी एक या अधिक संस्थाओं के छात्रों को ऐसी किसी अन्य संस्था में स्थानान्तरित या आमेलित कर दिया जायगा ;

(घ) ऐसी संस्थाओं के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों का स्थानान्तरण एक संस्था से दूसरी संस्था में कर दिया जायगा ।

कब्जा देनें का कर्तव्य

5—(1) प्रत्येक व्यक्ति जिसके कब्जा, अभिरक्षा या नियंत्रण में नियत दिन को धारा 3 में निर्दिष्ट कोई सम्पत्ति या आस्ति हो, ऐसी सम्पत्ति या आस्ति कलेक्टर या राज्य सरकार के ऐसे अन्य अधिकारी को जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, तत्काल परिदत्त कर देगा और कलेक्टर या यथापूर्वोक्त ऐसा अन्य अधिकारी, ऐसा परिदान प्राप्त करने के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है जैसा आवश्यक हो ।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति जिसके कब्जा, अभिरक्षा या नियंत्रण में नियत दिन को धारा 3 में निर्दिष्ट किसी सम्पत्ति से सम्बन्धित कोई बही, कागज-पत्र या अन्य दस्तावेज हो, उनका लेखा-जोखा, कलेक्टर को या राज्य सरकार के ऐसे अन्य अधिकारी या कर्मचारी को जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, देने का जिम्मेदार होगा ।

(3) इस अधिनियम में दिये गये अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसी समस्त सम्पत्तियों और आस्तियों का जो इस अधिनियम के अधीन उसे अन्तरित और उसमें निहित की गई हैं, कब्जा लेने के लिए ऐसी समस्त कार्यवाही करे जो आवश्यक और विधिपूर्ण हो ।

अध्यापक और अन्य कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारी हो जायेंगे

6—(1) धारा 7 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, ऐसा प्रत्येक अध्यापक या अन्य कर्मचारी जो नियत दिन के ठीक पूर्व किसी अनुसूचित संस्था में या उसके कार्यकलाप के सम्बन्ध में नियोजित हो, नियत दिन से, राज्य सरकार का, यथास्थिति, अध्यापक या अन्य कर्मचारी हो जायगा और अपना पद उसी कार्यावधि के लिए उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर और पेंशन, उपदान और अन्य विषयों के सम्बन्ध में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ धारण करेगा, जैसे धारण करता, यदि यह अधिनियम प्रवृत्त न हुआ होता, और इसी प्रकार धारण करता रहेगा जब तक कि उसका नियोजन सम्यक् रूप से समाप्त न कर दिया जाय या जब तक कि उसके पारिश्रमिक, निबन्धन और शर्तों को राज्य द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित न कर दिया जाय :

परन्तु यदि ऐसा अन्तरण किसी ऐसे अध्यापक या अन्य कर्मचारी को स्वीकार न हो तो वह नियत दिन से एक मास के भीतर राज्य सरकार को इस आशय की सूचना देगा और तदुपरान्त उसका नियोजन नियत दिन से समाप्त हो जायगा :

परन्तु यह और कि यदि किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी के नियोजन की समाप्ति पूर्ववर्ती परन्तुक के अनुसार की जाती है तो ऐसा अध्यापक या कर्मचारी, उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित का हकदार होगा—

(क) स्थायी कर्मचारी की स्थिति में तीन मास के वेतन के बराबर और किसी अन्य कर्मचारी की स्थिति में एक मास के वेतन के बराबर धनराशि ; और

(ख) अन्य सुविधायें, यदि कोई हों, जो ऐसी संस्था में उसकी विगत सेवाओं के कारण उसे प्राप्त होतीं यदि उसके नियोजन की समाप्ति इस प्रकार न की गई होती ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी की सेवाओं के अन्तरण या सेवा समाप्ति से वह संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा, और इस प्रकार का कोई दावा किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं किया जायगा ।

(3) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् किसी समय किसी अनुसूचित संस्था में किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी के पद में कोई रिक्ति होती है और ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति में शिक्षा देने वाली किसी चिकित्सा संस्था में (अनुसूचित संस्था से भिन्न) सेवारत कोई अध्यापक या अन्य कर्मचारी उसी कोटि या श्रेणी के किसी ऐसे पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करता है, तो ऐसा अध्यापक या कर्मचारी अन्य आवेदकों की तुलना में अधिमान का हकदार होगा, बशर्ते वह ऐसे पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हतायें पूरी करता हो ।

कतिपय नियुक्तियों आदि का पुनर्विलोकन

7—(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, नियत दिन से ठीक पूर्व दो वर्ष की अवधि में किसी अनुसूचित संस्था के अध्यापकों या अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति या उन्हें दी गई वेतनवृद्धि की यथार्थता का पुनर्विलोकन करने के लिये राज्य सरकार किसी अधिकारी को नामनिर्दिष्ट कर सकती है या कोई समिति नियुक्त कर सकती है, और यदि ऐसे अधिकारी या समिति की रिपोर्ट और प्रभावित अध्यापकों या अन्य कर्मचारियों से इस निमित्त प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात्, कोई नियुक्ति या वेतनवृद्धि राज्य सरकार को यथार्थ न प्रतीत हो तो वह, ऐसे अध्यापक या कर्मचारी को, यथास्थिति, सेवा समाप्त कर सकती है या वेतनवृद्धि को रद्द कर सकती है, और ऐसी प्रत्येक सेवा समाप्ति पर धारा 6 की उपधारा (2) के उपबन्ध लागू होंगे ।

(2) अपने स्वामित्वाधीन किसी ऐसी सम्पत्ति या आस्ति के सम्बन्ध में जो धारा 3 के अधीन राज्य सरकार में निहित हो, किसी सोसाइटी द्वारा किसी सेवा, विक्रय या सम्भरण के लिए की गई प्रत्येक संविदा, जो नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त रही हो, नियत दिन से एक सौ अस्सी दिन की अवधि की समाप्ति के दिन को और उसी दिन से प्रभावी न रह जायगी, जब तक कि ऐसी संविदा का, उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व, राज्य सरकार द्वारा लिखित रूप से अनुसमर्थन न कर दिया जाय और ऐसी संविदा का अनुसमर्थन करने में राज्य सरकार उसमें ऐसा परिवर्तन या उपान्तर कर सकती है जिसे वह उचित समझे ;

परन्तु राज्य सरकार तब तक किसी संविदा का अनुसमर्थन करने में त्रुटि नहीं करेगी और न उसमें कोई परिवर्तन या उपान्तर करेगी--

(क) जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाय कि ऐसी संविदा अनुचित रूप से दुर्भर है या असद्भावपूर्वक की गई है या राज्य सरकार के हितों के लिए हानिकर है, और

(ख) जब तक कि संविदा के पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और संविदा का अनुसमर्थन करने से इन्कार करने या उसमें कोई परिवर्तन या उपान्तर करने के कारणों को अभिलिखित न कर दिया जाय।

अध्याय--तीन

नई संस्थाएं खोलने और नये छात्रों को भर्ती करने का निषेध

नई संस्थायें खोलने पर निर्बन्धन

8--धारा 9 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति नियत दिन को या उसके पश्चात्--

(क) आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति में किसी शिक्षण कार्य का भार लेने, या उसके संचालन, व्यवस्था या प्रस्थापना की प्रव्यंजना करने वाली किसी संस्था को न तो खोलेगा, न उसका संगठन, अनुरक्षण या प्रबन्ध करेगा और न उसे खुलवायेगा, न उसका संगठन, अनुरक्षण या प्रबन्ध करायेगा ;

(ख) ऐसी चिकित्सा पद्धति में किसी शिक्षण पाठ्यक्रम में चाहे फीस का भुगतान करने पर या ऐसे भुगतान के बिना, न तो कोई भर्ती करेगा और न भर्ती करने की प्रस्थापना करेगा ;

(ग) ऐसी चिकित्सा पद्धति में शिक्षण प्रदान करने वाली किसी संस्था के सम्बन्ध में कोई दान, अभिदान या फीस (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय) नहीं लेगा ;

(घ) ऐसी चिकित्सा पद्धति में शिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से व्याख्यान, परीक्षा के लिय तैयार कराने या अध्यापन का या किसी प्रयोगशाला में प्रयोग करने का न तो कोई प्रबन्ध करेगा और न यह प्रकट करेगा कि ऐसा प्रबन्ध किया गया है ।

छात्रों की भर्ती पर निबन्धन

9--आयुर्वेदिक या यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति में शिक्षण प्रदान करने वाली कोई चिकित्सा संस्था जो नियत दिन के पूर्व स्थापित हुई हो, नियत दिन को ऐसी संस्था में नाम-निवेशित छात्रों को नियत दिन से पांच वर्ष की अवधि में निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में प्रोन्नति के रूप में भर्ती कर सकती है और उक्त पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् धारा 8 के उपबन्ध प्रत्येक संस्था पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

10—धारा 8 या धारा 9 की कोई बात आयुर्वेदिक या यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति या प्राकृतिक चिकित्सा या योग चिकित्सा में शिक्षण प्रदान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 30 में निर्दिष्ट किसी अल्प संख्यक के अपनी रुचि की किसी शिक्षा संस्था को स्थापित और प्रशासित करने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी। अल्पसंख्यक संस्थाओं के शिक्षण प्रदान करने के सम्बन्ध में व्यावृत्ति

11—धारा 8 और 9 के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा। धारा 8 और 9 के उल्लंघन के लिये शास्ति

अध्याय—चार

प्राकृतिक और योग चिकित्सा में शिक्षण प्रदान करने वाली संस्थायें

प्राकृतिक और योग चिकित्सा से सम्बन्धित संस्थाओं का विनियमन

12—(1) राज्य सरकार के लिए प्राकृतिक या योग चिकित्सा में शिक्षण प्रदान करने वाली प्रत्येक संस्था की स्थापना, उसके अनुरक्षण, प्रबन्ध और कार्य को नियमों द्वारा विनियमित करना विधि पूर्ण होगा।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त उपधारा में निर्दिष्ट नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्—

(क) ऐसे नियमों के प्रारम्भ के दिनांक को प्राकृतिक या योग चिकित्सा में शिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण ;

(ख) ऐसी नई संस्थायें खोलने या स्थापित करने के लिये जिनमें प्राकृतिक या योग चिकित्सा में शिक्षण प्रदान किया जाना हो, पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये उपबन्ध ;

(ग) ऐसी शर्तें और निबन्धन आरोपित करना जिन पर खण्ड (क) और (ख) में निर्दिष्ट संस्थाओं को पूर्ववत् बने रहने की अनुमति दी जायगी ;

(घ) नियमों के अधीन प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा खण्ड (क) और (ख) में निर्दिष्ट संस्थाओं का नियतकालिक निरीक्षण करने के लिये उपबन्ध ;

(ङ) राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को खण्ड (क) और (ख) में निर्दिष्ट संस्थाओं के प्रबन्धतन्त्र से ऐसी सूचना, विवरण-पत्र या विवरणियां ऐसे अन्तराल पर, जैसा विहित किया जाय, मांगने की शक्ति प्रदान करना ;

(च) उन व्यक्तियों पर जो ऐसे नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करें या तद्धीन जारी किये गये किसी विधि पूर्ण निदेश का अनुपालन करने में विफल रहें, शास्ति आरोपित करने के लिये उपबन्ध ।

अध्याय पांच

प्रकीर्ण

अधिनियम के उपबन्धों का अधिभावी प्रभाव होगा

13—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में या किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी की किसी डिक्री या आदेश में इस अधिनियम से असंगत किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे ।

शास्ति

14—प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो—

(क) किसी अनुसूचित संस्था के प्रयोजनों के लिए धृत किसी संपत्ति या आस्ति को अपने कब्जा, अभिरक्षा या नियंत्रण में रखते हुए ऐसी संपत्ति या आस्ति को धारा 5 की उपधारा (1) का उल्लंघन करते हुए राज्य सरकार से दोषपूर्ण रीति से रोकता है ; या

(ख) किसी अनुसूचित संस्था के प्रयोजनों के लिये धृत किसी संपत्ति या आस्ति पर संदोष कब्जा लेता है या बनाये रखता है; या

(ग) किसी अनुसूचित संस्था के सम्बन्ध में अपने कब्जा, अभिरक्षा या नियंत्रण में कोई बही, कागज-पत्र या अन्य दस्तावेज धारा 5 की उपधारा (2) का उल्लंघन करते हुये जानबूझकर रोकता है या उनका लेखा-जोखा देने में विफल रहता है; या

(घ) किसी अनुसूचित संस्था के प्रयोजनों के लिए धृत किसी संपत्ति का संदोष उपयोग करता होता है, उसे हटाता है, या नष्ट करता है;

कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से जो तीन हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

कम्पनी द्वारा अपराध

15—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी का प्रभारी रहा है और उसके कार्यसंचालन के लिये उसके प्रति उत्तरदायी रहा है, और कम्पनी को भी अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और दण्ड दिया जा सकेगा :

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से ऐसा कोई व्यक्ति दण्डनीय नहीं होगा यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध

उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध के निवारण के लिए पूर्णरूपेण सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाय कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है या उसकी ओर से कोई उपेक्षा किये जाने के कारण हुआ है, वहां ऐसे निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी को उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और दण्ड दिया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म, सोसाइटी या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है ; और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में, "निदेशक" का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है ।

सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण

16—इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिये आशयित किसी कार्य के लिये राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

अपराध का संज्ञान

17—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुये भी, कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किये गये किसी लिखित परिवाद के बिना नहीं करेगा ।

नियम बनाने की शक्ति

18—राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकती है ।

अनुसूची

[धारा 2 (ग) देखिए]

क्रम-संख्या	संस्थाओं के नाम
1	आयुर्वेद महाविद्यालय, वाराणसी ।
2	लाल बहादुर शास्त्री स्मारक आयुर्वेदिक कालेज, हंडिया (इलाहाबाद) ।
3	तक मिल-उतीब कालेज, लखनऊ ।
4	यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 18 तक, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री लोकपति—

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1982 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1982 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(सत्ता पक्ष की तरफ से मेजें थपथपाई गयीं ।)

उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1982 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982†

(1 बजकर 43 मिनट)

*श्री हुकम सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1982 का अननुमोदन करता है ।

मान्यवर, अध्यादेशों के बल पर चलने वाली यह सरकार अपनी उपलब्धियों की कड़ी में एक और अध्यादेश जोड़ना चाहती है । मान्यवर, आप देखें कि 15 जनवरी को यह माननीय सदन आहूत किया गया था और 4 जनवरी, 1982 को ठीक 11 दिन पहले, सदन के आहूत करने के उपरान्त एक

(इस समय 1 बजकर 44 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

अध्यादेश पारित किया गया और उसमें कोई औचित्य इस प्रकार का नहीं दर्शाया गया कि इस दर्मियान में क्या कोई संकट इस सरकार के सामने आने वाला था। अगर सरकार असाधारण प्रक्रियाओं का इस्तेमाल न करती, साधारण प्रक्रिया द्वारा एक विधेयक सदन के सामने लाती, तो सभी माननीय सदस्यों के विचार उसमें आते और उससे नये विधि का निर्माण होता । मान्यवर, 11 दिन में क्या इनके सामने संकट आ गया जोकि संविधान के 213 अनुच्छेद का इनको सहारा लेना पड़ा ।

मान्यवर, यह दर्शाता है इनकी मान्यताओं को, यह दर्शाता है इनके काम करने के तरीके को । यह दर्शाता है इनकी नीयत को, नीयत से मेरा मतलब यह है कि इनका विश्वास संविधान द्वारा रचे गये विधान मण्डलों में नहीं रह गया है

---

†दिनांक 1 फरवरी, 1982 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बल्कि इन्होंने अध्यादेश को ऐसा आदेश बना दिया जैसे गोयल स हब घर में बैठकर अपना निजी पत्र लिख रहे हों या शासनादेश का प्रसारण कर रहे हों । मान्यवर, अध्यादेश के पीछे कोई औचित्य होना चाहिए, जो प्रभावशाली बातें होनी चाहिये वह इन्होंने नहीं छोड़ी । बल्कि इसको ऐसी हल्की चीज बना दिया, उसके पीछे कोई प्रभाव नहीं छोड़ा । अध्यादेश के द्वारा जो संशोधन इस कानून में किया गया मैं उसकी तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान चाहूंगा । पहले अध्यादेश के माध्यम से एक प्रस्ताव यह आया कि महापालिकाओं के नगर प्रमुख जो होते थे या महापौर होते थे उनकी चुनाव प्रणाली में परिवर्तन करने हेतु पहले अध्यादेश के जरिये संशोधन किया गया और फिर विधेयक पारित कराया गया ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो चुनाव प्रक्रिया में नगरपालिका के अध्यक्ष के चुनाव के सम्बन्ध में, महापालिकाओं के नगर प्रमुख के चुनाव के सम्बन्ध में और खासतौर से चुनाव के बाद चुनाव याचिका आती थी, उस प्रक्रिया में संशोधन किया गया है । लगता ऐसा है कि इतने लम्बे समय में मान्यवर, 1916 में बने नगरपालिका अधिनियम में आज तक बिना कुछ सोचे समझे इसको संशोधित किया जाता रहा और इसी प्रकार इस विधेयक को लाया गया है । आप देखें कि चुनाव प्रक्रिया में तबदीली की गई । महापालिका के नगर प्रमुख के चुनाव प्रक्रिया को सीधी चुनाव प्रणाली कर दिया गया था जो व्यवहारिक नहीं था । 5–6 लाख या 7 लाख मतदाता जहां रहते हों सीधे प्रणाली से चुनाव कर सकें यह एक कठिन कार्य है लेकिन साथ ही साथ नगरपालिका में भेद किया गया है । एक नगरपालिका जिनमें एक लाख से ऊपर जन–संख्या है, दूसरी जहां पर एक लाख से कम जन–संख्या है । एक लाख के ऊपर के लिये तो इनडायरेक्ट चुनाव कर दिया और एक लाख से कम हो तो सीधे चुनाव किया जायेगा। लेकिन इसके पहले जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा है जहां पर सीधे चुनाव प्रणाली से कोई अध्यक्ष चुनकर आयेगा क्या आपने विचार किया है साधारण बहुमत से उस अध्यक्ष को हटवा देंगे । अगर साधारण बहुमत से नगरपालिका सदस्य अविश्वास का प्रस्ताव लाकर नगरपालिका अध्यक्ष को हटा दें तो मैं चुनौती देता हूं कि अगर कभी आप नगरपालिका के चुनाव करा पायें तो चुनाव के बाद किसी नगरपालिका में एक साल के बाद शायद कोई अध्यक्ष नहीं रहेंगे । यह बहुत सोच समझकर संशोधन किया गया था । अविश्वास प्रस्ताव के लिये कम से कम 2/3 बहुमत होना चाहिए। यदि 2/3 का बहुमत नहीं होगा और अध्यक्ष को हटायेंगे तो इससे अवरोध पैदा हो जायेगा, इसलिए इस पर पुनः विचार करने की जरूरत है । विधान सभा में हम बैठते हैं तो अपने-अपने दलों की नीतियां होती है जिनसे हम लोग बंधे रहते हैं । नगरपालिका में यह मान्यता नहीं रहती है क्योंकि नीचे दलों की मान्यता कम होती है । इसलिए वहां साधारण बहुमत की बात रखेंगे कि कभी अविश्वास का प्रस्ताव ले आये और जिससे अध्यक्ष को हटायेंगे तो मेरा मत है कि उससे अवरोध पैदा हो जायेगा और एक समय में आधी नगरपालिकायें बिना अध्यक्ष के नजर आयेंगी । इसलिए इस पर पुनः विचार करें ।

मान्यवर, तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो संशोधन करके इलेक्शन पिटीशन, चुनाव याचिका, की बात रखी है । तो पहले इलेक्शन ट्रिब्युनल होती थी और उसका गठन जिला जज करते थे लेकिन आपने कर दिया कि इलेक्शन ट्रिब्युनल की आवश्यकता नहीं है और पहले याचिकायें सीधे जिला जज के यहां

[श्री हुकम सिंह---]

दाखिल की जायेंगी । आपने जिला जज का शब्द इस्तेमाल किया है । एक जिले में एक ही जज होता है और उसका अधिकार नहीं होगा कि चुनाव याचिकाओं को अतिरिक्त जिला जज के यहां ट्रान्सफर कर दे इसलिए चूंकि जिला जज के यहां काम बहुत रहता है जिससे वह यह काम नहीं कर पायेगा । इसलिए इस पर भी पुनः विचार करें ।

मान्यवर, जो यह तीन संशोधन किए हैं, मुझे लगता है कि इन पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिये था उतना नहीं दिया गया है । इसलिए शंका की बात है । इन्होंने अध्यादेश और विधेयकों के माध्यम से यह संशोधन कर दिये हैं । यह चुनाव प्रणाली में संशोधन ले आये । मान्यवर, मैंने पहले भी कहा था और मेरी पुनः आपत्ति है कि इनको पौने दो साल बैठे यहां हो गया है और जबसे एक दर्जन से अधिक आश्वासन हो गये हैं कि इलेक्शन गर्मियों से पहले और सर्दियों से पहले करा देंगे लेकिन आज तक यह चुनाव नहीं करा पाये और कोई न कोई बहाना बनाते रहे जो इस बात को दर्शाता है कि आपका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और इसलिए चुनावों को बराबर टालते रहे । इसलिए मान्यवर, जब मंत्री जी उत्तर दें तो कम से कम स्पष्ट आश्वासन जनता के सामने आना चाहिये कि कब इन संस्थाओं का आप चुनाव कराने जा रहे हैं । वरना जो हालत स्वायत्त सेवी संस्थाओं की हो रही है कि एक एस0 डी0 एम0 को प्रशासक बना दिया और वह 2-3 नगरपालिकाओं, 6-7 टाउन एरियाज और नोटीफाइड एरियाज का काम देखता है । तो क्या कभी आपने सोचा है कि जिस परगनाधिकारी के पास बचत योजना का काम, अन्य योजनाओं का काम और उसके ऊपर प्रशासक की जिम्मेदारी दिया है ।

इसलिये कभी उनको इतना समय नहीं मिलता है कि वह यह जाकर देखें कि नगरपालिका में सफाई का काम हो रहा है या नहीं । नमूने के तौर पर आप 3-4 नगरपालिकाओं को दिखवा लें, जहां प्रशासक बैठे हैं तो आपको पता चल जायगा कि उनकी आमदनी, उनका खर्च और उनके कर्मचारियों की वेतन आदि की स्थिति क्या है । नगरपालिकाओं की आमदनी के साधन कम होते जा रहे हैं जो आप उनको 3-4 लाख रुपये अनुदान देते हैं वह कर्मचारियों के वेतन भत्तों में चला जाता है इससे बड़ी विडम्बना और कोई नहीं है । जब उनके कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाता है तो आपको मजबूर होकर उनके लिए अनुदान की व्यवस्था करनी पड़ती है । उनकी आय के साधन समाप्त होने के मुख्य कारण यह हैं कि जन प्रतिनिधि वहां पर नहीं हैं इसलिए उन पर कोई नियंत्रण नहीं है । जो इक्जीक्यूटिव अफसर हैं वह नगरपालिका और बोर्ड के नियंत्रण में नहीं हैं उनका सम्बन्ध डाइरेक्ट्रेट से कर दिया गया है, स्थानान्तरण आदि यहां से किया जाता है तो मैं उनको डिक्टेटर, तानाशाह तो नहीं कहूंगा लेकिन उन्होंने अपने को इतना मजबूत समझ लिया है कि वह अपनी बात मनवा लेते हैं यहां डाइरेक्ट्रेट आकर और सम्पर्क करके । इसलिये उन पर नियंत्रण नहीं रह गया है और जब नियंत्रण नहीं होता है और वह स्वतः काम करते हैं तो बोर्ड की नीतियों का इंपलीमेंटेशन नहीं हो पाता है । तो मैं चाहूंगा कि इन सारे मुद्दों पर विचार करें और उसके बाद कोई ऐसा एक बड़ा विधेयक लायें जिससे यह सारी विडंबनायें समाप्त हो सकें और इतना कह कर मैं इसका घोर विरोध करता हूं और साथ ही साथ इनकी नीयत की निन्दा भी करता हूं ।

नगर विकास मंत्री (श्री श्रीकृष्ण गोयल)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, यह बहुत छोटा सा विधेयक है और इसमें केवल 3 संशोधन प्रस्तावित हैं । एक तो यह है कि जितने भी टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया हैं उनमें पहले से प्राविधान है कि यहां चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा । तो विचार करने के उपरान्त और बातचीत करने के उपरान्त यह देखने में आया कि जहां पर 10, 12 लाख वोटर्स है वहां प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने में बड़ी कठिनाइयां आयेंगी, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि इसमें कुछ ऐसा फेर बदल किया जाय जिससे चुनाव सुविधापूर्वक हो सके । इसलिए यह प्राविधान किया गया है कि जो नगरपालिकायें हैं और जिनकी आबादी एक लाख है उनका प्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन करा दिया जाय और इससे अधिक जनसंख्या की जो नगरपालिकायें हैं उनका इलेक्शन इन-डाइरेक्ट हो जाय । पहले मेम्बर्स के जरिये और फिर मेंबर चुन लें । दूसरा संशोधन यह है कि इस समय प्राविधान है कि 2 तिहाई मेम्बर्स से कम पर अध्यक्ष या मेयर को नहीं हटाया जा सकता । तो इसको और ज्यादा जनतांत्रिक बनाने के लिए यह प्राविधान कर रहे हैं कि अगर उन्होंने सदन का विश्वास खो दिया है तो साधारण बहुमत से उनको हटा दिया जाय । तीसरा संशोधन यह है कि प्राधिकरण गठित करने के लिए, याचिकाओं के लिए इसमें प्राविधान किया है कि जिला जज के यहां याचिका पेश कर दी जाय ।

यह बहुत छोटे से तीन संशोधन हैं, क्योंकि हमारा विचार शीघ्र ही चुनाव कराने का है, इसलिए यह संशोधन पेश कर दिये हैं और सदन से अनुरोध करता हूं कि इसे विचार कर लें ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से प्रस्ताव करता हूं कि "उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो 3 माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।"

मान्यवर, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने जैसा बताया कि यह छोटे से केवल 3 संशोधन हैं, विष का इंजेक्शन देखने में विजिबिल होता है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके परिणाम बड़े ही भयावह होते हैं इसलिए माननीय मंत्री जी ने जो तीन संशोधन रखे हैं वह पूर्णतया शंका से ओत-प्रोत हैं क्योंकि यह डेमोक्रेसी को समाप्त करना चाहते हैं, उसी से सम्बन्धित यह एक साजिश है । मान्यवर, यह इस देश के अन्दर एक विशेष प्रकार की प्रथा को थोपना चाहते हैं और उसी को यह एक प्रयास है, यह इस ओर बड़ी चतुरता से कदम बढ़ा रहे हैं । जनता का यह विश्वास खो बैठे हैं इसलिए यह डर कर ऐसी प्रथा को चालू करना चाहते हैं, यह तीनों संशोधन इसी बात के प्रतीक हैं । जनता को विश्वास में करना होगा, इससे भाग नहीं सकते हैं चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के । जिस तरह से यहां पर प्रत्येक विधायक अपने चुनाव को फेस करके जो लाखों वोटों का होता है, आया है यह तो उससे भी कम है, केवल लाख डेढ़ लाख की बात है, तो आप इससे घबरा क्यों रहे हैं, अगर आप ऐसे ही घबराते रहे तो मैं समझता हूं कि आप पार्लियामेंट के चुनाव क्या करायेंगे, जहां पर चार छः कांस्टीटुयेन्सी को मिलाकर 7-8 लाख का चुनाव होता है, तो क्या वहां भी यही होगा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर यह प्रथा यहां क्यों लागू की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--]

जा रही है और दूसरा संशोधन जो आप करने जा रहे हैं जैसा कि पहले था कि दो तिहाई मेम्बर्स के बहुमत पर ही अध्यक्ष या मेयर को हटाया जा सकता था, परन्तु अब यह संशोधन लाया जा रहा है कि सदन अगर उनसे सन्तुष्ट नहीं है तो साधारण बहुमत से ही इन्हें हटाया जा सकता है ।

मान्यवर, इससे तो और दल बदल की प्रक्रिया जोर पकड़ेगी सत्ता पक्ष जिसको चाहेगा, थोड़ी सी लालच या अन्य किसी भी बात पर किसी को हटा सकता है और किसी को बैठा सकता है, इस तरह खुले आम भ्रष्टाचार होगा । इसीलिए मैं माननीय मन्त्री जी से इस सम्बन्ध में अपनी बात को पुनः दोहराऊंगा कि जब-जब कोई भी माननीय मन्त्री इस प्रकार का संशोधन लाये हैं, उनको दुर्भाग्य से हटना पड़ा है, इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि जो संशोधन आप छोटे-छोटे लाये हैं और लोगों को गुमराह करना चाहते हैं और दल बदल का प्रक्रिया को बढ़ावा देना चाहते हैं क्योंकि इस संशोधन के जरिये यह-बात सत्ता पक्ष के लिये आसान हो जायेगी । चाहे हम हों चाहे आप हों, सरकार में रहने वाले व्यक्ति मानव की निजी कमजोरी का फायदा उठाकर एक-दो लोगों को दल-बदल करा सकते हैं, लेकिन मतदाताओं की जो इच्छा है अध्यक्ष बनाने की वह साकार नहीं हो सकती । इसीलिये 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव रखने की बात पूर्व अधिनियम में थी । प्रधानों के सम्बन्ध में भी यही है । ग्राम प्रधानों के खिलाफ भी जो अविश्वास का प्रस्ताव आता है, वह दो तिहाई बहुमत से ही पास हो सकता है । जब ग्राम प्रधानों को हटाने के लिए 2/3 बहुमत की बात है तो फिर नगर महापालिका, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया आदि में 2/3 बहुमत न हो, इसका क्या औचित्य है ?

तीसरा सुझाव है डिसप्यूट्स को डिस्ट्रिक्ट जज को पेश करना । यह सुझाव मान्य है । मैं समझता हूं कि ऐसा करके आपके सम्बन्ध में जो उठता हुआ अविश्वास था, उसको बनाने का काम आपने किया है । यह संशोधन निश्चित ही समीचीन है, हम लोगों की मांग भी थी । मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि 4 तारीख को अध्यादेश किया जब कि 15 तारीख से ऐसेम्बली बैठने जा रही थी । ऐसा नहीं है कि आप तुरन्त चुनाव कराने जा रहे हैं, नीयत अभी आपकी साफ नहीं है । जन साधारण के लिये 3 महीने के लिए प्रवर समिति को भेज दें और प्रवर समिति को इसके प्रत्येक पहलू पर विचार करने का मौका मिल जाय, वह आपके संशोधन पर भी विचार करे, जो मेरे विचार हैं उन पर भी विचार करे और फिर एक कन्सालीडेटेड विधेयक लाये, जिससे जन आकांक्षाओं की पूर्ति होगी और निश्चित ही वह वरण्य होगा । इसीलिये मैंने अनुरोध किया है कि इसको प्रवर समिति को पेश कर दीजिये । इसके लिये अगर आपको 3 महीने की परेशानी है, अगर आप आदरणीय सदन को आश्वासन देते हैं कि 3 महीने के अन्दर ही चुनाव कराना चाहते हैं तो मैं उसको एमेण्ड करता हूं, एक महीने के लिये भेज दीजिये । मेरा विश्वास है कि जो प्रस्ताव रखा गया है प्रवर समिति को भेजने का, उसमें कोई व्यतिक्रम नहीं है । आपने जल्दबाजी में जो विधेयक प्रस्तुत किया है, उससे जनतन्त्र की जो भावना है जिस पर ठेस लगी है, जिसकी हत्या करने की साजिश की गयी है । मेरा विश्वास है कि मन्त्री जी को महसूस हुआ होगा और मेरे विचारों से वे सहमत होंगे कि इस विधेयक को 15 दिन

के लिये, एक महीने के लिए, 3 महीने के लिए प्रवर समिति को भेज दें ताकि इस पर विचार हो जाय। मुझे विश्वास है मन्त्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

डा0 बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, माननीय स्वायत्त शासन एवं नगर विकास मन्त्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं।

हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य बाबू हुकम सिंह जी, मैं तो यह महसूस कर रहा था कि निश्चित रूप से एक काबिल आदमी हैं और निश्चित रूप से यह खड़े होंगे और कहेंगे मैं इसे वापस कर रहा हूं, लेकिन अभी जो वरिष्ठ सदस्य माननीय ओझा जी बोल रहे थे, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हमारे सम्मानित सदस्य बोलते हैं तो नीयत पर शुबहा करते हैं और चाहते भी हैं करना, बार-बार दोहराते हैं कि चुनाव कराये जायं और यह कहते हैं कि सत्ता पक्ष के लोग चुनाव कराने में कतराते हैं, लेकिन जब वह प्रश्न पैदा होता है कि इस पर विचार किया जाय तो फिर उससे कतराने लगते हैं। यह कौन सा ऐसा भीषण प्रश्न पैदा हो गया, जिसके नाते इसे प्रवर समिति के समक्ष प्रेश किया जाय। मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई ऐसी गूढ़ बात है, कोई ऐसी व्यवस्था है जिसके नाते इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। मैं कतई इस राय का नहीं हूं और निश्चित रूप से मेरा मत है कि माननीय मन्त्री जी ने जो बात कही है चुनाव के सम्बन्ध में, वह सही है। अगर चुनाव होते हैं तो हमारे सम्मानित सदस्य जब नहीं चाहते थे यदि किसी प्रकार के आरोप अध्यक्ष पर लगाये जाते हैं तो बड़ी भीषण परिस्थिति पैदा हो जाती है कि हम कैसे उनको हटायें। मैं नहीं जानता कि सम्मानित सदस्य चाहे सत्ता पक्ष के हों और चाहे विपक्ष के हों, परन्तु यदि वह सदस्य होने के नाते उसे हटाना चाहते हैं तो फिर उसे जो कि दो तिहाई बहुमत प्राप्त करके आया है, कैसे हटा सकते हैं ?

चुनाव की परम्परा के बारे में जो माननीय मन्त्री जी ने कहा है, वह बहुत अच्छी बात है और निश्चित रूप से जहां पर दो लाख, चार लाख या आठ लाख की जनसंख्या है या होगी नगरपालिकाओं की या नगर महापालिकाओं की तो वहां पर कठिनाई हो सकती है, यह तो बहुत अच्छी बात है, इसका मैं स्वागत करता हूं। साथ ही इस बात का भी स्वागत करता हुं कि जहां पर एक लाख तक की जनसंख्या है वहां पर प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करा दें और यह आसन भी होगा और जहां पर इससे ज्यादा जनसंख्या यदि दो चार लख हो वहां पर चुनाव करने से कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी के तरीके से जो उन्होंने रखा है, बहुत अच्छा समझता हूं और उसका स्वागत करता हूं।

साथ ही मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य गोरखपुर, श्री ओझा जी और माननीय हुकम सिंह जी अपने प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर लें क्योंकि जब कभी भी नगरपालिकाओं और नगर महापालिकाओं पर आफत मंडराने लगती है तो ऐसी स्थिति में यह तरीका बहुत अच्छा होगा जैसा कि मन्त्री जी ने प्राविधान किया है। चुनाव द्वारा गलत लोग उसमें प्रवेश करेंगे। हम जिला जज के यहां

[डा० बृज किशोर मिश्र---]

पिटीशन दे सकते हैं, वहां प्रवेश कर सकते हैं। इससे जजमेन्ट भी तत्काल होगा और अधिक समय नहीं लगेगा। तो मान्यवर, इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुये माननीय हुकम सिंह जी जो कि वरिष्ठ हैं, पढ़े लिखे भी हैं और काबिल भी हैं, मैं चाहूंगा कि वे निश्चित रूप से इस पर विचार करके इसे वापस ले लें। मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा रखे गये बिल का स्वागत इन शब्दों के साथ करता हूं कि:---

तू इन्कलाब की आमद का इन्तजार न कर,
गर हो सके तो एक नया इन्कलाब पैदा कर।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव---

मान्यवर, स्वायत्त शासन मन्त्री जी ने बहुत छोटा सा संशोधन रखते हुए एक सूक्ष्म भाषण दिया। उसके सम्बन्ध में मैं भी बहुत सूक्ष्म रूप से दो-तीन बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

एक सदस्य---

क्योंकि आप भी स्वायत्त शासन मन्त्री जी रह चुके हैं, वाकिफ हैं।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव---

जी हां, मन्त्री तो रहा चुका हूं। परन्तु यदि मैं कोई अच्छा सुझाव माननीय वर्तमान मन्त्री जी को दे दूं तो आपत्ति क्या है? मान्यवर, पहले चुनाव नगर पालिकाओं के और नगर महापालिकाओं के अध्यक्षों के अप्रत्यक्ष रूप से होते थे उसमें मान्यवर, जब संशोधन किया गया था उस समय उसका उद्देश्य बताया गया था कि इन चुनावों में भ्रष्टाचार बहुत हुआ। हम जिस नगर के हैं मान्यवर, उस नगर में तो नगर प्रमुख के चुनाव में इतना अधिक भ्रष्टाचार हुआ जिसका सारे भारत वर्ष के समाचार-पत्रों में प्रमुख समाचार के रूप में प्रकाशित हुआ, शायद आपको भी स्मरण होगा कि जब कामराज जी कांग्रेस के प्रमुख थे तो कानपुर वे आये थे। प्रमुख उद्योगपति ही सदैव चेयरमैन का चुनाव लड़ते रहे। इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिये, लोकतान्त्रिक प्रणाली पर आस्था बनाये रखने के लिये अध्यक्षों एवं नगर प्रमुखों के सीधे चुनाव का प्राविधान किया गया था चुनाव के व्यवहारिक प्रश्न पर विचार प्रकट करते समय माननीय मन्त्री जी ने यह तर्क दिया कि जहां तक एक लाख की जनसंख्या तक के लोग हैं वहां पर चुनाव सीधे कराये जा सकेंगे परन्तु जहां पर इससे अधिक जनसंख्या है वहां पर सीधा चुनाव सम्भव नहीं है क्योंकि वहां पर चुनाव कराने में अत्यधिक कठिनाई होगी इस सम्बन्ध में।

मान्यवर, आपके माध्यम से मन्त्री जी से कहना चाहता हूं माननीय मन्त्री जी उत्तर देते समय मेरी बात का उत्तर अवश्य देने की कृपा करेंगे।

माननीय मंत्री जी पुनः इस बात को जरूर स्पष्ट करेंगे कि प्रत्येक वार्ड में मेम्बरों अथवा सभासदों के चुनाव होंगे यदि उसी के साथ नगर प्रमुख के वोट भी डाले जायें तो क्या कठिनाई होगी। जिस प्रकार से विधान सभाओं और लोक सभा के चुनाव साथ-साथ होते हैं उसी प्रकार ये चुनाव भी हो सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

होते हैं या होते थे ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, अगर चुनाव एक साथ होंगे तो एक साथ ही होंगे और तिथि अलग-अलग है तो दूसरी बात है लेकिन जो होना चाहिए, जो मान्यता है उसके अनुसार जिस प्रकार से विधान सभा और लोक सभा के चुनाव एक साथ होते थे उसी प्रकार नगरपालिकाओं एवं महापालिकाओं के चुनाव भी कराये जायें यदि आप की नीति है कि हम मेम्बरों एवं सभासदों के चुनाव अवश्य करायेंगे तो सभासद के साथ-साथ नगर प्रमुख के वोट भी आसानी से पड़ जायेंगे । उसमें न तो अधिक खर्च होगा न कठिनाई होगी । इसलिए जो तर्क माननीय मंत्री जी प्रस्तुत किया है वह न्यायसंगत नहीं है ।

दूसरा संशोधन है अविश्वास प्रस्ताव के लाने में साधारणतया बहुमत से ही पारित करने का संशोधन लाया है । विधान सभा और लोक सभा में ये ठीक है क्योंकि ये सभायें प्रदेश का संचालन करती है पूर्णरूप से शासन करती है लेकिन अगर नगर महापालिकाओं और टाउन एरिया में नित्य-नित्य यह बात होती रहेगी कि अध्यक्ष जी यह सोचते रहें कि हम आज हैं कल नहीं रहेंगे, तो ये कभी भी सही रूप से कार्य नहीं हो सकेगा । सदैव अनिश्चितता का वातावरण बना रहेगा । इस बात को ध्यान में रखते हुए दो तिहाई बहुमत, नीचे की इकाइयों पर रखा गया है क्योंकि जो कार्य हो सही तरह से हो और उसमें गुट-बाजी न हो । प्रारम्भिक इकाइयों में गुटबाजी जल्दी होने की सम्भावना रहती है बहुमत के आधार पर अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा तो जो बात की आशंका आपके सामने व्यक्त की जा रही है वह सत्य होगी और ये आशंका व्यावहारिक है । इससे प्रशासन में जिसे स्वायत्त शासन प्रशासन कहा जाता है, चलाने में बड़ी कठिनाई होगी ।

तीसरा संशोधन रखा है कि चुनाव पिटीशन जिला जज के यहां फैसला होगा । इस मामले में संशोधन प्रस्तुत करते समय माननीय सदस्य जो हमारे ओझा जी ने कहा कि इससे हम सहमत हैं न्याय प्राधिकरण के स्थान पर जिला जज के यहां पिटीशन दाखिल हो लेकिन ओझा जी की बात के साथ-साथ जिस ओर माननीय सदस्य श्री हुकम सिंह जी ने इंगित किया है उस पर ध्यान रखते हुए जिला जज या उसके द्वारा अधिकार प्रदत्त किया हुआ दूसरा एडीशनल जज यदि जोड़ दिया जाये तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन अगर केवल जिला जज को ही अधिकार दिया गया है ऐसे सम्भव तो हो सकता है कि पूरा टर्म व्यतीत हो जाये और पिटीशन उसका निर्णय न कर सके क्योंकि जिला जज के पास अधिक कार्य होता है ।

ये संशोधन विधेयक जो मंत्री जी लाये हैं उस पर पुनः विचार करलें । इस जिद् पर कि चूंकि शासन पक्ष की ओर से आया है, इस कारण अवश्य पारित होता है उचित नहीं है अभी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया, हम सब लोगों ने उसका समर्थन किया । इसलिए मेरा निवेदन है कि जो सही बात विरोध पक्ष की ओर से आ रही है और किसी भूल के कारण यदि कोई बात उस विधेयक में नहीं आ पायी है तो जनहित में मंत्री जी उसको स्वीकार करें । इसलिए जो ओझा जी ने प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

*श्री प्रभू नारायण सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1982 रखा है, मैं इसका सहर्ष अनुमोदन करता हूं और अपने विपक्ष के साथियों से अनुरोध करता हूं कि कम से कम अच्छी बातों का समर्थन अवश्य कर दिया करें ।

जहां अगर इन्होंने जनतन्त्र की रक्षा के नाम पर जनतन्त्र का गला घोंट दिया था । सारी जितनी भी इस तरह की स्वायत्त शासन संस्थायें थीं उन सबको सुपरसीड कर दिया था । अगर हम उसे पुनर्स्थापित, पुनर्जीवित करना चाहते हैं तो चूंकि विरोध के नाम पर इनको कुछ न कुछ कहना है इसलिए यह उसका विरोध कर रहे हैं । मैं अपने सभी साथियों से यह कहना चाहता हूं कि जैसा कि अभी इन्होंने चिकित्सा सम्बन्धी विधेयक का पुरजोर समर्थन किया वैसा ही इसमें भी आयेगा क्योंकि यह हमारे सभी साथी जानते हैं कि हम वह चीज जो सचमुच में छीन ली गई थी इस प्रदेश में बड़े नगरों में रहने वाले निवासियों से उनको वह अधिकार हम देने जा रहे हैं । वैसे पूरा देश लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का समर्थक है लेकिन यह अपने को उनका शिष्य कहते हैं । वह कहते थे कि जन प्रतिनिधियों को बैक करने का भी अधिकार उनको चुननेवालों को होना चाहिये । यदि उसको बहुमत के आधार पर चुना जाता है तो बहुमत के अधिकार से हटा भी दिया जा सकता है । इनको इसमें भी विरोध नजर आ रहा है । इनको शंका नजर आ रही है पता नहीं क्यों जैसे कि अब मैं कैसे कहूं कि चोर की दाढ़ी में तिनका ।

मान्यवर, इनको तो इसका समर्थन करना चाहिए था । अगर यह विरोध की बात मन से निकल दें तो इनको इसका खुले दिल से समर्थन करना चाहिए। ओझा जी ने भी खुले दिल से इसकी प्रशंसा की है कि इसे जिला जज को दे दिया जाय। कितनी अच्छी मंशा हमारे शासन की है । हम तो कहते हैं कि जो न्यायपालिका है जिसके निर्णय पर इस देश और प्रदेश की पूरी जनता को विश्वास है तो मैं अपने माननीय साथियों से कहूंगा कि इस तरह का निर्णय अगर इसमें लिया गया है तो फिर विरोध की कौन सी बात आती है । इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो छोटा सा संशोधन है इसको यह स्वीकार कर लें और जो थोड़ा बहुत इनके मन में अगर भ्रान्ति है तो उन भ्रान्तियों को दूर करके अपने इस संशोधन के प्रस्ताव को वापस ले लेंगे ।

श्री फखरे आलम—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसके कुछ हिस्से की ताईद करूंगा और उसके साथ ही साथ जो ओझा जी ने प्रस्ताव रखा है कुछ उसके बारे में भी कहूंगा और ताईद करूंगा । सबसे पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि—

श्री उपाध्यक्ष—

आपने क्या कहा कि आप इनको भी ताईद करेंगे और उनकी भी ताईद करेंगे ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री फखरे आलम—

जी हां। भगवान भी राजी रहे और खुश रहे सैय्याद भी। माननीय उपाध्यक्ष जी, जहां तक 3 तरमीमें हमारे मंत्री जी ने रखीं। एक तो सबसे पहली बात यह है कि आपने यह कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज के यहां इलेक्शन पेटीशन होना चाहिए तो मैं सुझाव यह दूंगा कि डिस्ट्रिक्ट जज की जो परिभाषा है उसमें एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज को इन्क्लूड किया जाय। एक जिले में दर्जनों टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया होते हैं और अगर एक ही डिस्ट्रिक्ट जज के पास इलेक्शन पेटीशन जायेगा तो इलेक्शन पेटीशन का फैसला ही नहीं हो सकेगा।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण दे दूं। मान्यवर, अगर माननीय सदस्य धारा 43 (2) को पढ़ लें तो यह बात साफ हो जायगी। उसमें साफ लिखा है कि— "जिला न्यायाधीश इस अधिनियम के अधीन अपने समक्ष लम्बित किसी निर्वाचन याचिका का किसी प्रक्रम पर अन्तरण किसी अपर जिला न्यायाधीश को कर सकता है और किसी अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष लम्बित किसी निर्वाचन याचिका को वापस ले सकता है और उसका अन्तरण या निस्तारण कर सकता है या विचारण या निस्तारण के लिए उसका अन्तरण किसी अन्य अपर जिला न्यायाधीश को कर सकता है या विचारण या निस्तारण के लिए उसका पुनः अन्तरण उस न्यायालय को कर सकता है जिससे उसे वापस लिया गया था।" तो मान्यवर, यह प्राविधान तो मैंने पहले ही कर दिया है। इनकी बात मान ली है।

श्री फखरे आलम—

मान्यवर, मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें फर्क है।

श्री उपाध्यक्ष—

फखरे आलम साहब, मेरे विभ्रम को साफ करने के लिए बता दें कि क्या फर्क है ?

श्री फखरे आलम—

मान्यवर, आप तो न्याय मंत्री रह चुके हैं। सी० पी० सी० के सेक्शन 20 में जैसा कि प्राविजन है कि डिस्ट्रिक्ट जज जहां से चाहे विथड्रा कर ले और जहां से चाहे ले ले। डिस्ट्रिक्ट जज या एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज को यह अख्तियार है कि डिस्ट्रिक्ट जज जहां चाहे भेज दें और फिर हमारे नरेश अग्रवाल साहब तो एडवोकेट हैं, हमारी बात को समझें। डिस्ट्रिक्ट जज को तो यह अख्तियार आप देते हैं कि इलेक्शन पेटीशन का दाखिला हो सके। मंत्री जी को याद होगा इलेक्शन पेटीशन में मैं मंत्री जी का काउन्सेल था। डिस्ट्रिक्ट जज के यहां इलेक्शन पेटीशन था और उसका फैसला नहीं हो पा रहा था और मुद्दतों उसकी दुश्वारी होती रही तो यह अख्तियार होना चाहिए कि वह अपनी च्वाइस का यूज करें।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर डिस्ट्रिक्ट जज को पावर डेलीगेट न हो तो भी वह कर सकता है ?

अगर डिस्ट्रिक्ट जज पावर डेलिगेट न करे तभी भेज सकता है ।

श्री फखरे आलम—

मैं अर्ज कर रहा हूं कि पावर डेलीगेट करना चाहिये । दूसरी बात यह है कि स्टेट्यूटरी प्रोविजन यह है कि अगर पावर डेलीगेट कर दिया जाय तो डिस्ट्रिक्ट जज के यहां पेटिशन दायर हो सकता है

(व्यवधान)

मेरा सुझाव यह है कि इस जमहूरियत के दौर में, एक प्रजातांत्रिक तरीका, नया तरीका प्रत्यक्ष एलेक्शन का होना चाहिये । चाहे छोटी नगर पालिका हो, एक लाख से ऊपर की आबादी वाली नगरपालिका हो या एक लाख से कम आबादी वाली नगरपालिका हो, सब में प्रत्यक्ष एलेक्शन होना चाहिये । इसलिए कि हर आदमी, हर मेम्बर, हर चेयरमैन पब्लिक के सामने आवे और पब्लिक से वोट मांगे । टाउन एरियाज और नोटिफाइड एरियाज में भी यह होना चाहिये कि जो पब्लिक के चुने हुए लोग हैं वे पब्लिक के सामने आवें और इस बात का उनको अख्तियार होना चाहिये कि जो लोग डाइरेक्ट एलेक्शन में चुन कर आवें उनके खिलाफ नो कांफिडेंस भी डाइरेक्ट होना चाहिये, इनडाइरेक्ट नहीं होना चाहिये । इसका सेंसर डाइरेक्ट होना चाहिये, इन डाइरेक्ट नहीं होना चाहिये । अगर दो लाख या 50 हजार या 70 हजार लोगों का चुना हुआ प्रतिनिधि महज 17 या 18 मुट्ठी भर आदमियों में से 10 को मेजारिटी के बिना निकाल दिया जाता है तो यह जम्हूरियत और प्रजातंत्र के खिलाफ होगा और कांस्टीट्यूशन के भी खिलाफ होगा । ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिये । इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं । नो कांफिडेंस के लिए दो तिहाई के बजाय महज बेयर मेजारिटी पर कोई चीज नहीं होनी चाहिये । जैसा कि मैंने अर्ज किया कि अगर कहीं 18 या 19 मेम्बर हैं और 10 ने कह दिया दिया कि चेयरमैन को हटा दो उसकी सैफिटी कुछ नहीं रहेगी । चेयरमैन कोई काम कर ही नहीं सकेगा । माननीय मंत्रा जी तो पहले इस राय के थे कि नो कांफिडेंस के लिए दो तिहाई की मेजारिटी आनी चाहिये । न मालूम अब उनकी राय क्यों बदल गई, शायद मंत्री होने के बाद उन्होंने अपनी राय बदल दी । जब तक दो तिहाई की मेजारिटी न हो, नो कांफिडेंस नहीं आना चाहिये । एक लाख लोगों का चुना हुआ जो आदमी है उसको बेयर मेजारिटी की बिना पर हटा देना बड़ा अन्याय होगा, जम्हूरियत और डेमोक्रेसी के भी खिलाफ होगा । लिहाजा ओझा जी का जो प्रस्ताव है उसकी मैं ताईद करता हूं और माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे इस पर विचार करें और इसको सेलेक्ट कमेटी में दे दिया जाय ताकि इस पर विचार करके उसे देख लें ।

*श्री खान गुफरान जाहिदी—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे स्वायत्त शासन मंत्री द्वारा पेश किये गये संशोधन विधेयक पर बोलने का मौका दिया । इससे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पहले कि मैं विरोध पक्ष के बारे में, या विरोध पक्ष के साथियों की राय के बारे में कुछ कहूं, मैं यह भी नहीं कह सकता कि किसने इस पूरे म्यूनिसिपल बोर्ड स को खतम किया और मैं यह भी नहीं कहूंगा कि उस वक्त जो प्रक्रिया अपनायी गई और एलेक्शन नहीं कराया गया, उसकी मंशा की दिशा की तरफ भी रुख नहीं करूंगा। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि हमारे विरोध पक्ष के साथियों ने जिस मंशा का इजहार किया है कि कारपोरेशन के एलेक्शन में या बोर्ड का जो भी एलेक्शन हो उसमें सबका, चेयरमैन का भी डाइरेक्ट एलेक्शन हो।

मैं समझता हूं कि सबने इस पर ज्यादा जोर दिया है। प्रक्रिया कोई भी हो, कोई भी नई प्रणाली शुरू की जाय, कोई नया तरीका निकाला जाय, तो पहले यह तरीका नहीं था लेकिन अगर यह तरीका अपनाया जाय जिसकी ओर हमारे नगर विकास मंत्री ने एक रुख दिया है तो तजुर्बे के लिए भी बुनियादी तौर पर पहले एक लाख तक और उस से कम जगहों पर बोर्ड के चेयरमैन का इन्तखाब करायें तो मैं यह समझता हूं कि वह एक तजुर्बे की कड़ी है और तजुर्बे की कड़ी उसके बाद विस्तृत की जा सकती है, फैलायी जा सकती है, दूसरे बोर्डों को कवर किया जा सकता है।

अभी हमारे एक माननीय साथी एक खास टुकड़ा यह कहते हैं, बार-बार कहते हैं, कि जम्हूरियत को कत्ल किया जा रहा है, डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है वगैरह, वगैरह। यह सेन्टेन्स इतनी बार रिपीट किया जाता है कि इस सेन्टेन्स में कोई वजन ही नहीं रह गया। मैं कहता हूं कि अगर उस तरफ रुख है और जैसा कि एश्योरेन्स के लिए हमारे माननीय विपक्ष के साथी बार-बार कहते हैं कि नगर विकास मंत्री जी आप एक आश्वासन दे दीजिए कि कब इलेक्शन करायेंगे, आज नगर विकास मंत्री जी ने एक बात कही कि उस इलेक्शन के पहले कुछ प्रक्रिया है जिसे पूरा करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया जाना है, यह साफ जाहिर है कि हम जल्द से जल्द इलेक्शन कराने की ओर बढ़ रहे हैं। हर काम जो जरूरी है उसको करते जा रहे हैं। पहले नोटिफायड एरिया को कवर करना। अब वह आप की तरह इतनी तेज नहीं दौड़ सकेंगे। बद्दू के माशाअल्ला आप भी हैं। वह नियम के अनुसार चल रहे हैं और आप बगैर नियम के भाग रहे हैं। जाहिर है कि आप दौड़ेंगे भी और गिरेंगे भी।

मैं ऐसा समझता हूं कि जो अधिनियम पेश हुआ है नगर विकास मंत्री जी द्वारा और जिन बातों को वह करना चाहते हैं इलेक्शन से पहले, जो कानून में कमी थी, उसको पूरा करना चाहते हैं। तो यह संशोधन ऐसा है जिसे पूरा करना है। एक लाख से नीचे पहली बार जो इलेक्शन चेयरमैन का कराने जा रहे हैं, वह इलेक्शन किस अन्दाज से हो रहा है, क्या नतीजा निकलता है, यह एक तजुर्बा आप को और हमको दोनों को देखना है। दस लाख की आबादी वाले शहरों को कवर करना इससे आसान होगा। कोई कमी रह जायगी तो उसको पूरा करने के लिए आप अपनी तरफ से सुझाव देंगे। कोई चीज स्टार्ट की जा रही है उसमें यह कहें कि इसे तीन महीने के लिए प्रवर समिति को भेज दें, फिर तीन महीने के बाद आप कहें कि कार्यवाही नहीं हुई, इलेक्शन जल्द के जल्द कराये जायें।

मैं सिर्फ दो शब्द और कहना चाहता हूं। अब प्रक्रिया शुरू हुई है। आप सब को इस बात की खुशी होनी चाहिये कि हम इलेक्शन कराने की तरफ बढ़ रहे हैं। जल्द से जल्द इस को मुमकिन बनाया जा सके इस प्रकार की कार्यवाही हो रही

[श्री खान गुफरान जाहिदी—]

है । हम समझते हैं कि विपक्ष के साथी जो हम इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं उसमें हिमायत करेंगे ।

*श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, स्वायत शासन मंत्री जी ने जो संशोधन पेश किया है और जैसा उन्होंने खुद कहा है कि संशोधन बहुत छोटा है और उनका उद्देश्य प्रजातांत्रिक प्रणाली के अनुसार स्वायत्तशासी संस्थाओं के चुनाव कराने का है, मुझे इनके उद्देश्य के पीछे बहुत बड़ा षड़यंत्र लग रहा है । कोई कानून और कोई नियम यदि उसमें कोई दोष नहीं है और लम्बे समय से चल आ रहा है तो उसमें तब्दीली नहीं की जानी चाहिये । 2/2 बहुमत से अधिनियम के अनुसार अध्यक्ष का हटाये जाने का प्राविधान था । उसमें इन्होंने परिवर्तन कर के यह कर दिया है कि साधारण बहुमत से भी उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाय तो उनको हटाया जा सकता है । इसके पीछे यह मन्शा नजर आ रही है कि सरकार अपने यन्त्र के जरिये, अपने प्रभाव के जरिये, अपनी शक्ति के जरिये, अध्यक्ष को हटाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकती है और वहां पर एक अनिश्चितता और असमंजस का वातावरण बना रह सकता है और वे अपना प्रभाव इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं । साथ ही वहां के सदस्यों को डरा-धमका कर के यह कह सकते हैं कि आप इस दल में आ जाइये । इस तरह से प्रभावित कर सकते हैं और प्रलोभन दे सकते हैं ।

दूसरी बात यह है कि एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि हम प्रजातंत्र में आस्था रखते हैं और उसके अनुसार चुनाव करा रहे हैं । यदि प्रजातंत्र में आस्था रखते हैं तो जो सदस्यों के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हो रहे हैं तो अध्यक्ष का चुनाव भी उसी प्रणाली से कराने में क्या आपत्ति है । जैसा कि अभी माननीय श्रीवास्तव जी ने कहा है कि जो बूथ सदस्यों के लिए बनेंगे वहीं पर अध्यक्ष के प्रत्याशी का भी बूथ बनाकर वहीं पर उसकी भी वोटिंग हो जायेगी और इस तरह से खर्चा भी इससे ज्यादा नहीं हो सकेगा, और जैसे सारे सदस्यों का चुनाव होगा उसी तरह से अध्यक्ष का चुनाव भी हो जायेगा । यदि इस तरह से चुनाव होता है तो वह जनता की भावना के अनुरूप काम करेगा । इस तरह से जो प्रत्यक्ष प्रणाली को छोड़कर अप्रत्यक्ष रूप के अध्यक्ष के चुनाव के बारे में आप संशोधन कर रहे हैं, वह गलत है । उसको भी सत्ता दल अपने प्रभाव से, अपनी ताकत से उसको भी प्रभावित करेगा और अध्यक्ष पद के लिए जो चयन होगा उसमें बहुत भ्रष्टाचार होने की गुंजाइश है । इसलिए मैं इन दोनों संशोधनों का विरोध करता हूं ।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री सुरेन्द्र कपिल को अन्य नाम से बुलाये जाने पर।)

श्री सुरेन्द्र कपिल—

मेरा नाम सुरेन्द्र कपिल है.....

श्री उपाध्यक्ष—

असल में आप बदले हुये दिखाई पड़े । कभी चादर में और कभी सूट में इसलिये पहचान नहीं पाया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1982 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982

श्री सुरेन्द्र कपिल--

मान्यवर, मौके के हिसाब से बदलना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में हिस्सा लेने का मौका दिया और इसलिये भी विशेष रूप से आभारी हूं कि आपने बदलते हुये को भी पहचान लिया। लेकिन मैं आपसे यह उम्मीद करूंगा कि मैं आपका बच्चा हूं मुझे ना भूले और मुझे बदलते हुए न देखें।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी मैं बुढ़ापे की उस हद तक पहुंचना नहीं चाहता।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र कपिल--

वहां की सीढ़ी पर तो आप पैर रख ही चुके हैं। मान्यवर, हमारे नागर स्वायत्त शासन मंत्री जी ने जो यह प्रस्ताव रखा है उसके सम्बन्ध में हमारे भाई हुकुम सिंह जी ने जो संशोधन रखा वह बेबुनियाद और अव्यावहारिक प्रस्ताव है। क्योंकि एक ओर तो हमारे विपक्षी दल के सदस्य इस चीज की आवाज उठाते हैं कि लोकतंत्र को जल्द से जल्द बहाल किया जाय और उनकी बात वाजिब भी है, वे लोकनायक जयप्रकाश की बात करते हैं जिन्होंने लोकतंत्र की दुहाई देकर जनता को भ्रमित किया है। लेकिन इस बात पर और दुख होता है कि जहां एक तरफ लोकतंत्र की दुहाई देकर चुनाव जल्दी से जल्दी कराने के लिए इस सदन के अन्दर माननीय विपक्षी दल के लोग आवाज उठाते रहे हैं।

(2 बजकर 43 मिनट)

वहीं आज यह प्रवर समिति को सौपने का सुझाव बेतुका है क्योंकि यह अव्यावहारिक है कि तीन महीने के अन्दर प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट दे और उसके बाद फिर प्रक्रिया जारी की जाय उसके बाद यहां पर विचार विमर्श हो। इस प्रकार यह एक लम्बी प्रक्रिया हो जायेगी। उसमें इन लोगों को कहने का जरूर मौका मिलता रहेगा कि सत्तारूढ़ दल लोकतंत्र को बहाल करने का इच्छुक नहीं है।

एक जरूर मुझे खुशी हुई है कि विपक्षी सदस्यों ने इसमें कहीं पर छबिराम का जिक्र नहीं किया यह इनका बहुत बड़ा एहसान है। हमारे विपक्ष के साथियों के लोकतंत्र के दो रूप देखने को मिलते हैं एक तरफ तो लोकतंत्र को दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ ऐसी समस्या पैदा करके दिखाना चाहते हैं कि यह सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती लेकिन हमारे माननीय मंत्री ने इस बारे में स्पष्ट संकेत दिया है कि हम नगरपालिकाओं तथा अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं में जल्दी से जल्दी चुनाव कराकर लोकतंत्र को बहाल करने के इच्छुक हैं जिनकी आबादी एक लाख से कम है। यह एक बहुत ही व्यवहारिक प्रस्ताव हमारे माननीय मंत्री जी ने रखा है। इसमें कोई दो राय नहीं है एक लाख तक जहां मतदाता हैं वहां सीधी चुनाव प्रक्रिया होती है तो उसमें व्यवहारिकता है उसके अन्दर ज्यादा दोष नहीं हो सकते हैं और जो उससे ज्यादा की जनसंख्या की जो स्वायत्तशासी संस्थायें हैं उनके अन्दर इस तरह के चुनाव कराते हैं तो उसमें सम्भावनायें हो सकती हैं कि वह दोषमुक्त हों। सत्तारूढ़ दल ज्यादा से ज्यादा लाभ जनतंत्र का जनसाधारण तक पहुंचाना चाहता है उसमें जहां तक विरोधी दलों की बात है

[श्री सुरेन्द्र कपिल—]

वह कहते हैं कि इसमें भी कोई षडयंत्र दिखाई देता हैं । उनको डर इस बात का है कि सत्तारूढ़ बल इससे अपना प्रभाव जमा सकेगा । तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सन् 1981 के चुनाव के बाद प्रदेश और देश की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके दिलों में कांग्रेस आई की छाप है और कांग्रेस आई को नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की छाप हैं । तो उस छाप से मेरे साथी डरते हों तो उनका डरना वाजिब हैं। वह तो छाप आज भी बरकरार है और हमारी कांग्रेस आई सरकार बराबरा वह छाप बढ़ा रही हैं । तो इस डर से विपक्षी दल चुनाव नहीं होने देना चाहते हैं तो इनको डरना नहीं चाहिए क्योंकि जो भी नव प्रतिनिधि आयेगा वह जनता के बहुमत से आयेगा और जनता द्वारा चुना हुआ आयेगा और जनता को ज्यादा सुविधा उपलब्ध करायेगा । लेकिन जहां एक लाख से ज्यादा आबादी वाली संस्थायें हैं वहां पर ज्यादा लोगों के लिए अपनी जिम्मेदारी को नहीं वह महसूस कर पायेगा और वहां ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकते हैं । इसलिए मंत्री जी का जो प्रस्ताव है वह व्यावहारिक है और तर्कसंगत है ।

मैं माननीय हुकुम सिंह जी से निवेदन करूंगा कि उन्होंने एक जो अव्यवहारिक संकल्प रखा है और प्रवर समिति में सौपने की बात की है वह उसे वापस ले लें और इसमें बाधा न उत्पन्न करें और लोकतंत्र को बहाल करने का स्वागत करें । मैं पुनः इस विधेयक का स्वागत करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि यह एक लोकतांत्रिक और प्रगतिशील कदम है इसमें वे सहयोग दें ।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नगर विकास मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है मैं समझता हूं कि यह किसी की साजिश में फंस करके किया है । माननीय मंत्री जी ने इस बात पर गम्भीरता से विचार किया होगा लेकिन आज जो प्रदेश की सम्पूर्ण कानून व्यवस्था में शक्तियां हावी हैं जिसको समाचार-पत्रों और अन्य माध्यमों से उनको जानकारी मिलती है कि छबिराम जैसे प्रभावशाली डकैत इस शासन ने निर्भीण कर दिए हैं, जिनके समक्ष शासन ने आत्मसमर्पण कर दिया है, ऐसे सामन्तशाही लोग....

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

इनको छबिराम की ज्यादा जानकारी है, इसलिए घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं ।

एक सदस्य—दोस्ती तो उसके साथ आपकी है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

चलिए प्रसन्नता की बात है कि छबिराम जी हमारे बीच यहां नहीं है, इसीलिए उनकी चर्चा हुई है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस शासन ने यह बात कहकर हमें जो हक दे दिया है, उस सम्बन्ध में अपनी जानकारी दे दूं क्योंकि अब यह मेरा कर्त्तव्य हो गया है....

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी जानकारी इस संशोधन तक ही सीमित रखें। कुछ अपने चेम्बर में बैठकर जानकारी कर लीजिएगा।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, आपने रोक दिया है इसलिए नहीं कहूंगा। मेरे जो साथी ओझा जी ने संकल्प रखा है, इसका मैं समर्थन करते हुए मंत्री जी से पुनः इस पर विचार करने के लिए कहूंगा कि देश की जनता और साधनों को ध्यान में रखते हुए, नगरपालिकाओं और महापालिकाओं को स्वच्छ रखने के लिए आज आवश्यक है कि आप चुनाव को जनता से सीधे होने दें। मूलतः शासन द्वारा इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि जो नगरपालिकाएं एक लाख जनसंख्या से ऊपर की होंगी, उनके चुनाव जनता के द्वारा सीधे होंगे। तो फिर क्या कारण है कि जो एक लाख से कम जनसंख्या वाले जो नगर क्षेत्र हैं, उनमें सीधे चुनाव कराने के लिए सरकार क्यों घबड़ा रही है। इस घबड़ाने के कारण के लिए मंत्री महोदय ने यह विधेयक प्रस्तुत करते समय किसी भी प्रकार का कोई संकेत नहीं दिया है। इस-लिए मैंने इसके लिए साजिश शब्द का प्रयोग किया है। हम लोग जनता के सीधे मतों को प्राप्त करके यहां चुनकर आते हैं, इसलिए इस सच्चाई को हम लोग समझते हैं कि आज की राजनीति में आज के प्रजातान्त्रिक वातावरण में, पूंजीवादी व सामन्तवादी युग में छबिराम ऐसे गिरोह को पालने वालों का कितनी तेजी के साथ अधिपत्य होता जा रहा है। मंत्री जी पिछले इतिहास को याद करें, वह एक भी नाम बता दें, क्योंकि मुझे यह जानकारी है, नगरपालिकाओं या महापालिकाओं में पिछले 10 वर्षों से किसी ने धन के आधार पर इसको न प्राप्त किया हो। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि केवल समाजसेवा, स्वच्छ प्रशासन और लोकतंत्र को कायम रखने की भावना लेकर आने वाला कोई व्यक्ति इसका अध्यक्ष इस प्रकार से निर्वाचित हुआ हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं....

श्री खान गुफरान जाहिदी—

यह बात यह मेरी समझ से गलत कह रहे हैं। मैं कानपुर से आता हूं, वहां एक मेयर हुए थे श्री जटाशंकर बाजपेयी, वह पब्लिक के आदमी थे....

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

वह कितने दिन रहे ?

श्री खान गुफरान जाहिदी—

यह अलग प्रश्न है, लेकिन वह चुनाव में जीते थे और रहे थे एक धनपति के मकाबले में।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मैं मानता हूं कि यह एक अपवाद स्वरूप है लेकिन मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि वे किस प्रकार से अध्यक्ष पद से हटाये गये। वे कानपुर के रहने वाले हैं और मैं भी वहां का रहने वाला हूं। वे उस घटना का भी परिचय करा दें कि बाजपेयी जी को किस कारण से हटना पड़ा और फिर जो व्यक्ति उस पद पर आया उसके चरित्र के बारे में भी माननीय सदस्य को बता देना चाहिये। जितनी भी प्रदेश में आज नगर पालिकायें और महापालिकायें हैं उनके बारे में माननीय नगर विकास मन्त्री को सैकड़ों पत्र पहुंचे होंगे कि वहां पर 2 लाख से 6 लाख रुपयों तक के घपले पड़े हुए हैं क्योंकि जो नगर पालिकाओं और महापालिकाओं का अध्यक्ष होता है उसकी सम्पूर्ण कार्यशैली जो होती है वह वार्ड मेम्बर्स या सदस्यों के ऊपर निर्भर करती है, उनमें हिस्सा बांट होता है और साझेदारी होती है और उनकी कृपा पर ही उसे जिन्दा रहना पड़ता है। तो अगर आपको इनमें स्वच्छ प्रशासन को कायम रखना है तो जो प्रजातंत्र के गुरुकुल हैं प्रजातंत्र के आदर्श हैं, मूल्य हैं ये उसकी शिक्षा संस्थाये हैं तो इनमें अध्यक्ष के पद को पवित्र रखना बहुत ही आवश्यक है और वे सीधे चुनाव के द्वारा ही कायम रह सकता है। एक लाख के ऊपर जहां पर आबादी है अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा कराया जा रहा है। जब आप लोक सभा का चुनाव कराते हैं तो इनका भी बड़ी आसानी से हो सकता है। उनमें भी मतदाताओं की संख्या वही होगी और उन्हीं वार्डों में सदस्यों की एक के स्थान पर 2 पेटियां रखी जा सकती है। इससे क्षेत्र में भी काम होंगे।

अतः मैं पुनः माननीय नगर विकास मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अपने इस विधेयक में इस प्रकार का संशोधन करें कि अविश्वास का प्रस्ताव 2/3 के आधार पर, जैसा है, वैसे ही बना रहना चाहिये। माननीय खन्ना जी स्वयं बरेली नगरपालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं। मैंने स्वयं एक बार देखा है कि वे सदस्य के सामने कैसे गिड़गिड़ाते थे। मैं उस मेम्बर को भी जानता हूं। तो ऐसी तमाम समस्याओं पर पुनर्विचार कर लिया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप उस जमाने में बरेली में ही रहे क्या ?

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, मैं वहां पर रहा हूं।

श्री राम सिंह खन्ना—

जब उनको आखें खुलो तब क्या देखा ?

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मैं सब बात बता देता कि आगे क्या हुआ लेकिन वे शब्द आप कह देंगे कि असंसदीय हैं। बरेली में जो होटल है ...।

(व्यवधान)

इसलिए आपको अध्यक्ष पद के लिए कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी, श्रीमानजी, आज यह आवश्यक हो गया है कि हम इस बात पर विचार करें कि स्वायत्तशासी संस्थाओं को हम किस ढंग से चलायें।....

श्री हुकम सिंह--

माननीय सदस्य कृपया उसे भी बता दें।

माननीय, वह होटल वाली क्या बात है

(हंसी)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मैं उसे नहीं बताऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपना यह मसला अपने चेम्बर में तय करें, सदन को चलने दें।

(हंसी)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

माननीय, यह स्वायत्तशासी संस्थायें लोकतंत्र की धरोहर हैं इसलिए इनका निर्वाचन सीधे कराया जाना चाहिये और 2/3 बहुमत के आधार पर अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उसे स्वीकार करना चाहिये यह व्यवस्था होनी चाहिये।

*श्री राजकुमार राय--

श्रीमन् माननीय नगर विकास एवं आवास मन्त्री जी ने जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं, जो भी तर्क विरोध पक्ष की ओर से इस विधेयक के संबंध में प्रस्तुत किये गये हैं, वे बड़े ही लचर और अव्यवहारिक हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे कृपया अपने संशोधन को वापस ले लें। जब आप (विरोध पक्ष) सत्ता पक्ष में थे तो उस वक्त विरोध पक्ष की ओर से यह आवाज उठायी गयी थी कि आप इन नगरपालिकाओं के चुनाव करायें, पर आप नहीं करा पाये। एक तरफ आप लोक तंत्र की दुहाई देते हैं, उसको बचाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ चुनाव से मुकरते हैं और जब फिर विरोध पक्ष में आते हैं तो उसकी बात करने लगते हैं। इस ओर आज जब हमने एक कदम उठाया है तो उसका आपको समर्थन करना चाहिये था। अगर इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जायेगा तो यह विधेयक एक कोल्ड स्टोरेज में चला जायेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि विरोध कृपया कुतर्कों का सहारा न लें।

एक बात अभी यह कही गयी कि अगर सीधे चुनाव नहीं किया गया तो खरीद फरोख्त होगी और जो प्रेसीडेंट चुना जायेगा वह आसानी से करप्ट हो जायेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज दुनियां में हर तरह की प्रणाली है। अमेरिका में अपनी चुनाव प्रणाली है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपनी एक चुनाव प्रणाली है, पर हमने जहां तक विश्व इतिहास का अध्ययन किया है उसके अनुसार यह हर व्यक्ति पर निर्भर करता है न कि प्रणाली पर। प्रणाली के नाम पर कुछ थोड़ा बहुत हेरफेर हो सकता है, पर अधिकतर उस व्यक्ति के ऊपर ही निर्भर करता है जो वास्तव में चुनाव जीतता है' जो गुरुतर चीज है वह व्यक्ति ही है। अमेरिका में हर व्यक्ति इब्राहिम लिंकन नहीं हो सकता और न ही ब्रिटेन में जिस तरह की प्रणाली है उसमें हर व्यक्ति करप्ट हो सकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

वह कौन सी प्रणाली है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं ।

श्री राजकुमार राय—

मैं यह कह रहा हूं कि दुनियां में तरह-तरह की प्रणाली चल रही हैं और इस पर कहीं एक मत नहीं है कि कौन सी प्रणाली सबसे अच्छी है और यह व्यक्ति और उस पार्टी की नियुक्ति पर निर्भर करता है । इसलिए हम प्रणाली के बारे में नहीं कुछ कह सकते । अगर हम इस तर्क को लेते हैं कि आदमी 2/3 के बहुमत से नहीं हटाया गया बल्कि सीधे बहुमत से हटाया गया, तो उसमें गुण और दोष दोनों हैं । अगर कोई व्यक्ति चुने जाने के बाद ऐसा उसने समझ लिया कि अब तो चुन लिया गया हूं, अब नहीं हटाया जा सकता हूं, तो वह गड़बड़ी कर सकता है । तो इसलिए उस पर अंकुश की आवश्यकता है । अब रही बात यह कि सदस्य किस प्रकार के वहां के लोगों में से चुन कर जायेंगे, वह तो जनता के ऊपर है, वह जिस प्रकार के लोगों को चुनेगी, वह अच्छे ही लोगों को चुनगी और उनसे अच्छी चीज की उम्मीद की जा सकती है । वह जनता की भावनाओं के अनुरूप ही करेंगे । अब मान्यवर, दूसरी बात यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट जजेज के पावर को एडिशनल डिस्ट्रक्ट जजेज को डेलीगेट करने की बात हमारे सीनियर मेम्बर ने कही, मैं उससे इत्फाक करता हूं । लेकिन निवेदन यह करना चाहता हूं कि इसमें तो स्वयं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का प्राविधान है । उसके लिए हमें कोई अलग से प्राविधान करने की आवश्यकता नहीं है । जो कह रहे हैं, उससे काम तो स्पीडी होगा, लेकिन दिक्कत यह होगी कि उसमें डुप्लीकेसी आ जायेगी । एक आदमी डी0 जे0 के यहां रखेगा और दूसरा ए0 डी0 जे0 के यहां रखेगा । उस डुप्लीकेसी को बचाने का यह सही तरीका है । अगर ऐसी बात नहीं होती तो माननीय सदस्य की बात को मैं मानता । इन शब्दों के साथ मैं नगर विकास एवं आवास मन्त्री द्वारा रखे हुए विधेयक का स्वागत करता हूं ।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय ओझा जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । अभी राय साहब बोल रहे थे, साथ में हरदेव भाई मदद कर रहे थे । मान्यवर, नगर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक 1982 प्रस्तुत किया गया है, उसमें मोटे तौर पर दो-तीन बातें हैं, जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य अपन उत्तरार्ध की तरफ से बोले ताकि मैं सुन सकूं यानी गौरी की तरह नहीं, शंकर की तरह बोले ।

(हंसी)

श्री गौर शंकर भैय्या—

उपाध्यक्ष महोदय, दो-तीन बातें हैं, उस पर आने के पहले जो सबसे एतराज करने की बात है, वह मैं कहना चाहता हूं । मान्यवर, 15 जनवरी को इस प्रदेश की विधान सभा बैठने वाली थी, यह इनको मालूम था । 4 जनवरी को यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश में जारी कर दिया गया जबकि यह जानकारी थी

सरकार को कि हाउस बुलाया गया है और 15 जनवरी, 1982 से इस विधान सभा की बैठक होने वाली है, तो कौन सी ऐसी बात पड़ गयी कि 4 तारीख को यह अध्यादेश सरकार को लाना पड़ा ? मान्यवर, 15 जनवरी तक इन्हें धैर्य से बैठना चाहिए था और उसमें वह बिल ले आते । तो मान्यवर, इससे यह जाहिर होता है कि इनकी सरकार कितनी लोकतन्त्रीय है । इसमें हमारा जबरदस्त एतराज है कि यह जो कर रहे हैं, यह नितान्त अवैधानिक है । हमेशा जब हाउस काल कर लिया जाता है तो अध्यादेश जारी करने की प्रवृत्ति इनकी हो गयी है । इस पर रोक लगनी चाहिए । दूसरी बात में कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप दूसरे माइक का प्रयोग करें ।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, उद्देश्य और कारण जो गिनाये गये हैं मैं यह कहना चाहता हूं कि एक लाख की आबादी के आस-पास के जो नगर हैं उसमें प्रत्यक्ष ढंग से चुनाव होता था अब अप्रत्यक्ष ढंग के करने वाले हैं । अभी मान्यवर, जाहिदी साहब बोल रहे थे वह 92 नम्बर में रहते थे और हम 91 में रह रहे थे । मान्यवर, यह जनता पार्टी के सदस्य थे अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बजट सेशन में इन्होंने वोट दिया था उनमें हम भी थे और ये भी थे । हाउस के रिकार्ड में यह आ गया कि उनके सीने में कितना दर्द है लोकतन्त्र के लिए पार्टी खत्म होने वाली थी इनको उम्मीद थी कि कानपुर से जीत कर आ जायेंगे, चले गये और वहीं आज लोकतन्त्र की बात करते हैं । मैं कहना चाहता हूं जनता जब अपने प्रतिनिधि का चुनाव सीधे करती है, जैसे जाहिदी, हरदेव भाई और हम चुन कर आये हैं, तो दूसरे चुनाव सीधे जनता से करने पर लोकतन्त्र किस खतरे में पड़ने जा रहा है ।

मान्यवर, अब पहले मेम्बर चुने जायेंगे और उनका भाव तय होगा उसके बाद म्यूनिसपेलटीज के अध्यक्ष का चुनाव वह करेंगे । अभी कोई माननीय सदस्य कह रहे थे कि किसने तोड़ा । मैं कहना चाहता हूं कि जो भी हुकूमत में आता है वह तोड़ता है । यह सही है कि हमने तोड़ा लेकिन सीधे जनता से चुनाव कराने का 30 वर्षों बाद किसने किया जनता पार्टी की सरकार और मेम्बर ने किया । आप प्रत्यक्ष चुनाव के बजाय अप्रत्यक्ष चुनाव कर रहे हैं मैं सन्देह नहीं करता लेकिन आप क्यों गली से गुजरना चाहते हैं, गली में घुसने का औचित्य क्या था जब आपके सामने राज मार्ग बना हुआ था । मान्यवर, सरकार इनडायरेक्ट चुनाव करा रही है इसका सीधा जवाब हमको मिला इनको देना चाहिए । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हू लोकतन्त्र की बात कांग्रेस (आई) के बारे में । मान्यवर, आप भी जानते हैं कि जो पार्टी अपने दल में चुनाव नहीं करवा पा रही है, गढ़वाल में लोक सभा का चुनाव नहीं करवा पा रही, जिस पार्टी में अपनी बात को कहने का हक नहीं है, वह लोग लोकतन्त्र की बात करते हैं उनकी पार्टी के अन्दर लोकतन्त्र नहीं है ।

मान्यवर, यह गढ़वाल में चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, जिला परिषदों में नामजद करके एम0 एल0 सी0 का चुनाव कराना चाहते हैं, कोआपरेटिव में नामांकन करके चुनाव कराना चाहते हैं वो लोग अब लोकतन्त्र की बात कर रहे

[श्री गौरी शंकर भैय्या—]

है तो दुख होता है । लोकतन्त्र की परिभाषा हमें तो नहीं मालूम है लेकिन जहां जनता सीधे अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है वही बढ़िया लोकतन्त्र है । जहां सीधे चुनाव नहीं करती है, उसको सीधा जनतन्त्र नहीं कहा जा सकता है । घुमा फिरा कर भले ही लोकतन्त्र कहा जाय । इसी सन्दर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं । मान्यवर, एमरजेन्सी के समय में इन्हीं के पार्टी के अध्यक्ष थे बलिया नगर के श्री कृष्ण उनका नाम है शायद आप जानते हों क्योंकि बलिया से आपका सम्पर्क है । मान्यवर, उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव दाखिल कर दिया और जो चेयरमैन थे वह 5 वोटों से हार गये और चेयरमैन पद से हट गये । इमरजेन्सी में ही वह पेरोल पर छूट गये । फिर दुबारा बोलो बोली गयी । पहले यह हुआ कि 10 हजार रुपया ले लीजिये तो मेम्बरों ने कहा कि तुम तो अछूत हो, अभी हटाया है और यदि रेट बढ़ा दो तो अध्यक्ष बनवा दें । तो उसी भ्रष्ट को जिसको हटा दिया था उसी को दुबारा चुनकर चेयरमैन बना दिया । यह घटना इसलिए कह रहा हूं कि यह बड़े पैमाने पर खरीद बिक्री होता है । अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि लोकतन्त्र में हम चुनाव कराने जा रहे हैं तो प्रवर समिति में आप क्यों भेजना चाहते हैं । इसलिए मैं मान्यवर, आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि, हाऊस में कान खोल कर बैठें । ये दो दिन पहले बिल पास करा चुके हैं कि साल भर के लिये एडमिनिस्ट्रेटर का कार्यकाल बढ़ाना । तो उसमें आपको लोकतन्त्र को खतरा नजर नहीं आया और हम 3 महीने को मांग कर रहे हैं कि प्रवर समिति को भेज दें तो इनको कहीं न कहीं लोकतन्त्र को खतरा नजर आ गया ।

मान्यवर, मैं एक चीज निवेदन करना चाहता हूं । जिस तरह जनता पार्टी के शासनकाल में एक स्थिति पैदा हो गयी थी कि श्री हरि किशन श्रीवास्तव, स्वायत्त शासन मन्त्री थे तो उन्होंने चुनाव कराने पर बल दिया तो उनको हटा दिया गया और उनकी जगह पर श्री सत्य प्रकाश मालवीय आये, उन्होंने कहा कि हम चुनाव करवाना चाहते हैं तो उनका विभाग बदल दिया गया, उसके बाद श्री गणेश दत्त बाजपेयी आये और उन्होंने कहा कि चुनाव करवाना चाहते हैं तो उनका विभाग बदल दिया गया, उसी प्रकार इनका कांग्रेस का शासन आया तो इस विभाग में श्री अजीत सिंह सेठी, श्री राम सिंह खन्ना जो आये और इन लोगों ने कहा कि चुनाव करायेंगे तो विभाग बदल दिया गया, इसी प्रकार जब यह मन्त्री जी चुनाव के लिये कहते हैं तो सोचते हैं कि कहीं हमारा विभाग भी न बदल दिया जाय इसलिए वह दोनों तरह की बात कह रहे हैं एक तरफ तो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर का कार्यकाल एक साल बढ़ा दिया जाय और दूसरी तरफ कहते हैं कि चुनाव करवाना चाहते हैं । इस लिये इसको मैं प्रवर समिति को सौंपने की मांग करता हूं ।

मान्यवर, दूसरी बात अविश्वास प्रस्ताव के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि आज तक परम्परा रही है कि 2/3 बहुमत जब हो जाता है कि अमुक व्यक्ति ठीक काम नहीं कर रहा है तो उसको हटा दिया जाता था । अभी एक सदस्य कह रहे थे कि जनता के चेयरमैन को वापस बुलाने का अधिकार दिया जा रहा है तो इसमें विरोधी दलों को क्यों परेशानी हो रही है । मैं इनसे जानना चाहता हूं कि वापस बुलाने का अधिकार केवल चेयरमैन के लिए ही देना चाहते हैं या एम0पी0 और एम0एल0ए0 को भी वापस बुलाने का अधिकार जनता को देना चाहते हैं ? यदि दूरदर्शी है तो आप एक बिल ले आयें कि जो एम0 पी0 और एम0 एल0 एज0

से जनता संतुष्ट नहीं होगी तो उसको वापस जनता बुला लेगी । लेकिन इसमें तो अविश्वास प्रस्ताव की बात है पहले 2/3 में अविश्वास प्रस्ताव रखा जाता था किन्तु अब मन्त्री जो ने कर दिया है कि आधे से एक अधिक मेम्बर हो जाने पर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जायगा और चेयरमैन को हटा दिया जायेगा ।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आधे से 2/3 लोग यदि कम होते हैं चूंकि 2/3 का मामला था, इसलिए ठेका, परमिट कोटे में चेयरमैन काम चला लेते थे । किन्तु आधे कर देंगे तो दूसरा आदमी जो बैठेगा वह कहेगा कि 15 हजार दिया था, मैं 20 हजार रुपये दे रहा हूं जिससे दो आदमी टूट कर चले आयेंगे, और अविश्वास प्रस्ताव से अध्यक्ष को हटा देंगे । उसको भी चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, तो वह कहेगा कि 20 हजार की जगह मैं 25 हजार रुपये दूंगा और हमारी ओर चले आइयें । तो मान्यवर, हर दूसरे तीसरे महीने यह होता रहेगा और कोई भी चेयरमैन एसी हालत में काम नहीं कर सकेगा ।

इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जैसी पहले प्रथा थी वो तिहाई बहुमत पर हटाये जाने की, उसमें भ्रष्टाचार के पनपने की कम गुन्जाइश रहती है, लेकिन इसमें इस चीज को बहुत बढ़ावा मिलेगा और तीसरी बात जो इलेक्शन पेटीशन की बात कही गयी, उसमें भी यह बात साफ तौर पर है कि अब चुनाव होंगे ही नहीं तो इलेक्शन पीटीशन की क्या बात पैदा होगी, वहां से सीधे सादे बाजो से काम होगा, इसलिए मैं आपकी इस प्वाइंट पर बधाई देता हूं, बाकी अन्य संशोधन के सम्बन्ध में जैसा कि हमारे भाई ओझा जी ने अपना प्रस्ताव इन संशोधनों को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का रखा है, उसका समर्थन करता हूं क्योंकि इससे वहां पर सारी चीजों पर विचार हो जायेगा ।

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन के संशोधन विधेयक, 1982 जो माननीय नगर विकास मंत्री द्वारा रखा गया है, उसके समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया मान्यवर, मैं अभी भी अपने साथियों की बातें सुन रहा था, उनकी बातों से तो यह अंदाजा होता है कि वह यह जो चुनाव होने जा रहे है, उसका समर्थन दिल से कर रहे हैं, लेकिन वह मजबूर है उधर बैठने की वजह से, इसलिए वह हर हालत में हमारा विरोध करना चाहते हैं । मान्यवर, इस विधेयक से यह प्रतीत होता है कि इस प्रदेश में जबकि काफी लम्बे समय से इनके चुनाव की बात नहीं हुयी और अब इसके लिए हमारी सरकार तैयार है, तब आप लोकतान्त्रिक प्रणाली का प्रश्न ले आये इसमें लोकतांत्रिक प्रणाली का हनन कहां से हो रहा है, यह तो लोकतंत्र की सफलता की सबसे बड़ी निशानी है, यह जो विधेयक आया है, यह सिर्फ इसलिए है कि हमारे नगर पालिकाओं महापालिकाओं का कार्य सुचारु रूप से अच्छे ढंग से चले, इसलिए है । जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमारे यहां मुरादाबाद में 27 साल हो गये हैं, वहां पर चुनाव नहीं हो सके हैं, और अब हमारी सरकार चुनाव कराने जा रही है तो आप तमाम खदसात पेश कर रहे हैं ।

मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आप लोग आखिर किस तरह से चुनाव चाहते हैं, यहां बात यह बिल्कुल साफ है कि जहां पर एक लाख की आबादी वाली बस्ती है वहां पर चुनाव डायरेक्ट रूप में कराये जायेंगे और जहां पर एक

[श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी--]

लाख से अधिक की आबादी होगी वहां पर चुनाव इनडायरेक्ट रूप में होगा, यह तो बिल्कुल साफ बात है, इसमें तो किसी प्रकार का खदसा नहीं होना चाहिए, यह सारा इसलिए किया जा रहा है कि नगर पालिकाओं का कार्य अच्छे ढंग से हो सके, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक पर किये गये संशोधन का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि बहुत जल्द से जल्द हमारे यहां चुनाव करायें जायेंगे ।

श्री हुकम सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल कुछ ही शब्द कहकर अपनी बात को समाप्त कर दूंगा । मान्यवर एक बात जब सीधे चुनाव करने के बारे में कही गयी । इसमें मान लीजिए कोई व्यक्ति 90 हजार या एक लाख की आबादी में कहीं से सीधे चुनाव जीतकर आता है एक साल के बाद या जो भी समय उसमें हो, उसके बाद केवल सदस्यों के बहुमत से उसको हटा देना एक अव्यवस्था पैदा करना है क्योंकि अगर केवल सदस्यों के साधारण बहुमत से जनता के सीधे चुने हुए प्रतिनिधि को हटा देंगे तो या तों हर वर्ष उप चुनाव कराइए, यह जनता के बहुमत का मखौल उड़ाने की बात है । उन नगरपालिकाओं में जहां प्रत्यक्ष चुनाव की बात आपने कही है, उन नगरपालिकाओं के माध्यम से जनता की सेवा की बात जहां तक तो जब तक अध्यक्ष का टैन्योर फिक्स नहीं होगा, जब तक उसको इसका विश्वास नहीं होगा, तब तक वह कुछ नहीं कर पायेगा । सब जानते हैं दिन प्रति दिन के काम में कोई बोर्ड काम नहीं कर पाता है । अगर अध्यक्ष को इतना भय होगा कि कल कोई आदमी उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव ले आयेगा, तो उसे हटा दिया जायगा, तो वह काम कैसे करेगा ।

एक बात लोकतन्त्र के हनन की जा रही थी । सीधे चुनाव की जो प्रक्रिया थी यह अध्यादेश भी कांग्रेस शासन में ही लाया गया था । 1976 में एमरजेंसी के टाइम में । गोयल साहब को स्मरण होगा, उस समय यह मंत्री थे लास्ट सिटिंग जब विधान सभा की हुई थी तब यह विधेयक लाया गया था । यह तजुर्बा आपने कहां से कर लिया जब चुनाव हुए ही नहीं और आप संशोधन ले आये । किस बुद्धि से किस तर्क से आप इस प्रक्रिया को हटाने जा रहे हैं, यह हमारी समझ से परे की बात है । बिना अनुभव के ही आप संशोधन करने जा रहे हैं । इन्हीं शब्दों के साथ पुनः दोहराता हूं कि बिना विधान मंडल को विश्वास में लिए पहले अध्यादेश पारित करा देना यह साबित करता है कि आप नौकरशाही द्वारा सत्ता करना चाह रहे हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे स्पष्ट संशोधन में, मैं ऐसा समझता हूं कि, इधर और उधर के जिन माननीय सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया है, उससे मंत्री जी को कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा और अनजाने में जो गलती उन्होंने की है, उसको सुधारने का अहसास भी वह कर रहे होंगे । मुझे ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य जो उधर बैठते हैं, उनको "हिप्नोटिज्म" हो जाता है । चुनाव से इस विधेयक का क्या सम्बन्ध है । चुनाव पहले हो जाय तो हम सरकार का सहयोग करेंगे । मुझे खुशी होगी, अगर मंत्री जी घोषणा कर दें । यह विधेयक तो एक दूसरी दिशा की ओर ले जा रहा है । इसीलिये मैं चाहूंगा कि जो हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि जनतांत्रिक है,

यह विधेयक जो आया हुआ है, वह जनतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिये आया हुआ है तो एक कोरोलरी प्रश्न पैदा हो जाता है कि क्या हम लोग जो यहां पर सीधे चुनकर आये हैं, यह अप्रजातांत्रिक है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जानते होंगे, उनकी नियत पर मुझे शुबहा नहीं है, पिछली बार जब कभी प्रत्यक्ष चुनाव हुए हैं नगरपालिकाओं के तो उनके अध्यक्षों की खरीद फरोख्त कैसे होती है । पहले उनकी व्यक्तिगत राय थी कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होने चाहिये परन्तु पता नहीं किन परिस्थितियों के वशीभूत होकर अपनी राय के विरुद्ध ऐसा निर्णय लिया है और यह विधेयक ले आये हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे विचार कर लें और फिर अपनी पुरानी विचारधारा पर आ जांय कि नगरपालिकाओं के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होने चाहिये और उस पर वे कायम रहेंगे ।

मान्यवर, पिछले साल भी मैंने कहा था और इस साल भी मैंने अनुरोध किया था कि आज भी इस प्रदेश में पंचायतों के प्रधान जो हुआ करते हैं उनके खिलाफ दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव आता है क्योंकि वहां पर क्षेत्र सीमित होता है । लोगों का इनटरेस्ट होता है और वह इतनी जल्दी पकड़ में आ जाता है । तो जो कुर्सी पर बैठा हुआ है उसको तड़ने में बड़ी मुश्किल नहीं होती है अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये । इसलिये 2/3 का मार्जिन इसीलिये रखा गया है कि जो बैठे हुए हैं, अध्यक्ष हैं, उसे हटाया जाना चाहिये । मान्यवर, कानपुर का उदाहरण आपके सामने है, गोरखपुर का उदाहरण आपके सामने है । बनारस में किस तरीके से वहां के एक बहुत बड़े सेठ ने किस प्रकार से सदस्यों को अपने पक्ष में करने के लिये क्या-क्या तिकड़म किया था । इतिहास इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अब तक जितने जन प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व रहा, वह न के बराबर रहा है । अगर कोई जन प्रतिनिधि चुन लिया गया तो उसे कार्य नहीं करने दिया गया ।

मान्यवर, यह विधेयक जो आया है इसका सम्बन्ध इस पक्ष या उस पक्ष से नहीं है । प्रश्न तो यह है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों में, बुनियादी जम्हूरियत में कहां तक आपको भरोसा है, यह प्रश्न इसपे पैदा हो सकता है । अगर एक लाख से ऊपर मतदाताओं वाली नगरपालिकाओं का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा तो फिर माननीय सदस्य विधान सभा का चुनाव क्यों डाइरेक्ट हो । इसलिये इससे एक भीषण परिस्थिति इस देश में पैदा हो जायेगी जिसे फिर आप नहीं पसन्द करेंगे और न मैं ही पसन्द करूंगा ।

इसलिए माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जल्दबाजी में और न जाने किन परिस्थितियो में उन्होंने जो यह विधेयक पेश किया है, इस पर फिर से विचार कर लें और इसे विचार के लिए प्रवर समिति में जाने दें । यह प्रजातांत्रिक तकाजा है कि इस प्रकार की अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को खतम करने की वे बात करें जिससे कि महात्मा गांधी का स्वप्न साकार हो सके ।

मैं माननीय मंत्री जी से बड़ी विनम्रता पूर्वक, जिनकी नियत पर मुझे शक नहीं है, यह कहना चाहता हूं कि वे जल्दीबाजी में कुछ ऐसा न कर बैठें कि जिससे इस प्रदेश को इतिहास कहे कि जनतंत्र को हमने जिस गड्ढे से निकाला था उसे माननीय गोयल साहब ने फिर गड्ढे में गिरा दिया । नगरपालिकाओं में खरीद फरोख्त की प्रणाली को लागू न कीजिये कि जिससे उसको प्रोत्साहन मिले । इन शब्दों के साथ कि :

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—]

न आसमान टूटा जा रहा है,

न जमीन धंसी जा रही है ।

इसलिए इस पर आप विचार करने के लिए चलिए एक महीना हम काम करते हैं और एक महीना आप छोड़िये और इसे 15 दिन के लिए आप प्रवर समिति के सुपुर्द कर दीजिये । अब इसको प्रवर समिति को भेजिये लोगों की इच्छाओं का आदर कीजिये । जनतंत्र में विश्वास है इसलिए जनतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाने हम सबको मिल कर काम करना चाहिए । अतः हमने एक छोटा सा संशोधन ला रखा है मुझे आशा है माननीय मंत्री जी इस राय के हो गये होंगे कि उसको मान लेंगे ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मान्यवर, मैं माननीय हुकम सिंह, ओझा जी और तमाम माननीय सदस्य इधर-उधर से जो बोले हैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने बहुमूल्य सुझाव दिये । मान्यवर, अधिकतर दो-तीन बातों पर जोर दिया गया है । एक तो यह है कि इससे प्रजातन्त्र खतम हो जायेगा । मान्यवर, आपको भी स्मरण होगा कि थोड़े दिन पहले इस देश में विभिन्न लोगों ने यह मत व्यक्त किया था कि इस देश में प्रेसीडेंसियल फार्म आफ गवर्नमेन्ट अच्छा है । उसके लिए डाइरेक्ट प्रेसीडेन्ट को चुन लिया जाये वोटों के तहत । बड़ा हल्ला मचा विरोध पक्ष की ओर से कि इस देश में डिक्टेटरशिप की तैयारी की जा रही है । तो मान्यवर, एक तरफ तो ये यह बात कहते हैं और दूसरी तरफ जब हम योजना बना कर नगर-पालिकाओं महापालिकाओं के चुनाव करा कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा देने की बात कह रहे हैं तो उसकी भी आलोचना कर रहे हैं । जब यह विधेयक, प्रत्यक्ष चुनाव का पारित किया गया था उस समय मैं इसी विभाग में राज्य मंत्री था । हमारे दो-तीन साथियों ने, उनका शायद जानकारी नहीं थी, जनता पार्टी द्वारा यह पारित हुआ था, कहा । मैं उनको दुरुस्त कर दूं, इस मसले में यह विधेयक कांग्रेस ने ही पारित किया था और उस समय मान्यवर, जो भाषण हुये थे, निकाल कर आप पढ़ें, और सदन देखने की कोशिश करे तो जब हमने से पेश किया था तो इन्होंने ही इसका डटकर विरोध किया था...

श्री हुकम सिंह—

जब आपने इसे प्रस्तुत किया था तो इधर कोई नहीं था, सब बन्द थे ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

हो सकता है, कुछ अन्दर रहे हों और कुछ बाहर । बहरहाल आप लोगों ने, विरोध पक्ष ने, इसका विरोध किया था । अगर केवल विरोध करने की वजह से विरोध किया है तब तो अलग बात है वरना जिस तरह से चुनाव के लिए यह है, इससे अच्छा दूसरा विधेयक नहीं हो सकता है ।

उधर कुछ लोगों ने बार-बार जोर दिया कि नगर विकास मंत्री जो बनता है, जब चुनाव की बात करता है तो हट जाता है, यह बात जनता पार्टी के कार्यकाल में तो सही उतर सकती थी, लेकिन एक मंत्री, व्यक्ति, तो हट सकता है लेकिन शासन जो 5 बरस के लिए चुन कर आया है, रहेगा । इसलिए मैं आऊं

या कोई दूसरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस ने कहा है कि चुनाव कराना है तो अवश्य होगा, कौन व्यक्ति चुनाव करायेगा, इससे कोई असर नहीं पड़ता। आप लोगो को ढाई-पौने तीन वर्ष का मौका मिला, जनता पार्टी ने दिया। आपने सबसे पहले काम किया कि जितनी भी चुनी हुई संस्थायें थीं, उन सब का एक ही वार से सफाया कर दिया और ढाई-पौने तीन बरस तक चुनाव कराने की बात ही नही सोची क्योंकि आपके आपस के झगड़े ही नहीं तय हो पाये थे और आज प्रजातन्त्र की दुहाई देते हैं।

एक बात और कही गयी, सदस्य लोग जितने भी होंगे, नगर पालिकाओं, नगर महापालिकाओं के, 20-25-30 हजार में बिकेंगे। यह बहुत अफसोसजनक बात है कि हमारे प्रजातन्त्र का इस तरह से मखौल बनाया जाय। कल से अगर महापालिकाओं और नगरमहापालिकाओं के सदस्य हम लोगों के बारे में ऐसी बात करने लगें तो हम कैसा महसूस करेंगे। अच्छे और बुरे लोग हर जगह हो सकते हैं लेकिन उसके लिए आम तौर से यह कह देना कि सारे सदस्य बिक्री के लिए हैं यह अच्छी बात नहीं है।

मान्यवर, दो तिहाई बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास करने का जो मैंने संशोधन दिया है उसका कारण तो यह है कि माननीय हुकम सिंह जी और अन्य माननीय सदस्यों ने शायद इस बात पर ध्यान नही दिया है कि सेक्शन 1 में हमने कोई संशोधन नहीं किया है। जो अध्यक्ष चुना जायेगा। वह दो वर्ष तक कार्य कर सकता है आसानी से और अगर दो वर्ष के बाद भी उसको सदन की अनुमति प्राप्त नहीं है तो रहने का अधिकार नहीं है तो हमने सोचा कि हम ऐसा प्राविधान क्यों रखें कि वह निरंकुश होकर कार्य करे। एक बात और साफ करना चाहता हूं कि जो प्रत्यक्ष रूप से चुने जायेंगे एक लाख की आबादी वाले क्षेत्र में और अगर उनको अविश्वास से निकाला जायेगा तो उसके बाद पुनः जनता के द्वारा ही उनका चुनाव होगा। तो जो खतरा आप देख रहे हैं वह खतरा भी उसकी वजह से नहीं है। एक और बात की ओर ध्यान दिलाया गया है जिला जज के यहां पेटिशन का प्राविधान कर दिया गया है। अब सारी दिक्कत यह मालूम होती है कि मेरे इस संशोधन विधेयक को शायद माननीय सदस्यों ने पूरी तरह से जल्दी में देखा नहीं : जैसा कि मैंने बीच में भी कहा था, 43(2) में वह प्राविधान है कि जिला जज इसे दूसरे अन्य जज के पास भेज सकता है। इसलिए जो शंका माननीय सदस्यों की थी, उनकी वह शंका भी निर्मूल है। इसलिए जितनी बातें माननीय सदस्यों ने कही हैं महापालिकाओं और नगरपालिकाओं की वर्किंग में सुधार लाने के बारे में, उनमें अवश्य सुधार लाया जायेगा। मैं सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं और जो सुझाव उन्होंने दिये हैं उनके अनुसार जितना भी सुधार किया जा सकता है उसमें सुधार करने के लिए शासन हमेशा सचेष्ट है। इन चन्द शब्दों के साथ मैं श्री हुकम सिंह और ओझा जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने अपने प्रस्ताव को वापस लेने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री हुकम सिंह जी, क्या आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री हुकम सिंह--

मैं अपना प्रस्ताव वापस नहीं ले रहा हूं, मान्यवर ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1982 का अनुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष---

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा जी, आपका क्या विचार है ? क्या आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

नहीं, मान्यवर ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो 3 माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से 24 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 और संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 का अग्रतर संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय--एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1.—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1982 कहा जायगा ।

(2) यह 4 जनवरी, 1982 से प्रवृत्त समझा जायगा ।

अध्याय–दो

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 का संशोधन

2––उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की, जिसे उत्तर प्रदेश आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 11–क निकाल दी जायगी । — अधिनियम संख्या 2, सन् 1959 की धारा 11–क का निकाला जाना

3––मूल अधिनियम की धारा 12 में,— — धारा 12 का संशोधन

(क) पार्श्व शीर्षक और उपधारा (1) में, जहां–जहां भी शब्द "उप नगर प्रमुख" आये हों, उनके स्थान पर, शब्द "नगर प्रमुख और उप नगर प्रमुख" रख दिए जायेंगे, और उपधारा (1) में शब्द "किया जायगा" के स्थान पर शब्द "किये जायेंगे" रख दिए जायेंगे;

(ख) उपधारा (3) में, शब्द "उप नगर प्रमुख" के स्थान पर शब्द "नगर प्रमुख और उप नगर प्रमुख" रख दिए जायेंगे;

(ग) उपधारा (5) में, शब्द "उप नगर प्रमुख" के स्थान पर, शब्द "नगर प्रमुख और उप नगर प्रमुख" रख दिये जायेंगे ।

4––मूल अधिनियम की धारा 13 में, शब्द "उप नगर प्रमुख" के स्थान पर शब्द "नगर प्रमुख और उप नगर प्रमुख" रख दिए जायेंगे । — धारा 13 का संशोधन

5––मूल अधिनियम की धारा 14 में, शब्द और अंक "यथास्थिति, धारा 11–क या धारा 12 में" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 12 में" रख दिये जायेंगे । — धारा 14 का संशोधन

6––मूल अधिनियम की धारा 16 में,— — धारा 16 का संशोधन

(क) उपधारा (3) में शब्द "दो–तिहाई से" के स्थान पर, शब्द "आधे से" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (15) में, शब्द "दो–तिहाई बहुमत" के स्थान पर, शब्द "आधे से अधिक से बहुमत" रख दिये जायेंगे ।

7––मूल अधिनियम की धारा 46 में, खण्ड (घ) में, शब्द "उप नगर–प्रमुख" के स्थान पर, शब्द "नगर प्रमुख और उप नगर प्रमुख" रख दिये जायेंगे । — धारा 46 का संशोधन

8––मूल अधिनियम की धारा 61 में, पार्श्व शीर्षक और उपधारा (1) में, जहां–जहां भी शब्द "उप नगर प्रमुख" आये हों, उनके स्थान पर, शब्द "नगर प्रमुख या उप नगर प्रमुख" रख दिये जायेंगे । — धारा 61 का संशोधन

9––मूल अधिनियम की धारा 92 में, उपधारा (1) में दोनों प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिए जायेंगे । — धारा 92 का संशोधन

अध्याय—तीन

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2, सन् 1916 की धारा 20 का संशोधन

10—संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 20 में, उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

"(5) याचिका उस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले जिला न्यायाधीश को प्रस्तुत की जायगी जिसमें वह नगरपालिका स्थित है, जिससे निर्वाचन याचिका सम्बन्धित है :

परन्तु याचिका जिला न्यायाधीश द्वारा ग्रहण नहीं की जायगी जब तक कि उसके साथ कोषागार चालान न हो जिसमें यह दर्शित हो कि विहित प्रतिभूति जमा कर दी गयी है ।"

धारा 22 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 22 में,—

(क) पार्श्व शीर्षक में, शब्द "निर्वाचन न्यायाधिकरण द्वारा याचिका की सुनवाई" के स्थान पर शब्द "निर्वाचन याचिका की सुनवाई" रख दिए जायेंगे;

(ख) उपधारा (1) में, शब्द "यथास्थिति, जिला न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश" के स्थान पर, शब्द "जिला न्यायाधीश" रख दिये जायेंगे ;

(ग) उपधारा (2) से (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(2) उपधारा (1) के अधीन जिस निर्वाचन याचिका को अस्वीकार न किया गया हो, उसकी सुनवाई जिला न्यायाधीश द्वारा की जायगी ।"

धारा 23 का संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 23 में जहां-जहां भी शब्द "निर्वाचन न्यायाधिकरण" या "न्यायाधिकरण" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "जिला न्यायाधीश" रख दिए जायेंगे ।

धारा 23-ए का निकाला जाना

13—मूल अधिनियम की धारा 23-ए निकाल दी जायगी ।

धारा 24 का प्रतिस्थापन

14—मूल अधिनियम की धारा 24 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्—

वाद व्यय के लिए उपबन्ध

"24—इस अधिनियम के अधीन किसी निर्वाचन याचिका में जिला न्यायाधीश द्वारा वाद व्यय के लिए या वाद व्यय के प्रतिभूति-पत्र की वसूली के लिए दिया गया कोई आदेश उसके द्वारा उस जिले के कलेक्टर को निष्पादन के लिए भेजा जा सकता है जिसमें सम्बद्ध नगरपालिका स्थित है और इस प्रकार भेजा गया आदेश कलेक्टर द्वारा उस रीति से निष्पादित किया जायगा मानो वह भू-राजस्व की बकाया के सम्बन्ध में हो ।"

उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1982 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982

15--मूल अधिनियम की धारा 25 में, जहां-जहां भी शब्द "निर्वाचन-अधिकरण" या शब्द "निर्वाचन न्यायाधिकरण" आये हों, उनके स्थान पर, शब्द "जिला न्यायाधीश" रख दिए जायेंगे। — धारा 25 का संशोधन

16--मूल अधिनियम की धारा 26 में, जहां-जहां भी शब्द "निर्वाचन न्यायाधिकरण" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "जिला न्यायाधीश" रख दिए जायेंगे। — धारा 26 का संशोधन

17--मूल अधिनियम की धारा 27 में, जहां-जहां भी शब्द "निर्वाचन-न्यायाधिकरण" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "जिला न्यायाधीश" रख दिए जायेंगे। — धारा 27 का संशोधन

18--मूल अधिनियम की धारा 43 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् — धारा 43 का प्रतिस्थापन

"43--(1) धारा 3 के अधीन घोषित नगर से भिन्न किसी नगर के बोर्ड के सदस्यों का किसी सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन पूरा हो जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, सदस्यगण एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार ऐसे बोर्ड के अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त मत-पत्र द्वारा किया जायगा।

अध्यक्ष का निर्वाचन

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन, भले ही कोई स्थान अपूरित रहे, पूरा समझा जायगा, यदि धारा 9 के अधीन नियत सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम-चतुष्पंचमांश सदस्य निर्वाचित हो गये हों।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट बोर्ड से भिन्न किसी बोर्ड का अध्यक्ष नगरपालिका के निर्वाचकों द्वारा निर्वाचित किया जायगा :

"परन्तु यदि किसी सामान्य निर्वाचन में कोई व्यक्ति बोर्ड के, जिस पर यह उपधारा लागू होती है, सदस्य और अध्यक्ष दोनों ही रूप में निर्वाचित हो जाय या ऐसे बोर्ड का सदस्य होते हुए, किसी उप निर्वाचन में अध्यक्ष निर्वाचित हो जाय तो वह धारा 40 में यथा उपबन्धित के सिवाय, अध्यक्ष निर्वाचित होने के दिनांक से सदस्य नहीं रह जायगा।"

19--मूल अधिनियम की धारा 43-एए में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्— — धारा 43-एए का संशोधन

"(3) बहिर्गामी अध्यक्ष पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा।"

20--मूल अधिनियम की धारा 43-एए के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्-- — नई धारा 43-ख, 43-खख और 43-ग का बढ़ाया जाना

"43-ख-(1) अध्यक्ष के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन पर आपत्ति ऐसी निर्वाचन याचिका के सिवाय नहीं की जायगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किसी ऐसे सदस्य द्वारा जो निर्वाचन में मत देने का हकदार हो, या किसी ऐसे उम्मीदवार द्वारा जो निर्वाचन में हार गया हो, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसका नाम-निर्देशन पत्र अस्वीकार कर दिया गया हो,

निर्वाचन याचिका

धारा 19 की उपधारा (1) में उल्लिखित किसी एक या अधिक आधार पर या इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या आदेशों के उपबन्धों के अननुपालन के आधार पर जब ऐसे अननुपालन का निर्वाचन फल पर सारवान प्रभाव पड़ा हो, प्रस्तुत की गई हो ।

(2) निर्वाचन याचिका उस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले जिला न्यायाधीश को प्रस्तुत की जायगी, जिसमें वह नगरपालिका (म्युनिसिपैलिटी) स्थित है जिससे सम्बन्धित निर्वाचन याचिका है ।

(3) ऐसी निर्वाचन याचिका जिनके साथ ऐसा कोषागार चालान न हो जिसमें यह दर्शित हो कि धारा 43—ग के अधीन आदेश द्वारा विहित प्रतिभूति की राशि जमा कर दी गई है, या जो धारा 43—ग के अधीन आदेश द्वारा विहित समय के भीतर या रीति से प्रस्तुत नहीं की गई है या जिस पर अपेक्षित न्यायालय फीस का भुगतन याचिका प्रस्तुत करते समय या चौबह दिन से अनधिक ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो जिला न्याय धीश ने दिया हो, न किया गया हो, अस्वीकार कर दी जायगी ।

(4) ऐसी निर्वाचन याचिका को, जिसे उपधारा (3) के अधीन अस्वीकार न किया गया हो, सुनवाई जिला न्यायाधीश द्वारा की जायेगी ।

याचिका का अन्तरण

43—खख (1) धारा 20 की उपधारा (5) या धारा 43—ख की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किसी निर्वाचन याचिका के किसी पक्षकार के आवेदन—पत्र और उसके अन्य पक्षकारों को नोटिस देने के पश्चात् और उनमें से ऐसे पक्षकारों की, जो सुने जाने की इच्छा प्रकट करें, सुनवाई करने के पश्चात्, या स्वयमेव, ऐसी नोटिस के बिना, उच्च न्यायालय किसी प्रक्रम पर,—

(क) किसी जिला न्यायाधीश के समक्ष विचारण के लिये लम्बित किसी निर्वाचन याचिका का अन्तरण किसी अन्य जिला न्यायाधीश को कर सकता है; या

(ख) उसे उस जिला न्यायाधीश को, जिससे उसे वापस लिया गया था, विचारण के लिए पुनः अन्तरित कर सकता है ।

(2) जिला न्यायाधीश इस अधिनियम के अधीन अपने समक्ष लम्बित किसी निर्वाचन याचिका का किसी प्रक्रम पर अन्तरण किसी अपर जिला न्यायाधीश को कर सकता है और किसी अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष लम्बित किसी निर्वाचन याचिका को वापस ले सकता है, और—

(एक) उसका अन्तरण या निस्तारण कर सकता है; या

(दो) विचारण या निस्तारण के लिए उसका अन्तरण किसी अन्य अपर जिला न्यायाधीश को कर सकता है, या

(तीन) विचारण या निस्तारण के लिए उसका पुनः अन्तरण उस न्यायालय को कर सकता है जिससे उसे वापस लिया गया था ।

(3) जहां उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी निर्वाचन याचिका का अन्तरण या पुनः अन्तरण किया गया हो, वहां जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश, जो तत्पश्चात् ऐसी याचिका का विचारण करे, अन्तरण के आदेश में किसी प्रतिकूल निदेश के अधीन रहते हुए उस बिन्दु से कार्यवाही करेगा, जिस पर उसे अन्तरित किया गया था या पुनः अन्तरित किया गया था :

परन्तु यदि वह उचित समझे तो पहले ही परीक्षित किसी साक्षी को पुनः बुला सकता है और उसका पुनः परीक्षण कर सकता है ।

43-ग—राज्य सरकार, आदेश द्वारा, अध्यक्ष के निर्वाचन अध्यक्ष के निर्वाचन के सम्बन्ध में राज्य सरकार की आदेश देने की शक्ति के संचालन से और निर्वाचन सम्बन्धी विवाद का निपटारा करने से सम्बन्धित निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में उपबन्ध कर सकती है, अर्थात्—

(क) रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति, शक्ति और कर्त्तव्य;

(ख) नाम-निर्देशन, संवीक्षा, नाम वापस लेने और मतदान के लिए दिनांक नियत करना;

(ग) नाम-निर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने की रीति और उसका प्रपत्र, विधिमान्य नाम-निर्देशन के लिए अपेक्षाएं, नाम-निर्देशन की संवीक्षा और उम्मीदवारी से नाम वापस लेना;

(घ) निर्वाचन की प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत मतदान के पूर्व किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाना भी है, और सविरोध और निर्विरोध निर्वाचनों की प्रक्रिया;

(ङ) मतदान के घन्टे और मतदान का स्थगन;

(च) निर्वाचन में मतदान की रीति;

(छ) मतों की संवीक्षा और गणना जिसके अन्तर्गत मतों की पुनर्गणना भी है और मत बराबर-बराबर होने की स्थिति में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ज) परिणाम की घोषणा और अधिसूचना;

(झ) नाम-निर्देशन के साथ प्रतिभूति जमा करना और उसकी वापसी और उसका समपहरण;

(ञ) निर्वाचन याचिका का प्रपत्र, उस पर देय न्यायालय फीस और उसके पक्षकार;

(ट) निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने की रीति और समय जिसके भीतर याचिका प्रस्तुत की जायगी;

(ठ) निर्वाचन याचिका के साथ प्रतिभूति जमा करना और उसकी वापसी और उसका समपहरण;

(ड) अनुतोष जो अर्जीदार मांग सकता है;

(ढ) निर्वाचन याचिका की सुनवाई में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और सुनवाई का स्थान;

(ण) निर्वाचन याचिका पर कार्यवाही करते समय जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश की शक्तियां;

(त) निर्वाचन याचिका पर जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश के आदेश जिसके अन्तर्गत निर्वाचित उम्मीदवार से भिन्न उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करना और उसके आधार भी हैं;

(थ) भ्रष्ट आचरण करने के आधार पर उम्मीदवारों की अनर्हता; और

(द) सामान्यता ऐसे समस्त विषय जो अध्यक्ष के निर्वाचन के संचालन और निर्वाचन के विवाद से सम्बन्धित हों ।"

धारा 44-क का संशोधन

21—मूल अधिनियम की धारा 44-क में,—

(क) शब्द "धारा 43 में" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिए जायेंगे, अर्थात्—

"धारा 43 की, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) में",

(ख) प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जायगा ।

धारा 87-क का संशोधन

22—मूल अधिनियम की धारा 87-क में,—

(क) उपधारा (2) में, शब्द "दो-तिहाई से" के स्थान पर शब्द, "आधे से" रख दिए जायेंगे;

(ख) उपधारा (12) में, शब्द "दो-तिहाई" के स्थान पर शब्द, "आधे से अधिक के" रख दिए जायेंगे ।

धारा 92 का संशोधन

23--मूल अधिनियम की धारा 92 में, उपधारा (1) में, प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "अध्यक्ष [जो धारा 43 के अधीन, जैसी कि वह उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ के पूर्व थी या धारा 44-क के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन बोर्ड के सदस्यों द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष न हो]" के स्थान पर शब्द "धारा 43 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी बोर्ड के अध्यक्ष" रख दिए जायेंगे ।

अध्याय--चार

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1, सन् 1982

निरसन और अपवाद

24--(1) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1982 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित अध्याय दो और तीन में निर्दिष्ट किसी मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2 से 24 तक, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अध्यादेश, 1981 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1982†

(3 बजकर 45 मिनट)

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अध्यादेश, 1981 का अननुमोदन करता है ।

†दिनांक 3 फरवरी, 1982 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

[श्री हुकम सिंह]

मान्यवर, अध्यादेशों की कड़ी में एक कड़ी और अध्यादेश की है और जैसा मैंने पहले कहा विधान मंडलों मे. विधान सभा में विश्वास खो कर के यह सरकार केवल अध्यादेशों के बल पर चल रही है । इस अध्यादेश के माध्यम से इन्होंने कुछ अधिकार लिये कि जहां पर सरकार चाहे मुस्लिम वक्फ का नियंत्रण अपने हाथ में ले ले और बोर्ड को भंग कर के प्रशासक नियुक्त कर सके । प्रदेश भर के वक्फ बोर्डों में बहुत बड़ी कमियां थी, भ्रष्टाचार व्याप्त था, हजारों, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपयों का दुरुपयोग किया जा रहा था और उन पर नियंत्रण की आवश्यकता थी, इसमें कोई संदेह नहीं है । लेकिन इस प्रकार के नियंत्रण से कि किसी बोर्ड में अपना प्रशासक बैठा कर वहां सुधार हो जायगा, धन का दुरुपयोग बन्द हो जायगा, यह मेरी समझ में नहीं आता । मैं पूछना चाहता हूं कि आप यह स्टाप गैप अरेन्जमेंट क्यों कर रहे हैं, एडहाक जो फैसले ले रहे हैं, इनके आधार पर आप कब तक चल सकेंगे । क्या पिछले दस साल, बीस साल, से आप लोगों को यह जानकारी नहीं हुई कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड का प्रबन्ध किस प्रकार चलाया जाय या उसके लिए एक विस्तृत विधेयक आप क्यों पारित नहीं करा सके जिससे एक श्रृंखला यहां बनती, एक सुधार आता, एक व्यवस्था बनती, वहां का मैनेजमेंट ठीक तरह से चलता । आपने प्रशासकों का राज्य देखा । नगर पालिकाओं में प्रशासक का राज्य देखते हैं । दूसरे संस्थाओं में देखते हैं । तो आप क्या यह सोचते हैं कि किसी संस्था का नियंत्रण अमुक व्यक्ति से लेकर के दूसरे व्यक्ति को दे देने मात्र से उस संस्था म सुधार आप कर पायेंगे ।

मैं जानना चाहता हूं आप के माध्यम से । मंत्रियों की जोड़ी यहां बैठी हुई है । क्या केवल प्रशासक मात्र नियुक्त करने से आप सुधार करने जा रहे हैं । सुधार नहीं हो पायेगा । लाखों रुपये उनकी जेब में न जाकर प्रशासक के जेब में चले जायेंगे । करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति वक्फ बोर्डों में पड़ी हुई है तमाम प्रदेश में, उसके प्रबंध के लिए आपने क्या सोचा, क्या व्यवस्था की है । करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति जो इन संस्थाओं में है वह किसी मस्जिद में या किसी दूसरे संस्थाओं में लगायी जा सकती है, एक व्यक्ति विशेष तमाम सम्पत्ति को हड़प ले । एक व्यक्ति विशेष जिससे आप खुश नहीं हैं उसे आप हटा देंगे और कहीं पर प्रशासक के रूप म कोई विधान सभा का सदस्य जिसे आप टिकट नहीं दे पाये, या किसी रिटायर्ड अधिकारी को, जैसा कि आपने एक प्रक्रिया चलाई है रिटायरमेंट होने के बाद इनाम देने की, किसी डी0 आई0 जी0 आदि को, वहां बैठा देंगे वह तमाम बोर्ड की सम्पत्ति का मालिक बन जायेगा । लोगों ने अपनी कमाई, अपनी सम्पत्ति बोर्ड को दी है । त्याग की भावना से लोगों ने वह सम्पत्ति बनाई । एक व्यक्ति विशेष में तमाम शक्तियां निहित कर आप सुधार नहीं कर पायेंगे । इन तमाम बातों पर सोच विचार करने के बाद आप तफसील से एक बिल लाकर जो सम्पत्ति इन संस्थाओं में प्रदेश के तमाम अंचलों में पड़ी हुई है उसका उपयोग धार्मिक संस्थाओं में, सामाजिक सुविधाओं के लिए हो, इस बात पर आप कहें ।

मैं पुनः अध्यादेशों के बल पर चलने वाली इस सरकार की निन्दा करता हूं और आशा करता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्य मेरी भावना को जानकर जो विधेयक के पीछे भावना है, उससे सहमत हैं । सरकार ने अध्यादेशों की जो झड़ी लगा दी है उसकी आप भी निन्दा करेंगे और उस पर नियंत्रण करने के लिए यह आवश्यक है कि आप विधेयक विधान मंडलों के समक्ष प्रस्तुत करें ताकि माननीय

सदस्य उस पर अपने विचार प्रकट कर सकें और उसके बाद उसे पारित करने का प्रयास करें ।

मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री नियाज हसन खां)--

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे भाई रियासत हुसैन जी ने आज हमें सीधे जगदीशपुर से सदन में आपके सामने हाजिर किया है । जिस अध्यादेश और विधेयक का स्वागत आज पूरे प्रान्त के मुसलमानों ने किया है....

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मद संख्या 15 में आपने मंत्री जी को बुलाया है जिसमें कि विधेयक पर विचार होना है उसे उन्होंने पहले रखा नहीं है, क्या उससे पहले कोई और विषय वे ले सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

वे प्रस्ताव ही कर रहे हैं ।

श्री नियाज हसन खां--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय । हमारे मित्र ने अभी यह कहा कि जो लोग जनतंत्र में चुनकर आये हैं और वे काम कर रहे हैं उन्हीं को चलाना चाहिए । मेरा भी यही कहना है कि समाचार-पत्रों में मेरे विचार छपे हैं, अभी हाल ही में छपे हैं वही मैं रखना चाहता हूं । वजीर औकाफ की खिदमत में मुकर्रमी-तहफ्फुज औकाफ के सिलसिले में वजीर औकाफ को तवज्जह वक्फ बोर्ड और उसके बदउन्वान अम्ले की जानिब इन्हीं कालमों में मुतादिद बार मबजूल करा चुका हूं । वजीर औकाफ साहब का यह ख्याल मुनासिब है क्योंकि जम्हूरियत में अवामी मसायल को हल करने के लिये अवाम के ही नुमाइन्दों पर मुस्तमिल एजेन्सी के सुपुर्द किया जाना चाहिए ।

जब रियासती सरकार पर जिम्मेदारी आयद हुई ह तो यह अध्यादेश लाना पड़ा है, मुतबली मुकर्रर होने लगे । सदर महोदय ने यह लिखा था कि अब हम कोई मीटिंग भी नहीं कर सकते । इसलिये ऐसी हालत में सरकार सोती रहे, यह नहीं होना चाहिए । हमें मजबूरन इस अध्यादेश को लाना पड़ा है । ऐसी हालत में मैं अपने माननीय मित्र से यह अनुरोध करूंगा कि आज यह हालत हो गई है कि जायदादें नीलाम होने लगी हैं । अखबारों में कालम के कालम भरे हुये हैं । इस तरह की कई मिसालें हैं । इन शब्दों के साथ में अपने माननीय मित्र से अनुरोध करूंगा कि जो यह अध्यादेश विधेयक की शक्ल में रखा गया है, उसका आप समर्थन करें ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मैं पहले प्रस्ताव रखता हूं ।

श्री त्रिवेणी--

रियासत साहब, खुदा की रहम पर इसको तो छोड़ दीजिये ।

श्री रियासत हुसैन--

राय साहब, अगर आजमगढ़ तक का मामला होता तो छोड़ देता । श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं--"उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1982 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो एक माह के अंदर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।"

श्रीमन्, यह मुस्लिम वक्फ बोर्ड का मसला इस सदन में बार-बार उठा है । यह बदकिस्मती हमेशा रही कि कभी बोर्ड बने और कभी वह सुपरसीड हुए और एडमिनिस्ट्रेटर भी उसमें मुकर्रर हुए । सन् 62 से लेकर आज तक मैंने सब ड्रामें देखें हैं । इस ऐक्ट को 6 बार एमेंड किया जा चुका है और उन एमेंडमेंट के बावजूद जिसमें 85 धारायें हैं उसके बावजूद इस प्रदेश की करोड़ों की सम्पत्ति चाहे वह सुन्नी हजरात की हो या शिया हजरात की हो जो अरबों में पहुंच गयी है ठीक नहीं कर सके । इस माननीय सदन में जब कभी भी बिल आया है हमेशा यह मांग रही है कि एक कंप्रीहैंसिव बिल आना चाहिए । सन् 66 से लेकर आज तक जो एमेंडमेंट किये हैं उनके बावजूद इन प्रापर्टीज को बिकने से नहीं रोक सके और न कोई सुधार उनमें कर सके हैं चाहे वह एडमिनिस्ट्रेटर रहे या एलेक्टेड बोर्ड रहे । श्रीमन्, इसके कुछ वजूहात हैं और उन वजूहात की तरफ कोई जाता नहीं है ।

श्रीमन्, इस्लाम के अन्दर जो सबसे पहला वक्फ हुआ, जो मुस्लिम ला से ताल्लुक रखता है वह हजरत इकरम रहमत उल्ल अलह ने सबसे पहले उस मकान को वक्फ किया जहां हजूर रसूल मकबूल सलल्लाहो अलैह वसल्लम उस वक्त बैठे हुये थे जब हजरत उमर फरसक रजिमल्लाहो अनहन ने इस्लाम कबूल किया था । तो उसके बाद यह सिलसिला शुरू हुआ । तो हर वक्फ का जब वक्फनामा होता है उसमें टर्म होते हैं कि कितना किसके नाम जायेगा कितना परसेंट मफादे अमा के लिए खर्च होगा और कितना कब्रिस्तान या दूसरे कामों में खर्च होगा ।

श्रीमन्, इस कानून में दो तीन धारायें ऐसी हैं जिनकी वजह से मामला इधर से उधर होते रहे । एक धारा 44 में कभी बोर्ड को रखते हैं और कभी एलेक्शन कराते हैं । इसी में एक धारा ऐसी है जिसके अंदर जमीन को बेचा भी जा सकता है और अगर यह समझा जाय कि यह बेचना गलत हुआ है तो उस ट्रांसफर को कैंसिल किया जा सकता है और जो उसमें मुतवल्ली हो उसको हटाया भी जा सकता है । धारा 55 में मुतवल्ली को हटाया भी जा सकता है तो यह लोगों की इच्छा पर छोड़ दिया गया जिससे यह खींचतान शुरू हो गयी । आप देखें कि आज देवा शरीफ और पिरान कलिया शरीफ के जो वक्फ हैं उनमें लाखों की तादाद में सम्पत्ति पड़ी है ऐसे ही लखनऊ के हुसैनाबाद का भूलभुलैया है जिसको दुनिया से लोग देखने को आते हैं लेकिन उसकी कोई मेंटीनेंस नहीं हो रही है जिसका प्लास्टर उखड़ गया है । लोग व्यक्तिगत स्वार्थ में काम में ला रहे हैं । तो यह धारा 44 है उसमें सब कुछ किया जा सकता है । जातीय स्वार्थ को सामने रखकर लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। कमी क्या है इसमें । हमारे जो औकाफ हैं, वह हमारे यहां दो स्कूल आफ थाट्स हैं--एक देवबन्द स्कूल आफ थाट्स तथा दूसरा बरेलवी स्कूल आफ थाट्स । ज्यादातर जो औकाफ हैं और मैं तो कहूंगा कि सबके सब बरेलवी स्कूल आफ थाट्स के मानने वाले हैं और इसी के अनुसार अपने मामले में चलते हैं ।

अब बदकिस्मती इनकी क्या है ? इनका आपके एक्ट्स में जो कांस्टीट्यूशन है, उस कांस्टीट्यूशन के मुताबिक उसमें इसको अच्छी तरह से बनाया गया है ।

ज्यादातर लोग हावी हो जाते हैं देवबन्द स्कूल आफ थाट्स पर। नतीजा उसका यह हुआ कि इसमें वही मसल हो जाती है कि बिल्ली दही की रखवाली पर बैठ जाती है। जब हमारा अकीदा नहीं है, न औकाफ के अन्दर है और हमारे हाथ वह प्रापर्टी आयेगी तो यह नेचुरल बात है कि हम उसकी कोई परवाह न करके पहले अपने ज्यादा से ज्यादा स्वार्थ पूरे करने की कोशिश करेंगे। उसका इसकी तरफ कोई ख्याल नहीं होगा, उसकी प्रापर्टी चाहे जैसे जाये। ऐसे हालात में हम उसकी रखवाली कैसे करें, उसको महफूज कैसे रखें। उससे फायदा उठाने की सारे कोशिश करेंगे, जिससे जातीय मफाद हो या स्वार्थ हो। यही बदकिस्मती रहा है। आखिर यह इन विचारधारा के लोगों के पास कैसे पहुंच गया। सिर्फ इसलिए पहुंच गया कि जब इस मुल्क का बंटवारा हुआ और उसके पहले जो मुल्क की सियासत थे, उसमें जमीयतुल उलेमाय हिन्द कांग्रेस के हाथ थी, उसके साथ थी और उसको माना गया कि यही एक्सट्रीम्ली नेशलिस्ट्स हैं और उनके अलावा कोई यहां हुआ नहीं और फिर जमीयतुल उलेमाय हिन्द के लोग यहीं रहे, उनको न इतनी एम0 एल0 एज0 की जगह मिलीं और न एम0 पीज0 की जगह मिली। इसलिए सिर्फ उनको एब्जार्व करने के लिए, खुश करने के लिए उनको इसको संभालने के लिए दे दिया गया और अकीदा उससे उनका बिल्कुल नहीं है और उनको उसे केवल इनाम की शक्ल में दे दिया गया है। तो इस तरह से बिल्ली को दही की रखवाली के लिए बिठाल दिया गया है। अब वह उसको रखवायेगी क्या, वह तो उसको खायेगी। उसी का नतीजा यह है कि जो अधिकार है उसको निरीक्षण आदि करने का उसके सम्बन्ध में वह अपने कर्त्तव्य का जरा भी पालन नहीं करते हैं, बिल्कुल लापरवाही बरतते हैं और अपने स्वार्थ की तरफ ख्याल रखते हैं। वहां चले गये हैं तो वहां मुतवल्ली में खींचतान हो रही है और वहां पर मामला फिट हो गया, जैसे भी फिट हो जाये। इस बात का मसला आपके सामने आया है, आपने 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। 6 महीने के अन्दर, क्या आपको इस बात की उम्मीद है कि यह काम पूरा हो जायेगा और अगर है तो मैं कहूंगा कि इसको 6 महीने नहीं आप बिल्कुल निरस्त करके ले लें, लेकिन आप नहीं कर पायेंगे।

इसलिए मैं आपके द्वारा मंत्री जी से चाहूंगा कि वह इसके लिए, काम्प्रेहेंसिव बिल बनाने के लिए सन् 66 से आपके तजुर्बे हैं उनको शामिल करने के लिये आप इसको एक प्रवर समिति के सुपुर्द कीजिए, जिसमें बैठकर सोचा जा सके इन औकाफ के बारे में। जिसने मरते-मरते या अपनी जिन्दगी में कोई वक्फ किया, उसके किसी मकसद के लिए किया था। तो जो उसकी मंशा है उसको पूरी उसकी औकाफ की हिफाजत से ही कर सकते हैं। अपने अख्तियारत का इस्तेमाल करके उसे पूरी नहीं कर सकते है। आपने जो चाहा है कि इसको सही किया जाय मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप इसको लखनऊ में बैठ कर इन औकाफ को ठीक कर सकते हैं। रामपुर में करोड़ों रुपये के हीरों को छत काटकर चोरी हो गई और कहा गया कि इसको इन्क्वायरी सी0 बी0 आई0 द्वारा कराई जा रही है। तो क्या आप एक अधिकारी से यह उम्मीद करते हैं कि वह मुरादाबाद या बहराइच या किसी शहर या जिले में जहां आपके औकाफ फैले हुए हैं उनकी यहां से देखभाल हो सकती है। जो लोग आपके दफ्तर के अन्दर के लोगों को जानते हैं कि कौन इन्सपेक्टर है और कौन क्या है, उनके सब मोहरें फिट रहते हैं तो अब्दुल कयूम साहब उसमें क्या कर सकेंगे? तो अब आपको मौका मिला है कि इसे आप प्रवर समिति में भेज दें, जहां पर इस विधेयक

[श्री रियासत हुसैन---]

पर विस्तृत रूप से चर्चा हो सके, जिसमें माननीय गुफरान जाहिदी साहब के भी विचार आ जायें और इजहार भी सामने आ जायं। तभी आपका जो मौजूदा ऐक्ट, 1966 का है उसमें हम इन औकाफ की हिफाजत कर सकेंगे। आपने इसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स को नियुक्त करके भी देख लिया और इतमें इलेक्शन भी कराकर देख लिया। तो इसकी एक ही सूरत है कि आप सोच विचार के बाद एक कौम्प्रहेंसिव बिल लायें, चाहे शियाओं के औकाफ हों या सुन्नियों के औकाफ हों, उनकी रक्षा हो सके और जो मफाद अमां हैं, उनमें रुपया खर्च हो। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय, जिससे इस पर पूर्ण रूप से विचार हो सके।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, जो विधेयक आज सदन में पेश किया गया है इस पर बोलने के लिए दोनों वर्ग के लोगों को मौका दिया जाय।

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सदन में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1982 पर बोलने का मौका दिया जिसका मैं समर्थन करता हूं।

मैं अभी-अभी अपने क्षेत्र के एक सीनियर सदस्य, माननीय रियासत हुसैन साहब की बात सुन रहा था और मुझे यह ताज्जुब हो रहा था कि वे कैसे जमाइयते उल्मा के ऊपर आरोप लगा रहे थे और कह रहे थे कि उसने मुस्लिम वक्फ को बरबाद कर दिया है उन्होंने यह भी बताया कि बरेलवी और देवबन्दवी औकाफ को लूटने के लिए इन वक्फों पर भी हावी हैं। जमायते उल्मा वह जमात है जिसने हमेशा-हमेशा हिन्दुस्तान के मुसलमानों की रहनुमाई की और एक अच्छी राह दिखाई और उसी की वजह है कि आज भी वह मुसलमानों की रहनुमाई करती है, जो इस देश में और प्रदेश में रहते हैं।

(व्यवधान)

और जमायत-ए-उल्मा ने औकाफ को बचाया है और उनकी सुरक्षा की है और अफसोस है कि इस सदन में बरेलवी देवबन्दी मसले को उठाया।

[इस समय 4 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।]

और उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं बताई, जिसके कारण इसे प्रवर समिति में भेजना आवश्यक हो। उन्होंने कहा कि इसमें तमाम कमियां हैं, कमियां दूर करने के लिए ही तो यह बिल पेश किया गया है। मुस्लिम वक्फ में सुधार लाने के लिए यह बिल लाया गया है। यह वक्फ जो बरबाद हो रहे थे उनको बरबादी से बचाने के लिए ही मंत्री जी को अध्यादेश लाना पड़ा और आज यह विधेयक पेश है। मैं खुद बोर्ड का मेम्बर हूं, मैंने देखा कि बोर्ड की मीटिंग ही नहीं हो रही थी, वहां इस इस तरह की लड़ाई चल रही थी कि जिसको यहां कहना मुनासिब नहीं है। उन सारी चीजों को देखते हुए, जो खामियां थीं उनको दूर करने के लिए, यह विधेयक लाया गया है और इसको पास होने पर मुझे उम्मीद है कि वक्फ को बरबाद होने से बचाया जा सकेगा। यह बिल उनकी भलाई के लिए है।

श्री फखरे आलम---

मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी को इस उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1982 पेश करने के लिए मुबारकबाद देता हूं, कि उन्होंने इसे लाकर एक तारीफी काम किया है और एक वह काम किया है जिससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश के बल्कि पूरे हिन्दुस्तान के मुसलमानों की तवारीख में एक स्थान बना लिया है । इस ऐक्ट में धारा 44--क को जोड़ कर एक बड़ा ही तारीफ का काम किया है, इससे वक्फ की जायदाद की जो बरबादी हो रही थी वह रुक जायेगी । इस 44-ए का मतलब यह है कि अगर सरकार यह समझती है कि किसी वक्फ का इन्तजाम खराब है, या किसी कन्ट्रोलर का काम सही नहीं चल रहा है, तो सरकार बिना नोटिस के ही कन्ट्रोलर को बरखास्त कर सकती है ।

मान्यवर, इस समय दो वक्फ बोर्ड हैं--एक शिया वक्फ बोर्ड है और एक सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड है । दफा 11 को तहत सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड में जो मेम्बर्स होंगे दो मेम्बर ऐसे भी होंगे जिनमें एक को फाइनेन्स के मामले में नालिज होगी और प्रैक्टीकल एक्सपीरियन्स भी होगा, तथा एक ऐसा होगा जिसे एडमिनिस्ट्रेशन की नालिज होगी और इन दोनों को राज्य सरकार नामिनेट करेगी । तो जो जमायतुल उलेमा का नुमाइन्दा उसमें होता है और जो गड़बड़ी करता है वह नहीं कर पायेगा ।

एक चीज मैं और बता दूं कि सुन्नी बोर्ड में जब श्री मुजफ्फर हुसन साहब उसके प्रेसीडेंट थे, वे निहायत ही ईमानदार आदमी हैं, उनकी ईमानदारी में किसी को भी कतई शुबहा नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद मजबूर होकर मंत्री जी को लिखा कि अब हालात ऐसे हो गये हैं कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है । हालांकि, बाद में उन्होंने ही उन सारे हालत पर काबू पा लिया था और काम ठीक चलने लगा था । जिस वक्त इम्तियाज हुसैन को कंट्रोलर नियुक्त किया गया, तो उससे पहले ही उनके खिलाफ मुकदमें, शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से, फौजदारी और दीवानी अदालतों में चल रहे थे और उस बेईमान आदमी को दुबारा शिया वक्फ बोर्ड का कंट्रोलर बना दिया गया था । जब अम्मार रिजवी साहब मुस्लिम वक्फ के मिनिस्टर थे, तब उन्होंने भी इस बात को माना कि गलत आदमी कंट्रोलर हो गया है । उन्होंने यह भी कहा कि मैं नहीं चाहता था कि इनको कंट्रोलर नियुक्त किया जाय, मगर कुछ राजनैतिक मजबूरियों की वजह से कंट्रोलर नियुक्त किया गया ।

मैं मंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूं, जो उन्होंने उस बेईमान इम्तियाज हुसैन को कंट्रोलर से हटा दिया और दफा 44 को यू० पी० मुस्लिम वक्फ ऐक्ट में बढ़ा दिया, ताकि बेईमानों को निकालने में देरी न हो । इम्तियाज हुसैन के खिलाफ जो मुकदमे चल रहे हैं, उससे उनका पर्दाफाश हो जायगा । मेरठ का एक वक्फ मनसबिया है, जिसकी लाखों रुपये सालाना की आमदनी है और अच्छे मियां नाम का आदमी मुतवल्ली बना दिया गया है, जो वक्फ की जायदाद को और उसके रुपये को लूट रहा है और वह वक्फ की जायदाद को बरबाद कर रहा है । मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया उसको जल्द से जल्द मुतवल्ली के पद से हटवाने की कृपा करें । मंत्री महोदय ने जो इम्तियाज हुसैन के खिलाफ ऐक्शन लिया है और दफा 44 के जो मुस्लिम वक्फ

[श्री फखरे आलम—]

ऐक्ट में बढ़ाया है, वह बहुत जरूरी था, उसको तो बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था । भाई रियासत साहब ने दफा 49 का हवाला दिया है कि वक्फ जायदाद का सेल अगर कुछ भी किया जाय, तो उसके लिए इजाजत की आवश्यकता होगी ।

मान्यवर, मैं कानून का स्टूडेंट रहा हूं । मान्यवर, लाखों रुपये का जो औकाफ बरबाद हो रहा था उसकी वजह से दफा 49 (ए) बढ़ाई गयी थी । लेकिन जिला जज से जो इजाजत अब तक ले लेते थे और लाखों रुपये की जायदाद हजारों और सैकड़ों रुपये में बेच देते थे, अब इसके तहत वक्फ बोर्ड की परमिशन लेना जरूरी हो गया है । अब रही देवबन्द और बरेलवी वाली बात जो है, वह तो वही है, जो यह कहा कि रसूल की पैदाइश का जुलूस निकालने के देवबंधी लोग खिलाफ हैं, तो वह वक्फ में नजर-नियाज कैसे करा सकते हैं । जमिया-उल उलमा के आदमियों को कतई न रखा जाय, क्योंकि वह वक्फ की रूह के खिलाफ हैं । मेरे साथी जाहिदी साहब मेरी तरफ बड़ी गौर से देख रहे हैं, मैं किसी इख्तिलाफी मसले में नहीं पड़ना चाहता हूं और न पड़ता हूं और न कहना चाहता हूं । भाई रियासत साहब ने कहा कि औकाफ की तबाही और बरबादी उन लोगों के हाथों से हो रही है जो औकाफ की मंशा को नहीं समझते हैं यानी देवबंधी हैं ।

श्रीमन्, वक्फ इसलिए किया जाता है ताकि नजर-नियाज, मोहर्रम, मजलिस और मिलाद किया जाय और खैरात किया जाय, दान किया जाय । देवबंधी लोग इन सबके खिलाफ हैं । जो लोग उस चीज में विश्वास ही नहीं रखते हैं, वे वक्फ बोर्ड को कैसे चला सकते हैं ? ऐसे लोगों को वक्फ बोर्ड से हटाना जरूरी था । यह जो मौलवी लोग वक्फ बोर्ड में पहुंच गये हैं, उनको उसमें न रखा जाय, क्योंकि वे लोग वक्फ की जायदाद को बरबाद और तबाह कर रहे हैं ।

मान्यवर, इन अलफाजों के साथ माननीय मंत्री न्याज हसन साहब को मुबारकबाद देते हुये शुक्रिया अदा करता हूं । पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमान का और मुस्लिम औकाफ या वक्फ बनाये गये थे उनके ऊपर एहसान किया है और शुक्रिया के मुस्तहक हैं ।

*मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी—

मान्यवर माननीय मंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय । मैं मंत्री जी को तहेदिल से शुक्रिया अदा करता करता हूं । और उससे पेश्तर भाई रियासत हुसैन साहब से एक बात अर्ज करना चाहता हूं—

"इतनी न बढ़ायाकिये दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बन्द कबा देख"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, यह वक्फ के मुतालिक एक बिल है । मंत्री जी ने एक विधेयक पेश किया उसकी मंशा यह जाहिर की कि पूरे प्रदेश में औकाफ हैं, उनकी जो सही मंशा है वह पूरी नहीं हो पायी । मैं माननीय सदन के सामने एक बात कहना चाहता हूं कि वक्फ क्या है, वक्फ का मालिक कौन होता है । जब कोई जायदाद वक्फ को दे दी जाती है तो उसका मालिक खुदा हो जाता है उसकी तमाम जायदाद जो करोड़ों की है इसका मालिक खुदा या ईश्वर हो जाता है । मान्यवर, जिस वक्फ का मालिक खुदा हो उसमें बेईमानी हो, उसको बचाने के लिये कड़े से कड़ा कदम अगर सरकार उठाये तो मैं उसको मुबारकबाद देता हूं । मान्यवर, एक बात रियासत भाई ने कही आज वक्फ में इतनी बड़ी बेईमानी क्यों है, इतनी धांधली हो रही है और बहुत सी बातें कही । मान्यवर, रियासत साहब की बात को सामने रखते हुये माननीय मन्त्री जी ने एक ठोस कदम उठाया है । मगर अफसोस इस बात का है कि यह एक बिल था वक्फ को बचाने के लिये । बात थी औकाफ को पहुंचा दिया पास आपने मेरी औकात तक ।

मेरा मतलब यह था कि रियासत साहब ने देवबन्दवी और बरेलवी की बात छेड़ दी । यह विधेयक ऐसा नहीं था जिसमें जमायते उलमाये हिन्द या और दूसरी जमायतों का मुकाबला करते । कौन सी जाति अच्छी थी कौन सी खराब थी । विधेयक का मकसद इतना था कि वक्फ को बचाया जाय । एक बार फिर मैं माननीय मंत्री जी को मुबारकबाद देते हुये जो मंत्री जी ने विधेयक पेश किया है उसका समर्थन करता हूं और जो संशोधन का प्रस्ताव हुकम सिंह ने रखा है उसका घोर विरोध करता हूं ।

श्री मुख्तार अनीस—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो संशोधन रखा है वह एक दृष्टि से तो ठीक है और वह यह कि जो बेईमान लोग हैं, जो मुसलमानों के वक्फ को बरबाद कर रहे हैं उन पर शासन का अंकुश लग जाएगा और शासन को मालूम होने पर कि ऐसे लोग बेईमानी कर रहे हैं तो उनको हटाने में सुविधा होगी । लेकिन इससे खतरा यह है कि ऐसे लोग जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं किन्तु वह सरकार की नीतियों के विरोधी हैं तो उनको भी हटाने के लिए यह एक हथियार हो जायगा । इससे यह खतरा पैदा हो गया है । वरना मन्त्री जी ने जो अपना संशोधन पेश किया है वह ठीक है ।

मान्यवर, दो वक्फ हैं । वक्फ़ का मतलब है कि हम लोगों की जो संपत्ति अपने हिस्से की है उसका कुछ हिस्सा दान करते हैं कि हमेशा उससे कौम को फायदा होता रहे । दो वक्फ हैं—एक सुन्नियों का और दूसरा शियाओं का । सुन्नियों में जमायते उलमा हिन्द है । मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि गाजी मियां की मजार बहराइच में है । वहां के जो पीर हैं उनको वक्फ में कोई अधिकार नहीं है क्योंकि अधिकार ऐसे लोगों का है जो कि मजार में जाने और फातिहा पढ़ने के विरोधी हैं जबकि वह वक्फ के मुतवल्ली हैं । बारा-बंकी में देवाशरीफ में भी यही स्थिति है । इसलिए मैं चाहता हूं कि जमायते उलमा हिन्द के लोग जो वक्फ के जो मुतवल्ली हैं और जिनको मजार पर जाने में आपत्ति है उनको वक्फ में न रखा जाय ।

मान्यवर, दूसरा वक्फ शियों का है जिसमें करोड़ों रुपए शियों का औकाफ है । मैं मान्यवर, फैजाबाद में बहू बेगम की मजार की मिसाल पेश करना चाहता हूं । उस औकाफ के अन्दर लाखों रुपये की संपत्ति है । उसके जो मुतवल्ली

[श्री मुख्तार अनीस--]

है वह हजारों रुपये खा गए । इसी तरह लखनऊ में हुसैनाबाद का इमामबाड़ा है जिसके कमिश्नर मालिक हैं, वहां बड़ा अन्याय हो रहा है कि लाखों रुपये का झाड़ फन्नूस और ईरानी कालीन चोरी करके बेचा जा रहा है । यह देश की निधि है । मुसलमानों ने खरीदा था जिसको बुरी तरह से लोग बरबाद कर रहे हैं । हुसैनाबाद इमामबाड़े की लाखों रुपये की आय है किन्तु एक भी पैसा उसमें नहीं खर्च किया जा रहा है ।

मान्यवर, इसी तरह रामपुर के नवाब ने लाखों रुपये दान में दिये । वहां पिछले साल इमामबाड़े में चोरी हुई जिसमें लाखों रुपये का सोने का सामान चला गया । इमामबाड़े में हीरे जवाहरात हैं, जो देश की निधि है वह चोरी करके पाकिस्तान भेजे गए । इसी तरीके से महमूदाबाद में बरबादी हो रही है । इसी तरीके से मेरठ में मंसविया ट्रस्ट है जिसकी इतनी आमदनी है कि उससे मेरठ के सारे स्कूलों को चलाया जा सकता है । इसमें लाखों रुपये की आय अकेले मुसलमानों की ही नहीं है बल्कि हिन्दुओं की भी संस्था में चल सकती है । यह आय बड़े-बड़े आम के बागों से, दुकानों से होती है लेकिन वह पैसा बरबाद किया जा रहा है । आम के बागों, दुकानों एवं जमीन को कौड़ियों के भाव बेचा जाता है । इसलिए इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है कि कोई भी इस तरह की जमीन, दुकान और बाग आदि इस तरह बेचने का किसी को अधिकार नहीं होगा ।

तो आज इन औकाफ की बड़े पैमाने पर बरबादी हो रही है और उन पर कोई नियंत्रण नहीं है । वजह यह है कि इसमें काम करने वाले ईमानदार लोग नहीं बैठाये जाते । जब लोगों की नियुक्ति होती है तो यह देखा जाता है कि कौन हमारी पार्टी का है और कौन हमारी पार्टी का नहीं है । हमारी पार्टी का अगर कोई बेइमान भी है तो वह ठीक है क्योंकि वह हमारा आदमी है । अगर इस मंशा से इन औकाफ को चलाने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं हो सकता ।

मैं मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि शिया वक्फ बोर्ड से इम्तयाज हुसैन जैसे बेइमान आदमी को आपने हम लोगों के कहने से हटाया । आपने हमारी बातों को सही पाया इसलिए आपने उनको हटाया, इसके लिए मैं फिर बधाई देता हूं । लेकिन आपके सामने मैंने और जो प्रश्न रखे हैं मन्त्री जी उन पर भी गौर करें और ऐसा करें कि यह औकाफ जो आज मुसलमानों की गरीबी को हटाने में मददगार साबित हो सकते उनका इंतजाम ठीक से हो । तो मैं समझता हूं कि इसमें और संशोधन होंगे । आप जो अधिकार ले रहे हैं उस सम्बन्ध में मैं इतना कहना चाहूंगा कि उसका इस्तेमाल एक सीमा तक ही हो । इस ढंग से न हो कि वहां पर हमेशा आपका नुमाइंदा बैठा रहे और उनको बदल न सकें । इसी शंका के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने वक्फ ऐक्ट में जो तरमीम 44 में की है उसको जो मंशा और मकसद बताया है उसी मंशा और मकसद के बारे में तकरीर भाई रियासत साहब ने की और फिर भी मुखालफत की । उन्होंने कहा कि मुसलमानों के मुफाद का मामला है, चूंकि इदारों का मामला है, जो लोग वहां पर देख-रेख करते हैं उनके मफादात इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वह

उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं और उसकी आमदनी को इधर-उधर करते हैं। जो लोग इन इदारों में हैं उन पर किस तरह से अंकुश लगाया जाय उसके लिए एक अख्तियार सरकार को हासिल होना चाहिये। अभी मन्त्री जी ने कहा कि हमारे पास इस तरह की रिपोर्ट आयी, यह मालूम हुआ कि वक्फ बोर्ड ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, वहां काम करने वाले लोगों के भी वहां इंटरेस्ट हो गये हैं और कुछ गलत लोग उसमें हो गये हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर जम्हूरियत के नाम पर कुछ बुराइयां हों और यह जाहिर हो कि वहां बुराइयां हैं तो कोई रास्ता अख्तियार किया जाना चाहिए। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अवाम के नुमाइंदे गड़बड़ी करते हैं तो गवर्नर राज हो जाता है, प्रेसीडेंट रूल हो जाता है और उस वक्त के लिए नुमाइंदों के अख्तियार छीन लिए जाते हैं जो उनको मिले रहते हैं। तो ऐसी सूरत में यह अख्तियार लिया गया है और आवाम की मुफाद में, मुस्लिम कौम के मुफाद में लिया गया है और कौम की बेहतरी के लिए लिया गया है। दफा 44 में है कि अगर कोई गड़बड़ी हो तो लिया जा सकता है लेकिन उसके अलावा धारा—(1) लगायी है जिसमें प्रशासक भी नियुक्त किया जा सकता है। प्रशासक तो एक गैप अरेन्जमेन्ट होता है। उसके बाद तो इमीडिएटली फैसला लिया जाता है कि आवाम की चीज आवाम को दे दी जाय। मैं आपकी राय से इत्तफाक करता हूं लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि एक बात भाई रियासत साहब ने कही उनकी मंशा शायद यही है कि जमायते उल्मा-ए-हिंद में खाली एक नुमाइंदा लिया गया है। अगर दूसरे मसलक के नुमाइंदे लिए जायं तो यह बात वह कह सकते हैं लेकिन जमायत उल्मा-ए-हिंद के बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं है। तरमीम की बात वह खुद महसूस कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह ऐक्ट अपने में मुकम्मल नहीं है। जो भी ऐक्ट आता है उसमें हालात के तकाजे के अनुसार तरमीम की जरूरत होती है और तरमीम की जाती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो समय निर्धारित किया है, उसी के अन्दर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा और साथ ही यह भी निवेदन करना चाहता हूं जिस तरह से एम0 एल0 ए0 साहबान चुनकर आते हैं और जिस तरह से रियासत साहब और मैं चुनकर आया हूं और जितने भी मुस्लिम माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, सभी लोग बोर्ड में जाएं और रियासत भाई बड़ी खुशी के साथ यह कहें कि चूंकि इन साहबान की दाढ़ी कुछ बड़ी हो गई है, इसलिए अब इनकी जगह पर इन-इन पांच आदमियों को रख दिया जाए और वह पांच आदमी पर्दे के पीछे से हंसते हुए आयें और वह खुद अपने आप को चुन लें और उस पद के लिए खुद अपने आप को कुबूल फर्मा लें।

(हंसी)

और मान्यवर, जो वक्फ की बुनियादी चीज है, जिसका जिक्र सभी माननीय सदस्यों ने किया है और अगर उनका मन्शा वाकई में यह है कि इससे मुस्लिम अकवाम की मुफाद के लिए, सही रूप में इन अवकाफ को चलाना चाहते हैं और वक्फ की आमदनी को कौम की मिल्लत के लिए काम में लाना चाहते हैं तो इस विधेयक को मानना पड़ेगा वरना अब तक जिस तरह से होता आया है कि इन अवकाफ की आमदनी उलूल-जुलूल खर्च करना जिससे कौम का कोई फायदा न हो सके, अगर यह सही तरीके से इस्तेमाल की गई होती, इसकी आमदनी तो अब तक तो ऐसे सैकड़ों कारखाने खुल सकते थे, न मालूम कितनी बेवाओं और न मालूम कितने बेसहारा बच्चों की जिंदगी संवर गई होती, लेकिन

[श्री खान गुफरान जाहिदी—]

अब तक क्या हुआ, हम सबने देखा है अगर आप सिर्फ इसकी मंशा को देखें तो आपको मालूम होगा कि कितना ऊंचा प्यार है इसका। इसलिए मैं इस संशोधन विधेयक का तहे दिल से जोरदार समर्थन करता हूं।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मैं केवल दो तीन बातें कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा और जिन माननीय सदस्यों ने इस पर रोशनी डाली मैं उनका तहे दिल से मशकूर और हूं ममनून हूं और जैसा कि हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी साहब ने कहा, उनको ऐसा कहना भी चाहिए क्योंकि वह इस वक्त अपने सूबे के जमायते-उलमाए-हिंद के वाइस प्रेसीडेन्ट हैं और जैसा कि अशफाकुल्लाह साहब ने कहा कि इन अवकाफ की आमदनी में से वहां के कारकुन खाते हैं, और वहां आमदनी के मनमाने तौर पर खुर्द-बुर्द करते हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये। मान्यवर, इसी विधेयक के 11 पार्ट के तीसरे भाग में लिखा है कि बोर्ड कैसे बनेगा। इसमें तीसरे नम्बर पर साफ लिखा है कि एक मेम्बर होगा, जो चुना जायेगा। यह बात जमायते-उल्मा-ए-हिंद में स्पष्टरूप में लिखी गयी है, कि दुरूद फातिया, मिलाद और नजर-नियाज में दिलचस्पी नहीं रखते वह इन मजारों और ट्रस्टों की इज्जत नहीं करते, उनके लिए तो आपने यह कहकर सेफ-गार्ड रख दिया और जो लोग दुरूद-फातिया मिलाद व नजर-नियाज में यकीन रखते हैं और मजारों में पसेपुस्त चलना एक गुनाह समझते हैं और इन मजारों के जूते और चप्पल आदि का इस्तेमाल नहीं करते, उनके लिए आपने कोई सेफगार्ड नहीं किया, जिनकी असली सेवा वहां रहती है। पूरे कांस्टीट्यूशन के अन्दर कहीं यह नहीं कहा गया कि बरेलवी स्कूल आफ थाट का भी कोई नुमाइन्दा इसके अन्दर होगा, जब कि 11 के नम्बर 3 पर स्पष्ट रूप से यह कहा है कि एक आदमी यू० पी० जमायतुल उलमा हिंद की वर्किंग कमेटी में से होगा।

अब सवाल यह है कि एक विचारधारा के लोगों के औकाफ की बरबादी हो, इसमें बिमागी तौर पर इसकी हिफाजत होगी, इस कांस्टीट्यूशन में है नहीं। इस लिये खुर्द-बुर्द किया जाता है। हमारा अकीदा है हम हुजूर के जन्म दिन पर मिलाद करें, रोशनी करें। हमारे कार्य की, हमारे विचार की हिफाजत के लिये कुछ नहीं है, इसी लिए सारा का सारा खुर्द बुर्द होता है। इस लिये मैं कहता हूं इस ऐक्ट को जो 1960 का है इसमें 63, 66, 70, 71, 72 और 74 में तरमीम हुई और अब फिर तरमीम आ गयी। तरमीम होते होते इस ऐक्ट का कचूमर निकल गया। उधर हमारे औकाफों का भी कचूमर निकल गया। इस ऐक्ट के मातहत जिनको हक नहीं मिला है उधर उनका कचूमर निकल गया। शिया ऐक्ट के अन्दर भी यही चीज मिलेगी। आपने आरजी तौर पर इसको कहा कि हम जानते हैं कि श्री कयूम एक ईमानदार, मेहनती एडमिनिस्ट्रेटर हैं लेकिन उनके मुकाबले में जो वक्फ बोर्ड के प्रेसीडेन्ट थे, उसकी ईमानदारी की तुलना में वे पासंग बराबर भी ईमानदार नहीं निकलेंगे। यह पूरा का पूरा सूबा इस बात का सबूत है कि जिस ईमानदारी के साथ मुजफ्फर साहब ने खिदमत की है उसका आपको भरोसा नहीं रहा है और आई० ए० एस० रिटायर्ड के ऊपर आपको भरोसा हो गया। मैं एक बार फिर बरखवास्त करता हूं कि इसको कम्प्रेहैन्सिव स्कूल में लाने के लिये लोगों की राय लीजिये मशवरा लीजिये ताकि इसमें सही राय आ सके। एक बार फिर इसको प्रवर समिति को पेश करने पर जोर देता हूं।

श्री नियाज हसन खां—

मान्यवर, मैं दोनों पक्ष के साथियों का आभारी हूं। खासतौर से जो हमारे विरोधी पक्ष के साथियों ने अपने विचार व्यक्त किये और मेरे इस अध्यादेश विधेयक का स्वागत किया। मैं उनका आभारी हूं। माननीय रियासत हुसैन जी ने इस बात को तो महसूस किया तसलीम किया, माना कि वक्फ बोर्ड की हालत, वक्फ की जायदाद की हालत गिरती जा रही है। दफा 44 में सरकार के पास कोई अख्तियार नहीं था कि फौरन इस पर कोई रोक लगायी जाय। इसलिये यह विधेयक छोटा सा लाना पड़ा। देवबन्दी स्कूल आफ थाट कोई प्रश्न नहीं है। मैं इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि कोई मुतवल्ली अगर गिरफ्त और पकड़ में आ गया है कि वह गड़बड़ कर रहा है तो 5 मिनट भी उसे हटाने में नहीं लगेगा।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों का थपथपाने की आवाजें।)

(4 बज कर 45 मिनट)

जहां तक हमारे रियासत हुसैन जी का सुझाव है, गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ने हमारे पास यह पूछा था कि वक्फ ऐक्ट कोई गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया क्यों न तरमीम करके हिन्दुस्तान भर के लिये बनाये। तो इस सूरत में गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया जब इस पर विचार कर रही है और हमारी भी राय मांगी है तो ऐसी सूरत में जबकि यह सूबा कांकरेन्ट लिस्ट में है, जब तक यह नहीं पता चल जाय कि आज पूरे हिन्दुस्तान के लिए गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ऐक्ट बना रही है या फिर हमें ही तरमीम करनी है, इसलिये आपके सुझाव पर अमल करना अभी सम्भव नहीं है।

फिर भी अगर उत्तर प्रदेश की सरकार को यह तरमीम करने के लिये गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया कहती है कि आप अपने ऐक्ट को काम्प्रेहैन्सिव ले आइये तो फिर इसपर सोचा जायेगा और सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि एक एक्सपर्ट कमेटी बैठ करके पूरे ऐक्ट की जो-जो कमियां हैं, उसे दूर करके ले आये।

मैं माननीय रियासत हुसैन से अनुरोध करूंगा कि वह अपने प्रस्ताव को वापस ले ल और आपके सुझाव पर सरकार विचार कर रही थी और कर रही है। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने प्रस्ताव को आप वापस ले लें।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, एक जुमला कहना चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी नें कहा कि गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया ऐक्ट को लायेगी। तो हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें हमारे ऐक्ट को जो कि लंजा है, गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया ने ऐक्ट की तरफ देखा ही नहीं है। गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया को इससे क्या मतलब है?

श्री अध्यक्ष—

माननीय हुकम सिंह जी आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री हुकम सिंह—

नहीं, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष—

माननीय रियासत हुसैन, क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेंगे ?

श्री रियासत हुसैन—

जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अध्यादेश, 1981 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1982 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिससे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो एक माह के अन्दर अपने प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से 4 तथा खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1982

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 का अग्रतर संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1982 कहा जायगा ।

(2) यह 17 दिसम्बर, 1981 से प्रवृत्त समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1960 में नयी धारा 44-क का बढ़ाया जाना

2—उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 44 के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

बोर्ड का निलंबन

"44-क (1) यदि धारा 44 में निर्दिष्ट परिस्थितियों में राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं कि तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है तो वह अधिसूचना द्वारा, किसी भी समय, बोर्ड को तुरन्त निलम्बित कर सकती है और धारा 45 के अनुसार प्रशासक नियुक्त कर सकती है ।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से प्रयुक्त या सम्पादित किये जाने वाले समस्त अधिकार और कर्तव्य बोर्ड के निलम्बन की अवधि में उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रशासक द्वारा प्रयुक्त और सम्पादित किये जायेंगे और ऐसी अवधि में बोर्ड के सदस्य कार्य नहीं करेंगे ।

(3) इस धारा के अधीन जिस अवधि के लिए बोर्ड को निलम्बित किया जायगा, वह छः मास से अधिक नहीं होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार की राय है कि ऐसा करना समीचीन है तो वह, समय-समय पर, निलम्बन की अवधि को, एक बार में तीन मास से अनधिक ऐसी अग्रतर अवधि के लिए, जैसी वह विनिर्दिष्ट करे, इस प्रकार बढ़ा सकती है कि निलम्बन की कुल अवधि एक वर्ष से अधिक न हो,

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, किसी समय बोर्ड के निलम्बन की अधिसूचना को प्रतिसंहृत कर सकती है ।

(4) बोर्ड का निलम्बन, इस धारा के अधीन निलम्बन की अवधि की समाप्ति या निलम्बन के प्रतिसंहरण या धारा 44 के अधीन बोर्ड के अवक्रमण के पश्चात् प्रभावी नहीं रह जायगा और तदुपरान्त वक्फ का प्रशासन, यथास्थिति, बोर्ड को, जिसे निलम्बित किया गया था या धारा 45 के अधीन नियुक्त प्रशासक को अन्तरित कर दिया जायगा ।"

धारा 45 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 45 में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक "धारा 44 के उपबन्धों के अधीन अवक्रांत" के स्थान पर शब्द और अंक "यथास्थिति, धारा 44 के अधीन अवक्रांत या धारा 44-क के अधीन निलम्बित" रख दिये जायेंगे ।

निरसन और अपवाद

4—(1) उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अध्यादेश, 1981 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 28, सन् 1981

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 तक तथा खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नियाज हसन खां—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1982 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1982 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत 7 सूचनायें प्राप्त हुई थीं जिसमें से श्री सरदार सिंह की जो मथुरा शहर में स्थित किशोरी रमण इंटर कालेज में सिण्डीकेट बैंक की शाखा को दिन दहाड़े लूटने के सम्बन्ध में था, स्वीकार किया गया और शेष अस्वीकृत किये गये ।

(शासन पक्ष की ओर इशारा करते हुए)

आप कब तक इस पर वक्तव्य देंगे ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम रतन सिंह)—

16 तारीख को ।

श्री अध्यक्ष—

वक्तव्य के लिए 16 तारीख निर्धारित की गयी ।

चुनार, मिर्जापुर में गंगा नदी पर बने पीपे के पुल पर पथकर के विरोध में नागरिकों द्वारा धरना तथा प्रदर्शन किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

सार्वजनिक निर्माण उप मंत्री (श्री दल सिंगार यादव)—

अध्यक्ष महोदय,

प्रदेश में सार्वजनिक फेरोज का प्रबन्ध नार्दर्न इण्डिया फेरीज ऐक्ट, 1878 के अनुसार किया जाता है, जो केन्द्रीय अधिनियम है । फेरीज नियमानुसार पट्टे पर दी जाती है जिसके इकरारनामें के साथ लगे मैनुअल फार्म 28 के परिशिष्ट–3 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार "घाट के जरिये नदी पार करने वाले ऐसे सब व्यक्ति, मवेशी और गाड़ियां जब कि वे जिला बोर्ड द्वारा नियन्त्रित क्षेत्र के अन्तर्गत सार्वजनिक कार्य में लगे हों या भेजे गये हों, एवं काश्तकार मय अपने मवेशियों

और औजारों के (जिनमें शक्कर के मिल इत्यादि सम्मिलित हैं), लकड़ी काटने वाले, घास काटने वाले, स्कूल जाने वाले बच्चे और इसी प्रकार के उन लोगों को, जिन्हें अपने काम की वजह से ऐसी शर्तों पर जो प्रत्येक दशा में मजिस्ट्रेट या एक्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा निर्धारित कर दी गयी हों, रोजाना नदी पार करनी पड़ती है," घाट कर देने से मुक्त हैं ।

2--प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान स्थिति यह है कि यदि प्रश्नगत पान्टून पुल को कर मुक्त घोषित किया जाता है तो वर्षों में इसे विभागीय प्रणाली द्वारा सुरक्षापूर्वक चलाने के लिये तुरन्त दो शक्तिशाली पावर बार्ज की आवश्यकता होगी जिसके क्रय पर लगभग 10·00 लाख रुपये का व्यय भार आयेगा तथा इसको चलाने एवं वार्षिक मरम्मत के लिये 50,000 रुपये प्रति वर्ष व्यय की आवश्यकता होगी । वर्तमान में प्रश्नगत फेरी पर 5 फुट व्यास के पीपे हैं और वर्तमान प्रचलित भार वहन क्षमता के आधार पर यातायात की सुरक्षा एवं आवागमन हेतु 5 फुट व्यास के पीपों को 8 फुट व्यास के पीपों में तत्काल या कुछ समय बाद बदलना होगा, जिसमें लगभग एक करोड़ रुपये का व्यय भार आयेगा । इसके अतिरिक्त नीलामी द्वारा ठेकेदार से प्राप्त हो रही धनराशि की हानि भी प्रति वर्ष शासन को होगी जो अब 73,333 रु0 प्रति वर्ष है ।

3--इसके अतिरिक्त यदि प्रश्नगत फेरी को जन आन्दोलनों को दृष्टि में रखते हुए कर मुक्त किया जाता है तो प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण विभाग की अन्य फेरीज को कर मुक्त किये जाने की मांग होने लगेगी एवं जन आन्दोलनों का क्रम आरम्भ हो जायेगा और यदि इन सभी जन आन्दोलनों का समादर करते हुए प्रदेश की सभी फेरीज को कर मुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया तो शासन के सम्मुख राजस्व की भयावह स्थिति उत्पन्न हो जायेगी । यह मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि फेरी के निकट निवासी तथा वे व्यक्ति जो दैनिक कार्य से रोजाना नदी पार करते हैं, नियमानुसार कर मुक्त हैं ।

श्री यदुनाथ सिंह--

माननीय, राम नगर का पीपे का पुल कर माफ है तो क्या चुनार के पुल को भी कर माफ करेंगे ?

श्री लोकपति--

माननीय, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बता दूं कि रामनगर का जो पुल है वह काशी नरेश द्वारा दान किया हुआ है और जो चुनार का है वह शासन का है ।

श्री यदुनाथ सिंह--

राम नगर के पीपे का पुल भी फेरी का है और काशी नरेश····

श्री लोकपति--

माननीय, राम नगर का पुल आज से 50 वर्ष पूर्व काशी नरेश द्वारा दान किया हुआ है । जहां तक चुनार के पीपे के पुल का सम्बन्ध है, यहां पर यात्रियों के आने-जाने पर, किसानों को उनके मवेशियों के साथ, साइकिल पर आने जाने के लिए, जो सरों पर बोझा लादकर आते जाते हैं, उनके लिए पथ कर माफ करने का प्राविधान कर दिया गया है ।

श्री यदुनाथ सिंह—

मंत्री जी के उत्तर में जो यह कहा गया है कि कुछ लोगों को घाटकर माफ है लेकिन ठेकेदार उनसे जबरदस्ती पैसा वसूलते हैं तो क्या ऐसा कोई प्रबन्ध करेंगे या उन लोगों के विरुद्ध मुकदमा चलायेंगे ?

श्री लोकपति—

श्रीमन्, यह आदेश अभी हाल ही में पारित किए गए हैं अब भविष्य में नहीं लिया जायेगा ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी जनता के फायदे को देखते हुए और खासतौर से चूंकि यह काशी के पास है और मंत्री जी भी वहीं से पधार रहे हैं तो क्या इसको माफ कर देंगे ? एक को काशी नरेश ने दिया दूसरा मंत्री जी दे दें ।

श्री लोकपति—

माफ तो कर दिया है पैदल यात्रियों के लिए ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या आप माफ करने पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो काशी नरेश ने दान स्वरूप दिया था ।

श्री मोहन सिंह—

यह काशी नरेश के गुरू हैं । दूसरे को यह दान में दे दें ।

श्री लोकपति—

गुरू तो हम आपके भी हैं ।

श्री अध्यक्ष—

उनका व्यक्तिगत जो है वह मंत्र देना है । आप चाहें तो मंत्र ले लें ।

श्री मोहन सिंह—

हमारे बाप दादों ने इनसे मंत्र लिया है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसा कि उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि कौन-कौन से लोग कर से मुक्त हैं लेकिन मेरी यह सुनिश्चित जानकारी है और जिन लोगों ने धरना दिया था वे मेरे मित्र हैं । उन लोगों का कहना है कि यह घाट-कर सदैव वसूला जाता है और जिनके लिए यह माफ किया गया है उसके लिए कोई बोर्ड नहीं लगाया गया जिससे यह जानकारी हो सके कि किन लोगों के लिए यह माफ किया गया है । क्या मंत्री जी शीघ्रातिशीघ्र इस बात का आश्वासन देंगे कि जो लोग इस कर से मुक्त हैं उन लोगों के लिए कोई सूची वहां पर टांग दी जायेगी ?

श्री लोकपति—

जी हां, टांग दी जायेगी ।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं । कल 11·00 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 58 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
10 फरवरी, 1982

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 925 पर ।)

अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष 1981 की पृष्ठ भूमि में विकलांगों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की सूची

1--विकलांगों को दी जा रही सुविधाओं को जन साधारण में प्रचार हेतु फोल्डर तथा पुस्तकों का प्रकाशन ।

2--दक्ष विकलांग कर्मचारियों एवं उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार के वितरण की व्यवस्था ।

3--कृत्रिम अंग, 3 पहियों वाला साइकिल, बैशाखी, दो पहियों वाला कुर्सी, चश्में तथा श्रवण सहायक यंत्र क्रय हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिए विकलांग व्यक्तियों को आय प्रमाण-पत्र से छूट का दिया जाना ।

4--राजकीय नेत्रहीन तथा मूक बधिर विद्यालय के छात्रावासी छात्रों की छात्रवृत्ति की दर 70 रुपए प्रतिमास से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिमास प्रतिछात्र का दिया जाना ।

5--सामान्य शिक्षा संस्थाओं में सामान्य कोटि के विकलांग बच्चों के प्रवेश एवं शिक्षा की व्यवस्था ।

6--शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए बरेली, नैनीताल, मेरठ तथा गढ़की विश्वविद्यालय में क्रमश: 2% 3% 5% तथा 10% प्रवेश में आरक्षण ।

7--आगरा विश्वविद्यालय में शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को सभी प्रकार की शुल्क से मुक्ति ।

8--मेरठ विश्वविद्यालय में नेत्रहीन छात्रों को शुल्क से छूट ।

9--कानपुर विश्वविद्यालय में शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को परीक्षा शुल्क से छूट ।

10--लखनऊ विश्वविद्यालय में विकलांग छात्रों को प्रवेश के समय निर्धारित योग्यता में 5 प्रतिशत अंकों को छूट ।

11--प्रत्येक सेवायोजन कार्यालयों में विकलांगों के लिए पृथक रजिस्टर रखने की व्यवस्था ।

12--क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा तथा वाराणसी में विकलांग व्यक्तियों के लिए विशिष्ट प्रेक्षकों की स्थापना ।

13--राज्याधीन सेवाओं में/पदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भांति सक्षम व्यक्तियों के लिए निर्धारित 2 प्रतिशत आरक्षण की पूर्ति सुनिश्चित करने की व्यवस्था ।

14--विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में कुर्सी बुनाई हेतु नेत्रहीनों के लिए एक अतिरिक्त पद का सृजन ।

15--औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में विकलांग व्यक्तियों के प्रशिक्षण हेतु 2 प्रतिशत सीटों का आरक्षण।

16--औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षण हेतु आरक्षित 3 प्रतिशत स्थानों को विकलांग व्यक्तियों द्वारा भरे जाने की व्यवस्था ।

17--अंधेपन तथा विकलांगता के रोकथाम के लिए व्यापक प्रचार तथा जिला चिकित्सालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा मुफ्त दवाइयों के वितरण की व्यवस्था ।

18--अपंग व्यक्तियों को विभिन्न उद्योग एवं व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण एवं कच्चा माल की आपूर्ति कराने की सुविधा ।

19--विकलांग व्यक्तियों के निजी वाहन के प्रयोग पर रोड टैक्स से छूट।

20--ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वासन हेतु 'ट्राइसम' योजना के अन्तर्गत सुविधा उपलब्ध कराने की सुविधा ।

21--सरकारी बसों में अंधों व्यक्तियों तथा उसके साथ चलने वाले एक व्यक्ति से केवल आधा किराया वसूल किया जाना ।

22--केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की प्राप्ति हेतु परिचायक पत्र (आइडेन्टिटी कार्ड) की सुविधा का उपलब्ध कराया जाना ।

23--प्रदेश के बहुधंधी तकनीकी संस्थाओं में कुल प्रवेश क्षमता का 1 प्रतिशत आरक्षण तथा प्रदेश के मेडिकल कालेजों में आर्थोपेडिकली विकलांग अभ्यर्थियों के लिए 7 सीटों का आरक्षण किया जाना ।

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रइन संख्या 26 का उत्तर पीछे पृष्ठ 948 पर ।)

जनपद इलाहाबाद में फर्जी शिक्षा संस्थाओं की सूची जिन्हें वर्ष 1974-75 एवं 1975-76 में छलना से अनुदान भुगतान हुए

नाम संस्था	आयुक्त/अपराधी जिनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है	धनराशि
1	2	3
(1) अद्वैत आश्रम जूनियर हाई स्कूल, इलाहाबाद		9,092·00
(2) देव मूर्ति शिक्षा सदन, मंसकी, इलाहाबाद		8,601·55
(3) हकीम अहमद उल्ला, जूनियर हाई स्कूल, कुसेहटा, इलाहाबाद	श्री लालमणि श्रीवास्तव, (अभियुक्त) लिपिक मोती लाल नेहरू कौछिमारा, इलाहाबाद	9,730·79
(4) सेवा निकेतन जूनियर हाई स्कूल, चांदों पारा, इलाहाबाद		8,337·56
(5) आदर्श जूनियर हाई स्कूल, इटिहा, इलाहाबाद	श्री गंगा प्रसाद मिश्रा, प्रिंसिपल, सरदार भगत सिंह इंटर कालेज, सैदपुर (अभियुक्त)	5,999·40
(6) भगौती प्रसाद, माध्यमिक विद्यालय, महुवाडीह, इलाहाबाद		11,894·40
(7) हेमवती नन्दन बहुगुणा, जूनियर हाईं स्कूल, पंडरा, जसरा, इलाहाबाद	अज्ञात	13,274·64
(8) जनता मध्यमिक विद्यालय, कनकपुर, डाडमा, इलाहाबाद	श्री दीनानाथ त्रिपाठी	11,894·40
		78,824·74
—यह धनराशि वापस वसूल की गई हैं		(—) 13,274·64
धनराशि जिसकी क्षति हुई—		65,550·10

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 61 का उत्तर पीछे पृष्ठ 961 पर)

वर्ष 1980-81 में स्थापित नये चिकित्सालयों की जिलेवार सूची

क्रम-संख्या	जिले का नाम	पद्धति				
		आयुर्वेदिक	एलोपैथिक	होम्योपैथिक	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	महिला चिकित्सालय
1	2	3	4	5	6	7
1	पिथौरागढ़	1--पिथौरागढ़ मुख्यालय 2--फुटसिल 3--मंजिरकाढ़ा	1--रेगढ़ताल 2--चौमेल 3--देवत 4--कोटी 5--हचोला	कालिका	1--पाटी	1--चम्पावत
2	चमोली	1--देवपुरी 2--किमोली 3--पगना 4--नैल खानसर	1--वसुकेदार 2--परकंडी	1--पाखी (गरुड़गंगा) 2--पेनगढ़	1--देवाल 2--दशोली	उखीमठ ।
3	अल्मोड़ा	1--अल्मोड़ा (मुख्यालय) 2--स्योनानी	1--भैसड़गांव 2--ध्याड़ी	..	फरसाली	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

			3—असगोली		
			4—कपड़ा		
			5—घिघार तोला		
			6—वजूला		
			7—लाहूर		
			8—सराइखेत		
			9—धामदेवल		
			10—वाजन		
4	देहरादून		1—दूधाली		
			2—सेलाकुई		
			3—कामला		
			4—मुनधान		
5	नैनीताल	1—नैनीताल (मुख्यालय)	1—नथुवाखान	1—धारी	1—भीमताल
			2—धनियाकोट	2—कोटाबाग	
			3—हिम्मतपुरी		
			4—रायपुर		
			5—करनपुर		
			6—डालकनिया		
			7—प्रतापपुर		
			8—नौसर		
			9—लालकुआं		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
6	उत्तरकाशी	1—उत्तरकाशी (मुख्यालय)	1—रैथल	मसरी	1—मोरी	..
		2—बसाड़ा	2—उत्तरौ		2—चिन्यालीसौड़	
		3—गंगोत्री भटवाड़ी	3—टिकोची			
		4—अकोट	4—गंगाडसिधरी			
7	टिहरी गढ़वाल	1—आरियाण	1—कांडीखाल (भिलंगना)	कुम्भसिला	..	साजफ
		2—टिहरी गढ़वाल (मुख्यालय)	2—डल्ला आरगढ़			
			3—कांडिखाल (थोलधार)			
			4—खंडोगी			
			5—तुकोली			
8	पौड़ी गढ़वाल	1—पौड़ी गढ़वाल (मुख्यालय)	1—उरेगी	..	1—यमकेश्वर	यमकेश्वर
		2—एकेश्वर	2—अगरोड़ा		2—पोखाल	
		3—पांखरखाल	3—देवराजखाल			
			4—लालपानी			
			5—मोटाढाक			
			6—नाथूखाल			
			7—होराखाल			

उत्तर प्रदेश विधान सभा

8—रामागांव
9—बनचूरी
10—द्वारीखाल
11—कांडाखाल

वर्ष 1981–82 में स्थापित नये चिकित्सालयों का जिलेवार सूची

क्रम-संख्या	जिले का नाम	एलोपैथिक	आयुर्वेदिक	होम्योपैथिक	महिला चिकित्सालय
1	2	3	4	5	6
1	अल्मोड़ा	1—खेता 2—कनारीछीना 3—मनान 4—सुखाईखाल 5—पेसिया 6—बाराकोट 7—खन्तोली 8—उदयपुर	1—सयाणामनूर	1—मुख्यालय अल्मोड़ा	..
2	नैनीताल	9—तिलियापुर 10—खेडा (गोलापार) 11—ओखलदंगा 12—धुगुसिगेड़ा विनायक 13—सुन्दरखाल	1—टनकपुर	1—मुख्यालय नैनीताल	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
3	देहरादून	14—ग्रामभटाड सिलगांव 15—मनधात 16—भगवन्तपुर 17—रायपुर 18—रुद्रपुर 19—ग्रामदसऊ 20—ग्रमपच्छमीवाली	1—चऊ	1—मुख्यालय देहरादून	..
4	पिथौरागढ़	21—गढ़मनले 22—डनदेव 23—धीन 24—टांड 25—नाकोट 26—हरड़कोटिया	1—गूड़गढ़सारी	..	..
5	पौड़ीगढ़वाल	27—फरसाड़ी 28—सीकू 29—सतपुली 30—नगर	1—शंकरपुर	1—मुख्यालय पौड़ी	1—बैलीसंज 2—घूमाकोट 3—नौपोखाल

		31—भट्टाशेरा					
		32—कलजीखाल					
		33—ढाक्वाल					
		34—कमन्द					
		35—जाखू					
		36—भेरपुर					
		37—रथुवाढाक					
		38—सेधाखाल					
		39—विसन					
6—चमोली		40—रीता	1—गोपेश्वर	..	..		1085
		41—मीणगुह					
		42—कुराड़					
		43—सतरसुंगरा					
		44—मईथान					
		45—कालीमठ					
7	टिहरी गढ़वाल	46—धारकोट	1—छेटी	..	1—जौनपुर		
		47—कुन्डाली (पट्टी सिलगढ़)					
		48—धेघड़खाल (भरदार)					
		49—भेड़खाल					
		50—कोटालगाँव					
8	उत्तरकाशी	..	1—गातू	1—मुख्यालय उत्तरकाशी	1—भटवाड़ी		1085

पी0 एस0 यू0 पी0—11 एल0 ए0—850—1982—(पी0 डी0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा